

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित.

क्रमांक 24]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 10 जून 2016—ज्येष्ठ 20, शक 1938

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 मई 2016

क्र. एफ 1-40-2016-ब-2-दो.—मो. शाहिद अबसार, भा.पु.से., पुलिस महानिरीक्षक, (प्रबंध) पुलिस मुख्यालय, भोपाल को आवश्यक कार्य से यू. के. की निजी विदेश यात्रा हेतु दिनांक 2 से 28 मई 2016 तक सत्ताईस दिवस अर्जित अवकाश दिनांक 1 एवं 29 मई 2016 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत करते हुए (एक्स इण्डिया लीव्ह) एवं निजी विदेश यात्रा की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के तहत स्वीकृत किया जाता है:—

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा.

2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे.
3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे.
4. स्वीकृत अवकाश में वृद्धि नहीं करेंगे.

(2) उपरोक्त अवकाश अवधि में मो. शाहिद अबसार, भा.पु.से., का कार्य श्रीमती श्रद्धा तिवारी, रा.पु.से. सहायक पुलिस महानिरीक्षक, (प्रबंध), पु.मु., भोपाल द्वारा उनके कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर मो. शाहिद अबसार, भा.पु.से., को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पुलिस महानिरीक्षक, (प्रबंध) पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) मो. शाहिद अबसार, भा.पु.से. द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में मो. शाहिद अबसार, भा.पु.से. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि मो. शाहिद अबसार, भा.पु.से. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ 1-44-2016-ब-2-दो.—श्रीमती अरूणा मोहन राव, भापुसे., अति. पुलिस महानिदेशक (महिला अपराध) पुमु. भोपाल को. यू.एस.ए. किंगसटन, (जमैका), यूरोप की निजी विदेश यात्रा हेतु दिनांक 23 मई से 4 जून 2016 तक तेरह दिवस अर्जित अवकाश दिनांक 21, 22 मई 2016 एवं 5 जून 2016 की विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत करते हुए (एक्स इण्डिया लीव्ह) एवं निजी विदेश यात्रा की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के तहत प्रदान की जाती है:—

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा।
2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे।
3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे।
4. स्वीकृत अवकाश में वृद्धि नहीं करेंगे।

(2) उपरोक्त अवकाश अवधि में श्रीमती अरूणा मोहन राव भा.पु.से., का कार्य श्री एस. एल. थाउसेन, भा.पु.से. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (अजाक), पु.मु. भोपाल द्वारा उनके कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती अरूणा मोहन राव, भा.पु.से., को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (महिला अपराध) पुमु. भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्रीमती अरूणा मोहन राव, भा.पु.से. द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्रीमती अरूणा मोहन राव, भा.पु.से. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती अरूणा मोहन राव, भा.पु.से. अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर बनी रहतीं।

भोपाल, दिनांक 2 जून 2016

क्र. एफ 1-79-2016-ब-2-दो.—श्री राजीव टण्डन, भा.पु.से., विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल एवं श्री अन्वेष मंगलम, भापुसे अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, दूरसंचार संगठन, पुलिस मुख्यालय, भोपाल को मिड-केरियर ट्रेनिंग प्रोग्राम फेस-3 (MCTP) फेस-5 में सम्मिलित होने के लिए नामांकित किया गया है। उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक 6 से 17 जून 2016 तक हैदराबाद तथा दिनांक 19 से 25 जून 2016 तक यू.एस.ए. में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम पूर्ण होने के उपरान्त श्री राजीव टण्डन, भा.पु.से. एवं श्री अन्वेष मंगलम, भापुसे को दिनांक 27 से 30 जून 2016 तक चार दिवस अर्जित अवकाश दिनांक 26 जून 2016 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ (एक्स इण्डिया लीव्ह) निम्नलिखित शर्तों के तहत स्वीकृत किया जाता है:—

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा।
2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे।
3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे।
4. स्वीकृत अवकाश में वृद्धि नहीं करेंगे।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री राजीव टण्डन, भा.पु.से. को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न रूप से विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अन्वेष मंगलम, भा.पु.से. को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न रूप से अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, दूरसंचार संगठन, पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) अवकाशकाल में श्री राजीव टण्डन, भा.पु.से. एवं श्री अन्वेष मंगलम भा.पु.से. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(5) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजीव टण्डन, भा.पु.से. एवं श्री अन्वेष मंगलम भा.पु.से. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमला उपाध्याय, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 11 मार्च 2016

फा. क्र. 1-7-81-इक्कीस-ब (एक)-584-2016.—मध्यप्रदेश डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम, 1981 (क्रमांक 36 सन् 1981) की धारा 6 की उपधारा (1), (1-क) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, तथा इस विभाग की अधिसूचना फा.क्र. 1-7-81-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 19 मई 1981 जो उसी दिन मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित हुई थी, को जहाँ तक कि उसका संबंध भिण्ड में विशेष न्यायालय के गठन से है, आंशिक रूप से अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्द्वारा, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, नीचे अनुसूची के कॉलम (2) में उल्लेखित विशेष न्यायालयों का, उक्त अनुसूची के कॉलम (3) में यथादर्शित क्षेत्र के अधीन आने वाले मामलों के विचारण के संबंध में गठन करती है, अर्थात् :—

सारणी

अ.क्र. (1)	विशेष न्यायालय (2)	क्षेत्रीय अधिकारिता (3)
“2	विशेष न्यायालय क्र. 1, भिण्ड.	राजस्व जिला भिण्ड की तहसील भिण्ड, तहसील रौन एवं तहसील मिहोना की क्षेत्रीय अधिकारिता.
2क	विशेष न्यायालय गोहद, भिण्ड.	गोहद की क्षेत्रीय अधिकारिता
2ख	विशेष न्यायालय लहार, भिण्ड.	लहार की क्षेत्रीय अधिकारिता.
2ग	विशेष न्यायालय क्र. 2, भिण्ड.	राजस्व जिला भिण्ड की तहसील अटेर, तहसील गोरमी एवं तहसील मेहगांव की क्षेत्रीय अधिकारिता.

टिप्पणी.—विशेष न्यायालय में लंबित मामले उनकी क्षेत्रीय अधिकारिता के अनुसार नवीन गठित न्यायालय में अंतरित हो जायेंगे.

F.No. 1-7-81-XXI-B(1)-584-2016.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1), (1-A)&(2) of Section 6 of Madhya Pradesh Dakaiti Aur Vyapaharan Prabhavit Kshetra Adhinyam, 1981 (No. 36 of 1981) & in partial supersession of this Department's Notification F.No. 1-7-81-XXI-B(1), dated 19th May 1981 which was published in the Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary) on the same day, as far as it relates to the constitution of Special Court at Bhind, the State Government, in consultation with

the High Court of Madhya Pradesh, hereby constitutes the Special Court mentioned in column no. (2) of the schedule below for the purpose of the said Act in relation to the trials of the cases falling under areas as shown in column no. (3) of the said schedule, namely :—

SCHEDULE

S.No (1)	Special Court (2)	Territorial Jurisdiction (3)
2	Special Court No. 1, Bhind.	Areas of Tehsil Bhind, Tehsil Raun & Tehsil Mihona of Revenue, District Bhind.
2A	Special Court, Gohad, Bhind.	Territorial Jurisdiction of Gohad
2B	Special Court, Lahar, Bhind.	Territorial Jurisdiction of Lahar
2C	Special Court, No. 2 Bhind.	Areas of Tehsil Ater, Tehsil Gormi and Tehsil Mehgaon of Revenue, District Bhind.

Note.—The pending cases of the Special Court shall stand transferred to newly constituted court according to their territorial Jurisdiction.

भोपाल, दिनांक 4 मई 2016

फा. क्र. 1-5-96-इक्कीस-ब(एक)-2424-2016.—भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का सं 49) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्द्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट अपर सेशन न्यायाधीशों को कॉलम (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट क्षेत्र के लिए मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा संचालित विभिन्न परीक्षाओं से संबंधित अपराधों का स्पेशल टास्क फोर्स, भोपाल दिल्ली पुलिस तथा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 (1946 का 25) के अधीन, अन्वेषण किये गये भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 3 में विनिर्दिष्ट अपराधों का विचारण करने के लिए, पीठासन अधिकारी के रूप में नियुक्त करता है.

यह अधिसूचना व्यापम मामलों के संबंध में एतदपूर्व में जारी अधिसूचनाओं के अतिरिक्त जारी की जा रही है:—

सारणी

अनु. (1)	न्यायाधीश का नाम (2)	मुख्यालय का नाम (3)
1	श्री सिकन्दर सिंह परमार, नवम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, जबलपुर.	जबलपुर

(1)	(2)	(3)	शुद्धि पत्र
2	श्री प्रमोद कुमार अग्रवाल, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, गुना.	गुना	भोपाल, दिनांक 17 मई 2016
3	श्रीमती अनुराधा शुक्ला, सोलहवें अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, भोपाल.	भोपाल	फा. क्र. 3 (बी) 02-2014-इक्कीस-ब(एक).—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 18 जनवरी 2016 की द्वितीय पंक्ति में अंकित "ताम्रकर" के स्थान पर "ताम्रकार" पढ़ा जाए.
4	श्री योगेश कुमार गुप्ता, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, भिण्ड.	भिण्ड	मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. वाणी, सचिव.
5	श्री भरत भूषण श्रीवास्तव, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जातियां/अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, छतरपुर.	छतरपुर	

F.N. 1-5-96-XXI-B(one)-2424-2016.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (No. 49 of 1988), the State Government, with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh, hereby, appoints the Additional Sessions Judge specified in column (2) of the table below to be Presiding Officer for area specified in the corresponding entry in column (3) thereof to try the cases relating to the offences specified under Section 3 of the said Act in relation to various examination conducted by the Madhya Pradesh Professional Examination Board, investigated by the Special Task Force, Bhopal, Delhi Police and Central Bureau of Investigation under the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (No. 25 of 1946),

भोपाल, दिनांक 31 मई 2016

फा. क्र. 3(बी)02-2014-इक्कीस-ब(एक).—(मेरिट क्र. 03), राज्य शासन, श्री कृष्णा अग्रवाल पिता श्री रमेश अग्रवाल को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला लखनऊ (उत्तरप्रदेश) है. उसकी जन्मतिथि 10 नवम्बर, 1991 है.

फा. क्र. 3(बी)02-2014-इक्कीस-ब(एक).—(मेरिट क्र. 21), राज्य शासन, श्री उज्ज्वल उपाध्याय पिता श्री रत्नेश कुमार उपाध्याय को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला इलाहबाद (उत्तरप्रदेश) है. उसकी जन्मतिथि 14 अगस्त, 1990 है.

TABLE		
S. No.	Name of Judge	Head Quarter
(1)	(2)	(3)
1	Shri Sikandar Singh Parmar, IX ASJ Jabalpur.	Jabalpur
2	Shri Promad Kumar Agrawal, I ASJ, Guna.	Guna
3	Smt. Anuradha Shukla, XVI ASJ, Bhopal.	Bhopal
4	Shri Yogesh Kumar Gupta, I ASJ, Bhind.	Bhind
5	Shri Bharat Bhushan Shrivastava, Special Judge under SC/ST (POA) Act Chhatarpur.	Chhatarpur

This Notification is being issued in addition to the earlier Notification (s) issued in respect of VYAPAM matters.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विरेन्द्र सिंह, प्रमुख सचिव.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विरेन्द्र सिंह, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 1 जून 2016

फा. क्र. 1 (बी) 31-2004-इक्कीस-ब(दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, निम्नलिखित अधिवक्ताओं को उनके नाम के सामने दर्शाये गये पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर, जो भी पहले हो तक की अवधि के लिये इन्दौर सत्र खण्ड के इन्दौर राजस्व जिले के लिये एतद्वारा नियुक्त करता है :—

क्रमांक (1)	अधिवक्ता का नाम (2)	पदनाम (3)
1	श्री एन. ए. मण्डलोई	अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/ अतिरिक्त लोक अभियोजक, जिला इन्दौर.
2	श्री हेमंत मुंगी	अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/ अतिरिक्त लोक अभियोजक, जिला इन्दौर.
3	श्री गजराज सिंह सोलंकी	अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/ अतिरिक्त लोक अभियोजक, जिला इन्दौर.
4	श्री मोहन लाल बागौरा	अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/ अतिरिक्त लोक अभियोजक, जिला इन्दौर.
5	श्री दिनेश हार्डिया	अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/ अतिरिक्त लोक अभियोजक, जिला इन्दौर.
6	सुश्री कोमल दीक्षित	अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/ अतिरिक्त लोक अभियोजक, जिला इन्दौर.
7	श्री सदाशिवराव खण्डारे	अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/ अतिरिक्त लोक अभियोजक, जिला इन्दौर.
8	श्री जयंत दुबे	अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/ अतिरिक्त लोक अभियोजक, जिला इन्दौर.
9	श्री श्याम दांगी	अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/ अतिरिक्त लोक अभियोजक, जिला इन्दौर.
10	श्री उमेश यादव	अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/ अतिरिक्त लोक अभियोजक, जिला इन्दौर.

(1)	(2)	(3)
11	श्री अभिजीत सिंह राठौर	अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/ अतिरिक्त लोक अभियोजक, जिला इन्दौर.
12	श्री राजेश जैन	अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/ अतिरिक्त लोक अभियोजक, जिला इन्दौर.
13	श्री संजय शर्मा	अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/ अतिरिक्त लोक अभियोजक, जिला इन्दौर.
14	श्री दिनेश खण्डेलवाल	अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/ अतिरिक्त लोक अभियोजक, जिला इन्दौर.

उक्त नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय कोई सूचना दिए बिना समाप्त की जावेगी.

भोपाल, दिनांक 2 जून 2016

फा. क्र. 1(बी) 12-2004-इक्कीस-ब(दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, निम्नलिखित अधिवक्ताओं को उनके नाम के सामने दर्शाये पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर, जो भी पहले हो तक की अवधि के लिये भिण्ड सत्र खण्ड के भिण्ड राजस्व जिले के लिये एतद्वारा नियुक्त करता है :—

क्रमांक (1)	अधिवक्ता का नाम (2)	पदनाम (3)
1	श्री वीरेन्द्र सिंह भदौरिया	शासकीय अभिभाषक/लोक अभियोजक, जिला भिण्ड.
2	श्री जगदीश प्रसाद दीक्षित	अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/ अतिरिक्त लोक अभियोजक, जिला भिण्ड.
3	श्री रवीन्द्र कुमार मुदगल	अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/ अतिरिक्त लोक अभियोजक, जिला भिण्ड.
4	श्री रवीन्द्र कुमार नगाइच	अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/ अतिरिक्त लोक अभियोजक, जिला भिण्ड.

यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय कोई सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

जे. के. वैद्य, सचिव.

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 मई 2016

क्र. एफ 10-28-2010-23-योआसां.—राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम, 1995 संशोधित अधिनियम 1999 की धारा 4 की उपधारा 3(ग) तथा संशोधित अध्यादेश 2005 की धारा 4(1) में प्रदत्त अधिकारों के तहत नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट अशासकीय सदस्य को कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट जिले की जिला योजना समिति में तत्काल प्रभाव से आगामी दो वर्ष की कालावधि के लिए नामनिर्दिष्ट किया जाता है :—

क्र. (1)	अशासकीय सदस्य का नाम (2)	जिला योजना समिति (3)
1	श्री राजेश द्विवेदी (राजा भैया)	सतना

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शकीला अख्तर, अवर सचिव.

परिवहन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 मई 2016

क्र. एफ 01-05-2016-आठ.—मध्यप्रदेश शासन विधि एवं विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 17(ई)2/2002/इक्कीस-ब(एक), दिनांक 20-5-2016 द्वारा श्री अरुण सिंह तोमर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उमरिया की सेवाएं, अध्यक्ष, म. प्र. राज्य परिवहन अपीलीय अधिकरण, ग्वालियर के पद पर नियुक्ति करने हेतु प्रतिनियुक्ति पर परिवहन विभाग को सौंपी गई हैं.

(2) उपरोक्त आदेश के तारतम्य में श्री अरुण सिंह तोमर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उमरिया को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक अध्यक्ष, राज्य परिवहन अपीलीय अधिकरण, ग्वालियर के रिक्त पद पर पदस्थ किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
योगेन्द्र निबसैया, अवर सचिव.

महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 मई 2016

क्र. 1230-524-15-पचास-2.—किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का सं. 02) की धारा 27 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट बाल कल्याण समिति में कॉलम (3) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये उक्त अधिनियम के अधीन ऐसी समिति को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिये, कॉलम (4) में यथाविनिर्दिष्ट सदस्य को नियुक्त करता है, अर्थात् :—

अनुसूची		
क्र.	बाल कल्याण जिले समिति और उसका नाम मुख्यालय	सदस्यों के नाम एवं पदनाम
(1)	(2)	(3)
1	बड़वानी	1. श्रीमती उज्जवला होलकर, अध्यक्ष 2. श्री रूपेश पुरोहित, सदस्य 3. श्रीमती स्मिता अत्रे, सदस्य

No. 1230-524-15-L-2.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of Section 27 of the Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act, 2015 (No. 02 of 2016) the State Government hereby constitute the following Child Welfare Committee as specified in the column (2) of the schedule below, for the Districts as specified in column (3) and appoints members as specified in the column (4) respectively thereof for the purpose of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such committee under the said Act, namely:—

SCHEDULE

S. No.	Name of the Child Welfare Committee & its Head Quarter	Name of the District	Name of the Members & Designation
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Barwani	Barwani	1. Smt. Ujjawala Holkar —Chair Person

(1)	(2)	(3)	(4)
			2. Shri Rupesh Purohit —Member
			3. Smt. Smita Atre —Member

भोपाल, दिनांक 3 जून 2016

(1)	(2)	(3)	(4)
			2 Mandsaur Mandsour Smt. Shabnam Kadir Mansoori, IV CJ-II & JMFC
			3 Rajgarh Rajgarh Shri Kapil Verma, AJ to CJ-II & JMFC
			4 Anuppur Anuppur Smt. Shilpa Tiwari, CJ-II & JMFC

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र सिंह, उपसचिव.

वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 मई 2016

क्र. -3851-2016-बी-ग्यारह.— वाणिज्य उद्योग और रोजगार विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 11-90-2010-बी-ग्यारह, दिनांक 17 जनवरी 2012 द्वारा मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, जबलपुर के अंतर्गत क्रमांक 10 में उल्लेखित फूड प्रोसेसिंग पार्क, अमकुही के स्थान पर “औद्योगिक क्षेत्र अमकुही” प्रतिस्थापित किया जाता है.

क्र. एफ-10-1-2016-ए-ग्यारह.— उद्योग संवर्धन नीति, 2010 एवं कार्ययोजना की कंडिका क्र. 14.4 के संदर्भ में विभागीय आदेश क्र. एफ 20-1-2010-बी-ग्यारह, भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2011 से जारी मार्गदर्शी बिन्दु एवं मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2015 की कंडिका क्र. 4(2) में उल्लेखित प्रावधान अनुसार निम्नलिखित क्षेत्र को विशेष शिक्षा प्रक्षेत्र एवं औद्योगिक क्षेत्र एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है :-

क्र.	औद्योगिक क्षेत्र का नाम	जिला	क्षेत्रफल
(1)	(2)	(3)	(4)
1	विशेष शिक्षा प्रक्षेत्र एवं औद्योगिक क्षेत्र, अचारपुरा.	भोपाल	146.334

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. बरोनिया, उपसचिव.

क्र. 1315-1584-16-पचास-2.— किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का सं. 02) की धारा 4 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट किशोर न्याय बोर्ड में कॉलम (3) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिये, कॉलम (4) में यथाविनिर्दिष्ट न्यायिक अधिकारी को प्रधान मजिस्ट्रेट के रूप में पदांकित करता है, अर्थात् :-

अनुसूची

क्र.	किशोर न्याय बोर्ड और उसका मुख्यालय	जिले का नाम	प्रधान मजिस्ट्रेट का नाम एवं पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	रायसेन	रायसेन	श्री सूरज सिंह राठौर, II CJ-I & JMFC
2	मंदसौर	मंदसौर	श्रीमती शबनम कादिर मंसूरी, IV CJ-II & JMFC
3	राजगढ़	राजगढ़	श्री कपिल वर्मा, AJ to CJ-II & JMFC
4	अनूपपुर	अनूपपुर	श्रीमती शिल्पा तिवारी, CJ-II & JMFC

No. 1315-1584-16-L-2.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of Section 4 of the Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act, 2015 (No. 02 of 2016) the State Government hereby designates Judicial Officers as specified in Column No. (4) as the Principal Magistrate in the following Juvenile Justice Boards as specified in the Column (2) of the schedule below, for the District as specified in Column (3) thereof for the purpose of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such Boards under the said Act, namely :-

SCHEDULE

S. No.	Name of the Juvenile Justice Board & its Head Quarter	Name of the District	Name of the Principal Magistrate & Designation
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Raisen	Raisen	Shri Sooraj Singh Rathore, II CJ-I & JMFC

नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 मई 2016

क्र. एफ-3-41-2016-अठारह-5.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (संशोधन 1996) की धारा 17(क)(1) के अन्तर्गत हनुवंतिया विकास योजना हेतु निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है. यह समिति म. प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 17-क(2) सहपठित म. प्र. नगर तथा ग्राम निवेश नियम 2012 के नियम 12 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार कार्य करेगी :—

अधिनियम की धारा 17-क(1) की उपधारा	पद नाम	संस्था/पता	समिति में पद
(1)	(2)	(3)	(4)
क	अध्यक्ष	लागू नहीं	सदस्य
ख	अध्यक्ष	जिला पंचायत खण्डवा	सदस्य
ग	संसद सदस्य	संसदीय क्षेत्र खण्डवा	सदस्य
घ	विधायक	विधान सभा क्षेत्र मंधता	सदस्य
ङ	अध्यक्ष	लागू नहीं	सदस्य
च	अध्यक्ष	जनपद पंचायत पूनासा	सदस्य
	अध्यक्ष	जनपद पंचायत, बलडी	सदस्य
छ	1. सरपंच	ग्राम पंचायत बिजौरा माफी (ग्राम बिजौरा माफी ग्राम पुरनी).	सदस्य
	2. सरपंच	ग्राम पंचायत, गुलगांव रैयत (ग्राम गुलगांव)	सदस्य
	3. सरपंच	ग्राम पंचायत, जामकोटा (ग्राम जामकोटा)	सदस्य
	4. सरपंच	ग्राम पंचायत, पीपलकोटा (ग्राम पीपलकोटा)	सदस्य
	5. सरपंच	ग्राम पंचायत, डाबरी (ग्राम डाबरी, हनुवंतिया, बोरखेड़ाकला).	सदस्य
ज	प्रतिनिधि	इंस्टीट्यूट ऑफ टाउनप्लानर्स इण्डिया	सदस्य
	प्रतिनिधि	कॉउन्सिल ऑफ आर्किटेक्चर इण्डिया	सदस्य
	प्रतिनिधि	इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स	सदस्य
	प्रतिनिधि	कलेक्टर, जिला खण्डवा	सदस्य
	प्रतिनिधि	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग खण्डवा	सदस्य
	प्रतिनिधि	कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, खण्डवा	सदस्य
	प्रतिनिधि	जिला वन मण्डलाधिकारी, जिला खण्डवा	सदस्य
झ	समिति का संयोजक	उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय खण्डवा म. प्र.	सदस्य, सचिव

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. के. साधव, उपसचिव.

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 मई 2016

क्र. एफ. 13-05-2016-तेरह.—यतः, मेसर्स वेकमेट इंडिया लिमिटेड द्वारा औद्योगिक क्षेत्र उज्जैनी जिला धार में स्थापित किए जा रहे प्लास्टिक एवं कोटेड फिल्म के निर्माण की परियोजना में स्थानीय लोगों को रोजगार के विपुल अवसर एवं वृहद् निवेश को ध्यान में रखते हुए तथा “उद्योग संवर्धन नीति एवं कार्य योजना 2014” के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग के आदेश क्रमांक एफ-16-19-2015-बी-11, दिनांक 14 अक्टूबर, 2015 द्वारा उक्त परियोजना द्वारा उपभोग की जाने वाली विद्युत् पर विद्युत् शुल्क के भुगतान से 10 वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान की गई है;

अतः मध्यप्रदेश विद्युत् शुल्क अधिनियम, 2012 (क्रमांक 17, सन् 2012) की धारा 5 के खण्ड (एक) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मेसर्स वेकमेट इंडिया लिमिटेड द्वारा औद्योगिक क्षेत्र उज्जैनी जिला धार में स्थापित की जा रही प्लास्टिक एवं कोटेड फिल्म के निर्माण की इकाई हेतु ग्रिड से प्रदाय की गई विद्युत् के उपभोग पर विद्युत् शुल्क के भुगतान से 10 वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान करती है.

(2) यह अधिसूचना “मध्यप्रदेश राजपत्र” में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी तथा 10 वर्ष की अवधि तक के लिए प्रभावी रहेगी.

No. F-13-05-2016-XIII.—Whereas, looking to the opportunities of employment to local residents in large number and huge investment through the proposed project of M/s Vacmet India Ltd., being established in the industrial area of Ujjaini, District Dhar to manufacture plastic and coated films and to achieve the objectives of “Industrial Promotion policy and Action Plan 2014”, the Commerce, Industries and Employment Department, vide its order No. F-16-19-2015-B-XI, dated the 14th October, 2015 has exempted the said project from the payment of electricity duty on consumption of electricity for a period of 10 years.

Now, Therefore, in exercise of the powers conferred by clause (i) of Section 5 of the Madhya Pradesh Vidyut Shulk Adhinyam, 2012 (No. 17 of 2012), the State Government, hereby, exempts the project of M/s Vacmet India Ltd. being established in Ujjaini, District Dhar for manufacture of plastic and coated films, from payment of electricity duty for a period of 10 years on consumption of electricity supplied from the grid.

This notification shall come into force from the date of publication in the “Madhya Pradesh Gazette” and shall remain in force for a period of 10 years.

भोपाल, दिनांक 30 मई 2016

क्र. एफ. 13-08-2016-तेरह.—यतः, मेसर्स रिलायन्स डिफेंस एंड एयरो स्पेस भोपाल में प्रस्तावित एयरो स्पेस पार्क परियोजना द्वारा स्थानीय लोगों को रोजगार के विपुल अवसरों तथा परियोजना में वृहद् निवेश को देखते हुए तथा उद्योग संवर्धन नीति, 2014 एवं मध्यप्रदेश रक्षा संयंत्र उत्पाद निवेश नीति के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग ने अपने आदेश क्रमांक 16-36-2015-बी-11, दिनांक 5 फरवरी, 2016 द्वारा उक्त प्रस्तावित परियोजना को विद्युत् को उपभोग पर 12 वर्ष की अवधि के लिये विद्युत् शुल्क के भुगतान से छूट प्रदान की है;

अतएव, मध्यप्रदेश विद्युत् शुल्क अधिनियम, 2012 (क्रमांक 17, सन् 2012) की धारा 5 के खण्ड (एक) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मेसर्स रिलायन्स डिफेंस एंड एयरो स्पेस लिमिटेड द्वारा भोपाल में स्थापित की जा रही एयरो स्पेस पार्क परियोजना को ग्रिड से प्रदाय की गई विद्युत् के उपभोग पर विद्युत् शुल्क के भुगतान से 12 वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान करती है.

(2) यह अधिसूचना “मध्यप्रदेश राजपत्र” में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी तथा 12 वर्ष की अवधि तक के लिए प्रभावी रहेगी.

No. F-13-08-2016-XIII.—Whereas, looking to the opportunities of employment to local residents in large number and huge investment through the AERO Space Park Project of M/s Reliance Defence and Aero Space Limited proposed in Bhopal and to achieve the objectives of Industrial Promotion Policy, 2014 and the Madhya Pradesh Defence Production Investment Promotion Policy, the Commerce, Industries and Employment Department vide its order No. F-16-36-2015-B-XI, dated 5-2-2016 has exempted the said proposed project from the payment of electricity duty on consumption of electricity for a period of 12 years.

Now, Therefore, in exercise of the powers conferred by clause (i) of Section 5 of the Madhya Pradesh Vidyut Shulk Adhinyam, 2012 (No. 17 of 2012), the State Government, hereby, exempts the Aero Space Park project of M/s Reliance Defence and Aero Space Ltd., being established in Bhopal from the payment of electricity duty on consumption of the electricity supplied from the grid for a period of 12 years.

This notification shall come into force from the date of its publication in “Madhya Pradesh Gazette” and shall remain in force for a period of 12 years.

क्र. एफ. 13-20-2009-तेरह.—यतः, वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग ने अपने आदेश क्रमांक एफ-16-18-2015-बी-ग्यारह, दिनांक 8 फरवरी, 2016 द्वारा मेसर्स भारत ओमान रिफायनरी लिमिटेड, बीना द्वारा रुपये 2855 करोड़ के स्थायी पूंजी निवेश से क्रियान्वित की जा रही विस्तार परियोजना द्वारा उपभोग की गई विद्युत् दर विद्युत् शुल्क के भुगतान से 10 वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान की है।

अतः मध्यप्रदेश विद्युत् शुल्क अधिनियम, 2012 (क्रमांक 17, सन् 2012) की धारा 5 के खण्ड (एक) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, मेसर्स भारत ओमान रिफायनरी लिमिटेड, बीना द्वारा प्रस्तावित उक्त विस्तार परियोजना को विद्युत् वितरण कंपनी की ग्रिड से प्रदाय की गई विद्युत् के उपभोग पर विद्युत् शुल्क के भुगतान से 10 वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान करती है।

परन्तु उक्त मेसर्स भारत ओमान रिफायनरी लिमिटेड, बीना को अपनी विस्तार परियोजना के लिये विद्युत् के उपभोग पर विद्युत् शुल्क से छूट प्राप्त करने के लिए मध्यप्रदेश विद्युत् शुल्क अधिनियम 2012 (क्रमांक 17, सन् 2012) की धारा 15 की उपधारा (2) की कंडिका (ख) तथा मध्यप्रदेश विद्युत् शुल्क अधिनियम, 1949 के नियम 10 के उपनियम (1) के अधीन एक पृथक् मीटर संस्थापित करना होगा।

यह अधिसूचना "मध्यप्रदेश राजपत्र" में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी तथा 10 वर्ष की अवधि तक के लिए प्रभावी रहेगी।

No. F-13-20-2009-XIII.—Whereas, the Commerce, Industries and Employment Department *vide* its order No. F-16-18-2015-B-XI, dated 8th February, 2016 has exempted the expansion project of M/s Bharat Oman Refinery Limited, Bina being implemented with permanent capital investment of Rs. 2855 crores from the payment of electricity duty on consumption of electricity for a period of 10 years:

Now, Therefore, in exercise of the powers conferred by Section 5 of the Madhya Pradesh Vidyut Shulk Adhiniyam, 2012 (No. 17 of 2012), the State Government, hereby, exempts the aforesaid expansion project of M/s Bharat Oman Refinery Limited, Bina from payment of electricity duty on consumption of the electricity supplied from the grid of Distribution Company for a period of 10 years.

Provided that the said M/s Bharat Oman Refinery Limited, shall have to install a separate meter for its expansion project in view of the provisions of clause (b) of sub-section (2) of Section 15 of Mahdya Pradesh

Vidyut Shulk Adhiniyam, 2012 (No. 17 of 2012) and sub-rule (1) of Rule 10 of Mahdya Pradesh Electricity Duty Rules, 1949 for grant of exemption from electricity duty for consumption of electricity by the aforesaid project.

This notification shall come into force from the date of its publication in "Madhya Pradesh Gazette" and shall remain in force for a period of 10 years.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आई. सी. पी. केशरी, प्रमुख सचिव.

उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 जून 2016

क्र. एफ 5-4-2012-अट्टावन.—राज्य शासन, मध्यप्रदेश फल पौध रोपणी (विनियमन) अधिनियम, 2010 की धारा 8 (1) ख के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश फल पौध रोपणी (विनियमन) अधिनियम, 2010 के अन्तर्गत बने मध्यप्रदेश फल पौध रोपणी (विनियमन) नियम, 2011 के संदर्भ में पंजीकृत शासकीय/निजी क्षेत्र के रोपणियों से विक्रय किये जाने वाले निम्नांकित फल-फौधों की वर्ष 2016-17 के लिए अधिकतम दर कॉलम क्रमांक 3 में दर्शाये अनुसार घोषित करता है:—

क्रमांक	नाम फल-पौध	वर्ष 2016-17 में दर प्रति फल-पौध
(1)	(2)	(3)
1	आम कलमी (सभी किस्में)	50/-
2	आम बीजू	15/-
3	अमरूद गूटी	30/-
4	अमरूद बडेड	35/-
5	अमरूद बीजू	15/-
6	नींबू गूटी	25/-
7	नींबू बीजू	15/-
8	मौसम्बी बडेड	40/-
9	संतरा बडेडे	40/-
10	कटहल बीजू	15/-
11	सीताफल बीजू	15/-
12	अनार गूटी	30/-
13	अनार टिश्यूकल्चर	33/-
14	जामून बीजू	15/-
15	फालसा बीजू	15/-
16	शहतूत (रूटेट कटिंग)	15/-

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
17	ऑवला बडेड	30/-	26	लीची गूटी	50/-
18	ऑवला बीजू	15/-	27	अंगूर रूटेड कटिंग	15/-
19	चीकू (ग्राफ्टेड)	40/-	28	नाशपाती बडेड	25/-
20	बेर बडेड	25/-	उपरोक्त दरें आगामी अधिसूचना जारी/प्रकाशित होने तक प्रभावशाली रहेंगी.		
21	करौंदा बीजू	10/-			
22	पपीता पौध बीजू (सभी उन्नत किस्में).	15/-	मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुप कुमार मुण्डा, अवर सचिव.		
23	पपीता संकर किस्में बीजू	20/-			
24	केला कन्द	10/-			
25	केला टिशूकल्चर	15/-			

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 23 मई 2016

रा. प्र. क्र.-01-अ-82-2015-2016-भू-अर्जन-2016.—मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल का आदेश क्रमांक एफ-12-2-2014-सात-शा. 2 ए, भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी "आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति" (Consent Land Purchase Policy) के तहत चांद-बांदगांव मार्ग के 5/6 किमी. में धुआधार नाला पर निर्माणाधीन पुल के पहुंच मार्ग निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि क्रय किये जाने हेतु मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग के पक्ष में क्रय किया जाना प्रस्तावित है. उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप "क" में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप "ख" में सहमति ले ली गई है.

इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में चांद-बांदगांव मार्ग के 5/6 किमी. में धुआधार नाला पर निर्माणाधीन पुल के पहुंच मार्ग निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन—

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	क्रय की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के भूमि स्वामी का नाम एवं पता	खसरा नम्बर	क्रय किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)	योजना जिसके लिये भूमि क्रय की जाना प्रस्तावित है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
छिन्दवाड़ा	चांद	ग्राम-चंदनगांव प. ह. नं.-35, ब. नं.-77, रा. नि. मं.- चांद.	1. रणधीर सिंह पिता बाबूलखन सिंह रघुवंशी निवासी ग्राम-भूमिस्वामी.	12	0.075	चांद-बांदगांव मार्ग के 5/6 किमी. में धुआधार नाला पर निर्माणाधीन पुल के पहुंच मार्ग निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये
कुल योग . .					0.075	

(2) उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के संबंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू-भाग पर स्थित सम्पत्तियों के संबंध में कोई आक्षेप/आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.

रा. प्र. क्र.-02-अ-82-2015-2016-भू-अर्जन-2016.—मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल का आदेश क्रमांक एफ-12-2-2014-सात-शा. 2 ए, भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी “आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति” (Consent Land Purchase Policy) के तहत समसवाडा सांख खमरा मार्ग में ओडा नाले पर पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि क्रय किये जाने हेतु मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग के पक्ष में क्रय किया जाना प्रस्तावित है. उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप “क” में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप “ख” में सहमति ले ली गई है.

इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में समसवाडा सांख खमरा मार्ग में ओडा नाले पर पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन—

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	क्रय की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के भूमि स्वामी का नाम एवं पता	खसरा नम्बर	क्रय किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)	योजना जिसके लिये भूमि क्रय की जाना प्रस्तावित है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
छिन्दवाड़ा	चांद	ग्राम-हिरी, प. ह. नं.-25, ब. न.-312, रा. नि. मं.- चांद.	1. तिज्जू पिता झिकन गोंड निवासी ग्राम-भूमिस्वामी 2. भैयालाल पिता झिकन गोंड निवासी ग्राम-भूमिस्वामी.	225/1, 226/1, 227/1 225/4, 226/2, 227/2	0.190 0.030	समसवाडा सांख खमरा मार्ग में ओडा नाले पर पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु. निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये

कुल योग . . . 0.220

(2) उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के संबंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू-भाग पर स्थित सम्पत्तियों के संबंध में कोई आक्षेप/आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.

रा. प्र. क्र.-03-अ-82-2015-2016-भू-अर्जन-2016.—मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल का आदेश क्रमांक एफ-12-2-2014-सात-शा. 2 ए, भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी “आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति” (Consent Land Purchase Policy) के तहत चांद-बांदगांव मार्ग के 5/6 किमी. में धुंधाधार नाला पर निर्माणाधीन पुल के पहुंच मार्ग निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि क्रय किये जाने हेतु मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग के पक्ष में क्रय किया जाना प्रस्तावित है. उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप “क” में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप “ख” में सहमति ले ली गई है.

इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में चांद-बांदगांव मार्ग के 5/6 किमी. में धुंआधार नाला पर निर्माणाधीन पुल के पहुंच मार्ग निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन—

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	क्रय की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के स्वामी का नाम एवं पता	खसरा नम्बर	क्रय किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)	योजना जिसके लिये भूमि क्रय की जाना प्रस्तावित है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
छिन्दवाड़ा	चांद	ग्राम-मोघर प. ह. नं.-23, ब. न.-236, रा. नि. मं.- चांद.	1. कलाबाई वि. बेनीप्रसाद संग्रामसिंह, धनराम सिंह, भगतसिंह पिता बेनीप्रसाद, एनकुमारी सुनीता पिता बेनीप्रसाद रघुवंशी निवासी ग्राम-भूमिस्वामी. 2. धनरामसिंग पिता बेनीरामसिंग रघुवंशी निवासी-ग्राम भूमिस्वामी.	212/1 214, 215/3	0.190 0.130	चांद-बांदगांव मार्ग के 5/6 किमी. में धुंआधार नाला पर निर्माणाधीन पुल के पहुंच मार्ग निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये.
कुल योग . .					0.320	

(2) उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के संबंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू-भाग पर स्थित सम्पत्तियों के संबंध में कोई आक्षेप/आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रतलाम मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रतलाम, दिनांक 26 अप्रैल 2016

क्र. 1082-भू-अर्जन-2015-16-प्रकरण क्र. 03-अ-82-15-16.—एतद्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि केशरिया कुण्ड तालाब तहसील बाजना जिला रतलाम के निर्माण हेतु खाताधारकों की निजी भूमि मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ 12-2/2014/सात/2ए/भोपाल, दिनांक 12-11-2014 के तहत आपसी सहमति से क्रय किया जाना प्रस्तावित है.

अतः निम्नलिखित भूमि से किसी व्यक्ति/संस्था को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह अधोहस्तारकर्ता के न्यायालय में सूचना प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत करें. नियत अवधि पश्चात् किसी भी प्रकार की आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा:—

ग्राम बाजना पटवारी हल्का नंबर 26—

क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)			परिसंपत्ति का विवरण
			सिंचित	असिंचित	कुल	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	प्रमोद, महेश पिता हरिओम, उषाबाई बेवा हरिओम, भूरी, संगु पिता हरिओम लोहार.	194	0.01	—	0.01	—

ग्राम हमीरगंज पटवारी हल्का नंबर 26—

क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)			परिसंपत्ति का विवरण
			सिंचित	असिंचित	कुल	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	कन्हैयालाल पिता डाड़मचन्द्र, रामकन्या बेवा डाड़मचन्द्र, हीरीबाई बेवा लालचन्द्र टांक, निवासी बाजना.	31/1 10 4	— — 1.00	0.30 0.30 1.90	0.30 0.30 2.90	—
			योग . .	1.00	2.50	3.50
2	कन्हैयालाल पिता डाड़मचन्द्र, टांक, निवासी बाजना.	7	—	0.50	0.50	—
3	शांतिबाई पिता लालचंद टांक, निवासी बाजना.	6	—	0.60	0.60	—
4	कमलाबाई, विजयकुमारी पिता मोहनलाल राजपजू, निवासी बाजना.	3	0.85	—	0.85	—

ग्राम इमलीपाड़ा पटवारी हल्का नंबर 27—

1	पूजा पिता नाथू भील भगोरा, निवासी इमलीपाड़ा.	147	—	0.20	0.20	—
2	कुशल, सरदार, बड़िया कमजी, कांजी, मांगु पिता ओंकार, भूली, बेवा उंकार, निवासी इमलीपाड़ा.	133 76	— —	0.12 0.71	0.12 0.71	— —
			योग . .	—	0.83	0.83
3	हरचन्द्र, गोतम, गुड्डा भुंदिया पिता कानजी, ऐत्री बेवा कांजी ना. बा.स माता ऐत्री व चंपली बेवा वालिया खराड़ी नि. इमलीपाड़ा.	132	—	0.31	0.31	—
4	कमल कुमार, रोहित कुमार पिता चांदमल, कांतिबाई बेवा चांदमल जैन निवासी बाजना.	75 74 73 72	0.80 0.19 — —	0.19 — 0.29 0.48	0.99 0.19 0.29 0.48	—
			योग . .	0.99	0.96	1.95
5	कुशल पिता ओंकार भील डामर, निवासी इमलीपाड़ा.	71	—	0.80	0.80	—
6	दहलिंग पिता वालिया भील, निवासी इमलीपाड़ा.	79/2 78	— 0.20	0.35 —	0.35 0.20	—
			योग . .	0.20	0.35	0.55

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7	चुन्नीलाल, शक्कु, रमेश पिता कचरा भील मईड़ा, इमलीपाड़ा.	77	—	0.25	0.25	
8	कोदर पिता विन्जा भील कटारा, निवासी इमलीपाड़ा.	148/1	—	0.10	0.10	
9	मलिया पिता कालु भील भगोरा, निवासी इमलीपाड़ा.	162	—	0.40	0.40	
10	हरचन्द्र, गौतम, गड्डा भुरिया पिता कानजी, ऐत्री बेवा कांजी भील खराड़ी. निवासी इमलीपाड़ा.	81 79/1 80	0.15 0.12 —	0.60 — 0.20	0.75 0.12 0.20	
			योग : 0.27	0.80	1.07	
11	मांगू पिता नाथू भील निवासी इमलीपाड़ा	65	—	0.13	0.13	
ग्राम लालपुरा पटवारी हल्का नंबर 27—						
1	देवा, नाहरिंग पिता गज्जा भील झोड़िया निवासी लालपुरा.	205	—	0.24	0.24	
2	बापूलाल, बहादुर, करण, मोतीलाल पिता फूलजी भील दामा, निवासी लालपुरा.	207	0.20	0.22	0.42	
3	शंकर, सुखलाल पिता जोतिया भुरिया, पिता जोतिया ना.बा.स. माता मोतीबाई पुत्रियां तिनकी, कांता, अनिता, पंकी, रेखा पिता जोतिया, मोतीबाई बेवा जोतिया, निवासी लालपुरा.	228/1	—	0.02	0.02	
4	नाकू पिता हीरिया भील झोड़िया, निवासी ग्राम लालपुरा.	228/3	—	0.02	0.02	
5	विजय पिता मोतिया, विनोद, शेलेन्द्र ना.बा.स. पिता मोतिया, सुखवंती बेवा मोतिया, लालपुरा.	228/2	—	0.02	0.02	
6	खातिया पिता हीरिया भील झोड़िया, निवासी लालपुरा.	228/4	—	0.02	0.02	
7	धूलजी पिता जोखा भील निनामा, निवासी लालपुरा	229/1	—	0.11	0.11	
8	हकरू पिता जोखा भील निनामा, निवासी लालपुरा.	229/2	—	0.10	0.10	
9	हुमला, रूपचंद्र, बदिया, पुनिया पिता बारिया भील झोड़िया, निवासी लालपुरा.	232 230 226	— — —	0.10 0.11 0.11	0.10 0.21 0.11	
			योग : —	0.42	0.42	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10	तोलिया पिता हुकला (हालू) भील, निवासी लालपुरा.	225	-	0.20	0.20	
11	थावरा पिता दहलिंग निनामा, निवासी लालपुरा.	233	-	0.40	0.40	
12	कुशाला, सरदार, बदिद्या, कानजी, मांगु पिता उंकार, भूली बेवा उंकार, कालू पिता कमजी, लक्ष्मण, मोहन पिता कमजी, तोला, अनिता, मुन्ना पिता कमजी व ब्दु बेवा कमजी भील डामर, निवासी लालपुरा.	239 242 244	- - -	0.20 0.10 0.10	0.20 0.10 0.10	
			योग :	-	0.40	0.40
13	रामेश्वर पिता खातु भील, निनामा, निवासी लालपुरा.	241 243	- -	0.30 0.20	0.30 0.20	
			योग :	-	0.50	0.50
14	सोहन पिता कालू डामर, निवासी लालपुरा.	247/3/1	-	0.15	0.15	
15	नाथू पिता दीपा भील, निवाली लालपुरा.	224	-	0.10	0.10	
16	नाकू पिता हिरीया, लक्ष्मी पति नाकू, भील झोड़िया निवासी लालपुरा.	227/2	-	0.25	0.25	
17	सोहन पिता थावरा, कमला पति सोहन, निवासी लालपुरा.	227/3	0.20	0.20	0.40	
18	मड़ी बेवा बारिया भील झोड़िया, निवासी लालपुरा.	227/4	-	0.30	0.30	

क्र. 1080-भू-अर्जन-2015-16-प्र. क्र. 04-अ-82-15-16.—एतद्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मोरिया तालाब, तहसील जावरा, जिला रतलाम के निर्माण से छूटे गये ग्राम मोयाखेड़ा के सर्वे क्रमांक 833, रकबा 0.330 हेक्टर निजी खाताधारक की भूमि मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ 12-2/2014/सात/2ए/भोपाल, दिनांक 12-11-2014 के तहत आपसी सहमति से क्रय किया जाना प्रस्तावित है.

अतः निम्नलिखित भूमि से किसी व्यक्ति/संस्था को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह अधोहस्तारकर्ता के न्यायालय में सूचना प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत करें. नियत अवधि पश्चात् किसी भी प्रकार की आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा:—

ग्राम मोयाखेड़ा, पटवारी हल्का नम्बर 3

क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)			परिसंपत्ति का विवरण
			सिंचित	असिंचित	कुल	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	नाथु नाथ पिता कारू नाथ व प्रकाशीबाई पति नाथु नाथ कालबेलिया, निवासी ग्राम मोयाखेड़ा.	833	0.330	-	0.330	-

रतलाम, दिनांक 30 मार्च 2016

क्र. 869-भू-अर्जन-2016-प्र. क्र. 02-अ-82-2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 (1) की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11(1) की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11(1) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल खसरा नं. रकबा (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रतलाम	रतलाम	रतलाम	1052/01	0.040	सचिव, कृषि उपज मण्डी, रतलाम. कृषि उपज मण्डी प्रांगण विस्तार हेतु भू-अर्जन बाबत.
			1057	0.500	
			1058	0.400	
			1064/1	0.140	
			1064/4	0.050	
			1064/5	0.050	
			1064/11	0.030	
			1064/3	0.100	
			1072/1	0.740	
			1072/2	0.200	
			1078/1	0.500	
			1063/2	0.360	
			1063/1	0.200	
			1063/3	0.300	
			1063/4	0.200	
			1063/5/1	0.110	
			1063/5/2	0.090	
			1063/6	0.200	
			1063/7	0.175	
			1063/8	0.175	
			1042	0.150	
			योग :	4.710	

(2) भूमि का नक्शा व प्लान का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड रतलाम शहर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. चंद्रशेखर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बड़वानी एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बड़वानी, दिनांक 12 मई 2016

क्र. 2245-भू-अर्जन-2015-16-रा.प्र. क्र. 05-अ-82-1015-16.—

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 की उपधारा (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि, उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अनुसूची (1) में वर्णित भूमि वन भूमि होने से वन अधिकार अधिनियम के तहत वनाधिकारों के धारकों की भूमि के अधिकारों का अर्जन किया जाना है। किसी भी परिवार का विस्थापन नहीं किया जाना है। इसलिए धारा-19(2) के तहत घोषणा के सार के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है।

—:: अनुसूची - (1) ::—

(1) भूमि का वर्णन :-

(क) जिला —

(ख) तहसील —

(ग) ग्राम —

(घ) लगभग क्षेत्रफल —

बड़वानी

वरला

हिंगवा -

वनाधिकार मान्यता अधिनियम 2006

के तहत पट्टाधारी द्वारा धारित वन

भूमि का क्षेत्रफल-46.976 हेक्टेयर

क.	वन अधिकार पत्र धारक कृषक का नाम	कक्ष क्रमांक	वन अधिकार पत्र के नक्शे का क्रमांक	जुब प्रभावित रकबा हे. में.			अन्य परिसम्पत्तियाँ
				सिंचित	असिंचित	योग	
(1)	(2)	(3)	(4)	5	6	7	8
1.	शांतिलाल पिता करचंद	179	174933303001	0.958	--	0.958	मकान कच्चा-1, टेमरू-1
		179	--	--	--	--	
	योग :-	02	--	0.958	--	0.958	--
2	सुरसिंग सुड़िया बारेला	179	174931737001	1.451	--	1.451	मकान कच्चा-1 पक्का-1, पशुघर-1 बासभिर्रा-5, महुआ-1
3	विजय पिता तानसिंग	179	174931916001	2.322	--	2.322	आम-1, अंजन-1, मोहना-1, सलई-1
4	नितिन पिता लोहज्या बारेला	179	174933175001	--	2.066	2.066	मकान कच्चा-1, पशुघर-1 कुआँ कच्चा-1
5	सेवाराम बिसन बारेला	179	174932878001	--	0.830	0.830	--
		179	174932878002	--	1.009	1.009	--
	योग :-	02	--	--	1.839	1.839	--

1	2	3	4	5	6	7	8
6	शिवदास देवचंद	179	174932850001	--	0.216	0.216	कुआँ कच्चा-1, बासभिरा-8;
7	कैलाश तोतीराम	179	174933177001	--	0.202	0.202	बासभिरा-1
8	पुटिया कानजी बारैला	179	174933283001	--	1.439	1.439	मकान कच्चा-1, कुआँ कच्चा-1, बासभिरा-2
9	राजबहादुर दरबार	179	174932873001	1.000	0.264	1.264	---
10	अनिल दरबार बारैला	179	174932872001	2.129	--	2.129	टेमरू-1
11	दरबार सुरभान	179	174931685001	2.000	0.580	2.580	---
12	गारस्या गुँजार बारैला	179 179	-- 174933280002	-- --	-- 0.318	-- 0.318	---
	योग :-	02	--	--	0.318	0.318	---
13	नरसिंग गुँजारिया	179	174933309001	--	0.730	0.730	अंजन-2
14	हरसिंग केकड़िया	179	174933185001	--	1.260	1.260	आम-2
15	जगन ठेमर्या	179 179	174933184001 ---	-- --	0.830 --	0.830 --	---
	योग :-	02	---	--	0.830	0.830	---
16	ईश्वर पिता हुकुमचंद बारैला	06	174933273001	1.202	--	1.202	कलम-1, महुआ-1
17	कैलाश सुखलाल	06	174931697001	--	0.582	0.582	---
18	मोतीराम पिता बिसन	06	174932828001	1.521	--	1.521	कुँआ कच्चा -1 गुलर-1, कलम-1 चारोली-1 टेमरू-5
19	चमारिया गुलसिंग	06	174932842001	--	1.640	1.640	अंजन-1, टेमरू-2, धावड़ा-3, कलम-1
20	लकड़ा सुरसिंग	06	174932843001	--	0.961	0.961	पलास-6, साजोड़ा-1
21	भावला गुलसिंग	06	174932844001	--	2.056	2.056	---
22	जाहरिया रूपसिंग	06	174932837001	--	0.809	0.809	---
23	पांड्या भंगी	06	174932852001	--	3.543	3.543	मकान कच्चा-1
24	लालसिंग सुखलाल	06	174931699001	--	0.595	0.595	---
25	रमेश रूस्तम	06	174932840001	--	0.869	0.869	---
26	राणा रूस्तम	06	174932841001	--	1.037	1.037	---
		06	174932841002	--	1.332	1.332	---
	योग:-	02	--	--	2.369	2.369	---
27	रूमालसिंग थानसिंग	182	174931723001	--	3.613	3.613	बाँसभिरा-2
28	थानसिंग दला	182	174931722001	--	1.000	1.000	कुँआ कच्चा-1 बाँसभिरा-5
29	जगन चमार	180	174931684001	0.307	--	0.307	कुँआ कच्चा-1 बेहड़ा-1 बाँसभिरा-2
30	भुरू चमार बारैला	179	174931682001	2.000	--	2.000	---
31	भंगी सुरसिंग बारैला	179	174932877001	--	0.234	0.234	---
32	तानसिंग गिरधर	179	174931914001	2.000	0.398	2.398	कुँआ कच्चा-1, मकान पक्के-2 मकान कच्चा-1 पशु घर -1 द्यूबवेल-1 पानी का होद-1 आम-1, बाँसभिरा-5, सेमल-1, खेर-1, साजोड़ा-2

	1- हुकुमचन्द पिता गिरधर	179	--	--	--	--	पक्का मकान-1, ट्रेक्टर शेड-1
	2- ईश्वर पिता हुकुमचन्द	179	--	--	--	--	पक्का मकान-1
	3-माकीराम पिता मोहन्या	179	--	--	--	--	पक्का मकान-1
	4-फूलसिंग पिता मनस्या	179	--	--	--	--	कच्चा टप्पर-1
	5- लटू पिता नूरजी	179	--	--	--	--	कच्चा टप्पर-1
	6- गिलदार पिता लटू	179	--	--	--	--	कच्चा टप्पर-1, पानी का होज-1
	7- सेकड़िया पिता नूरजी	179	--	--	--	--	कच्चा टप्पर-1
	8- मोहन पिता मंगलसिंग	179	--	--	--	--	कच्चा टप्पर-1
33	शोभाराम भलजी	180	174933298001	--	0.153	0.153	--
34	भलजी मनस्या	180	174933297001	--	0.699	0.699	बांस भिरा-2
35	गणपत गंजी	180	174933270001	--	0.604	0.604	मकान कच्चा-2 कच्चा कुओं-1 आम-2, जामुन-1 ईमली-2, बासभिरा-1
36	जगन सायमल	180	174933260001	0.217	--	0.217	बासभिरा-4
शासकीय परिसम्पत्तियाँ							
	विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयक (आ.जाति कल्याण विभाग) संघवा	179	---	---	---	---	शा.प्रा.मा.वि.भवन एवं अतिरिक्त कक्ष, किचन शेड
	मुख्य कार्य. अधि. जनपद पंचायत संघवा	179	---	---	---	---	सामुदायिक भवन
	एस.डी.ओ (पी.एच.ई) विभाग संघवा	179	---	---	---	---	हेण्डपम्प-1
	एकीकृत बाल विकास विभाग वरला	179	---	---	---	---	आंगनवाड़ी भवन-1
	योग:-		----	17.107	29.869	46.976	

--: अनुसूची - (2) ::-

सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है :- टोरी तालाब परियोजना
निर्माण हेतु।

भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन कलेक्टर जिला बड़वानी, अनुविभागीय अधिकारी
(राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी संघवा एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, संभाग
बड़वानी के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजयसिंह गंगवार, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

राजगढ़, दिनांक 1 जून 2016

प्रत्र क्र. 4771-4772-

क्र. 2014-15-प्र.क.3-अ-82-14-15- चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में टोंका तालाब योजना तहसील ब्यावरा, जिला-राजगढ़ की तालाब योजनांतर्गत ग्राम टोंका एवं नेठाठारी के लिए आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) के उल्लेखित है, अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का आधिकार अधिनियम, 2013 (क्र.30 सन् 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है:-

अनुसूची (1)

स. क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्ट. में)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
1	2	3	4	5
1.	निजि भूमि टोंका	7.342	0.362	7.704
2.	निजि भूमि नेठाठारी	0.220	-	0.220
कुल योग		7.562	0.362	7.924

टोंका तालाब योजना

ग्राम - टोंका, तहसील-ब्यावरा, जिला-राजगढ़

अनुसूची (2)

टोंका तालाब योजना में आने वाली निजि भूमि का विवरण (पूरक प्रकरण)

स. क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	सर्वे नम्बर	कुल भूमि का रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	राम चन्द्र पिता कनीराम जाति लोदा, ग्राम टोंका	339	0.152	0.010	0.049	0.059
2.	प्रेमसिंह पिता भागमल, जाति लोदा, ग्राम टोंका	249/385	1.378	0.328	-	0.328

स. क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	सर्वे नम्बर	कुल भूमि का रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	कुल
3	जालम पिता कन्हैयालाल, जाति भील, ग्राम टोंका	110/19	0.800	0.670	-	0.670
4	मिश्रीलाल पिता देवीराम, जाति लौदा, ग्राम टोंका	181/2/1	0.133	0.053	-	0.053
5	रोड़िया पिता शंकर, जाति लौदा, ग्राम टोंका	183/5	0.111	0.111	-	0.111
6	बृजराज सिंह पिता केशर सिंह, जाति राजपूत, ग्राम टोंका	191/3/1	0.210	0.210	-	0.210
		193/1	0.595	0.200	-	0.200
		191/2	0.443	0.200	-	0.200
		योग :		0.610	-	0.610
7	फतेसिंह पिता केशर सिंह, जाति राजपूत, ग्राम टोंका	191/3/2	0.309	0.309	-	0.309
		192/1	0.949	0.080	-	0.080
		योग :		0.389	-	0.389
8	खेमा पिता देवीराम, जाति लौदा, ग्राम टोंका	183/2	0.111	0.111	-	0.111
9	गोविन्दराम पिता रुघनाथ, जाति लौदा, ग्राम टोंका	183/4/2	0.055	0.055	-	0.055
		226/2/2	0.854	0.400	-	0.400
		योग :		0.455	-	0.455
10	कन्हैयालाल पिता रुघनाथ, जाति लौदा, ग्राम टोंका	183/4/1	0.056	0.056	-	0.056
		226/2/1	0.854	0.400	-	0.400
		योग :		0.456	-	0.456
11	रामकुंवर बाई बेवा हरिकिशन, जाति राजपूत, ग्राम टोंका	181/1/1	0.253	0.253	-	0.253
12	केशर बाई बेवा दुर्गा, जाति लोदा, ग्राम टोंका	254	1.063	0.019	-	0.019
13	मांगीलाल पिता रामा जाति लोदा	249/1	0.381	0.381	-	0.381

स. क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	सर्वे नम्बर	कुल भूमि का रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	कुल
14	शिवराज सिंह पिता कल्याण सिंह, जाति राजपूत, ग्राम टोंका	253/1	0.531	0.125	-	0.125
15	नन्द कुंवर वेवा भोनी सिंह, जाति राजपूत, ग्राम टोंका	255/1/2	0.253	0.125	-	0.125
16	छोटेलाल पिता देवीराम, जाति लोदा, ग्राम टोंका	181/2/2	0.133	0.045	-	0.045
17	हजारीलाल पिता भंवरजी, जाति लोदा, ग्राम टोंका	252/3	0.560	0.100	-	0.100
18	तेजपाल सिंह, विश्वनाथ सिंह पिता गजेन्द्रसिंह, पेप कुंवर बेवा गजेन्द्रसिंह, जाति राजपूत, ग्राम टोंका	246/1	1.429	0.200	-	0.200
19	उच्चप कुंवर पति प्रभुनाथ सिंह, जाति राजपूत, ग्राम टोंका	189	0.063	-	0.063	0.063
20	रामसिंह, नाथूलाल पिता प्रभुलाल, जानकीबाई पति स्व. प्रभुलाल जाति लोधा नि.ग्र. टोंका	183/3	0.111	0.111	-	0.111
		196/2	1.277	0.877	-	0.877
		योग :		0.988		0.988
21	सुरेश पिता पन्नालाल, जाति लौदा, ग्राम टोंका	191/1/3	0.210	0.026	-	0.026
22	गुलाब बाई पति जगन्नाथ, जाति लोदा, ग्राम टोंका	227/1	0.399	0.013	-	0.013
23	रेशम बाई पुत्री गोदिया, जाति चमार, ग्राम टोंका	9/8	1.012	0.140	-	0.140
24	सोनी बाई पति मिश्रीलाल, जाति लोदा, ग्राम टोंका	18/3	0.530	0.026	-	0.026
25	राय सिंह पिता गोविंदराम, जाति चमार, ग्राम टोंका	100/2/1	0.495	0.008	-	0.008
26	जालम सिंह, देवराज सिंह, नेपाल सिंह, सोनाथ सिंह पिता भीम सिंह, हेम कुंवर, जाति राजपूत, ग्राम टोंका	341/1/3	0.269	0.079	-	0.079

स. क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	सर्वे नम्बर	कुल भूमि का रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	कुल
27	हरिकिशन/भंवरजी जाति लोदा	252/2	0.560	0.030	-	0.030
28	नारायण कुंवर पति शैतान सिंह जाति राजपूत, नि. ग्रा. टोंका	255/1/1	0.253	0.253	-	0.253
29	कमल सिंह पिता शैतानसिंह जाति राजपूत, ग्राम टोंका	220/1/1	0.916	0.266	-	0.266
30	जशवन्त सिंह पिता भोनीसिंह जाति राजपूत, नि.ग्रा. - टोंका	220/1/2	0.917	0.267	-	0.267
31	रंगलाल, बक्शू, रमेश पिता गोंदिया, गुलाब, हरि कैलाश पिता भीमा, गेन्दीबाई बेवा भीमा, बंशीलाल, करणसिंह पिता छोटिया, बसंती बाई बेवा छोटिया, धन्ना पिता बाबरू, नन्द जी पिता पन्ना, केशर बाई बेवा अमरा, बुधराम, कमल पिता अमरा, छीतर, कालू, चम्पा पिता ऊंकार, मांगीलाल, मानसिंह, बीरम, बद्रीलाल पिता बालकिशन, चम्पी बाई बेवा बालकिशन, गोविन्दराम पिता गंगाधर, रामप्रसाद, सेवा पिता हजारी, सम्पत बाई बेवा हजारी जाति चमार हि. 93 पै., भूरी बाई पत्नि रामस्वरूप हि. 07 पै. जाति लौदा नि.ग्रा. भू.स्वामी	192/2	0.632	0.048	-	0.048
32	नंदजी पिता पन्नालाल जाति चमार नि.ग्रा. टोंका	110/7/2/1	0.348	0.014	-	0.014
33	कैलाश पिता रोड़जी जाति लोधा ग्राम टोंका	110/7/2/2	0.063	0.036	-	0.036
34	शिवलाल / गोपीलाल जाति लोधा नि.ग्रा. टोंका नानी पिता गोपीलाल	110/8/2	0.759	0.008	-	0.008
35	रबूदी बाई पति छोटेलाल लोधा नि. ग्रा. टोंका	9/4/1	0.569	0.008	-	0.008
36	रामचरण पिता ग्यारस्या जाति लोदा	196/1/1	0.072	0.072	-	0.072
		205/2	0.173	0.173	-	0.173
		योग :		0.245	-	0.245

स. क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	सर्वे नम्बर	कुल भूमि का रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	कुल
37	बुधराम पिता ग्यारस्या जाति लोदा	196/1/2	0.072	0.072	-	0.072
		205/1	0.174	0.174	-	0.174
	योग :			0.246	-	0.246
38	भारत पिता पन्नालाल जाति लोदा	225/1/1	0.200	0.200	-	0.200
39	सावित्री बाई पति हरिदास बैरागी	226/1	1.103	-	0.250	0.250
	योग			7.342	0.362	7.704

ग्राम - नेठाठरी तहसील - ब्यावरा जिला राजगढ़

1	रणवीरसिंह पिता अमरसिंह जाति राजपूत ग्राम - नेठाठरी	149/1/3	1.116	0.220	-	0.220
	योग			0.220	-	0.220
	कुल योग			7.562	0.362	7.924

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तरुण कुमार पिथोड़े, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर, एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), जिला रतलाम, मध्यप्रदेश

रतलाम, दिनांक 23 मई 2016

क्र.-1152-मण्डी-निर्वाचन-2016.—मध्यप्रदेश, कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11(1)(घ)-एक में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, बी. चन्द्रशेखर, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी), कृषि उपज मण्डी समिति 102—रतलाम के लिए लोकसभा सदस्य प्रतिनिधि के रूप में प्राप्त प्रस्ताव अनुसार निम्नांकित प्रतिनिधि का नाम सांसद प्रतिनिधि के रूप में नामनिर्दिष्ट करता हूँ :-

क्र. मण्डी समिति का नाम	नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि का नाम व पता	प्रतिनिधि	मण्डी अधिनियम की धारा
(1)	(2)	(3)	(4)
1	102—रतलाम	श्री सोहनलाल पटेल, ग्राम धराड, जिला रतलाम.	सांसद, लोकसभा सदस्य.
			धारा 11(1)(घ)

बी. चन्द्रशेखर, कलेक्टर.

कार्यालय, राज्यपाल का सचिवालय,
मध्यप्रदेश, भोपाल

राजभवन, भोपाल, दिनांक 28 मई 2016

क्र. एफ 49-1-रास-यू.ए.-5-2016.—इस सचिवालय की समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक 985-रास-यू.ए.-5-2014, दिनांक 18 सितम्बर 2014 के अनुक्रम में राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा 27 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय कुलाधिपतिजी ने धारा 27(2)(तीन) के तहत श्री ओम प्रकाश मथुरिया, कृषि वैज्ञानिक, कानपुर को विश्वविद्यालय के प्रबंध बोर्ड में सदस्य नामांकित किया है।

शैलेन्द्र कियावत, राज्यपाल के अपर सचिव.

कार्यालय, कुलाधिपति, सांची बौद्ध - भारतीय ज्ञान
अध्ययन विश्वविद्यालय, सांची, जिला रायसेन,
मध्यप्रदेश

राजभवन, भोपाल, दिनांक 30 मई 2016

क्र. एफ-1-6-13-रा.स-यू.ए.-1-631.—प्रो. शशिप्रभा कुमार, कुलपति, सांची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय, सांची द्वारा दिनांक 7 सितम्बर 2015 को प्रस्तुत त्याग-पत्र एतद्द्वारा स्वीकृत किया जाता है। प्रो. शशिप्रभा कुमार दिनांक 31 मई 2016 को अपराह्न में कुलपति पद से कार्यमुक्त होंगे।

(2) मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग, मंत्रालय, भोपाल से प्राप्त प्रस्ताव के परिप्रेक्ष्य में श्री मनोज श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग, मंत्रालय, भोपाल आगामी आदेश तक के लिए उक्त विश्वविद्यालय के कुलपति के पद का कार्य संपादित करेंगे।

राम नरेश यादव, कुलाध्यक्ष.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग
“निर्वाचन भवन”

58, अरेरा हिल्स, भोपाल (म. प्र.)-462011

आदेश

भोपाल, दिनांक 1 जून 2016

क्र. एफ. 87-120-15-11.-267—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1956 की धारा 14-क के अनुसार महापौर के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अधिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अधिकर्ता द्वारा रखवाएगा। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1956 की धारा 14-ख के अनुसार महापौर पद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी “निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 2014” “मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)”, दिनांक 10 जुलाई 2014 में प्रकाशित हुआ है। उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा।

माह दिसम्बर, 2014 में सम्पन्न हुए नगरपालिक निगम, सिंगरौली जिला सिंगरौली (म. प्र.) के आम निर्वाचन में श्रीमती विमला सिंह, महापौर पद की अभ्यर्थी थीं। नगरपालिक निगम, सिंगरौली, जिला सिंगरौली के आम निर्वाचन का परिणाम दिनांक 4 दिसम्बर 2014 को घोषित हुआ। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1956 की धारा 14-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 3 जनवरी 2015 तक, अभ्यर्थी श्रीमती विमला सिंह अपने को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, सिंगरौली के पास दाखिल करना था, किन्तु उप जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) सिंगरौली म. प्र. के ज्ञापन दिनांक 10 अप्रैल 2015 के संलग्न प्राप्त परिशिष्ट-36 में प्राप्त

जानकारी अनुसार अभ्यर्थी श्रीमती विमला सिंह द्वारा नियत समयावधि के भीतर निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत ही नहीं किया गया।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी, (स्था. निर्वा.), जिला सिंगरौली से अभ्यर्थी श्रीमती विमला सिंह के संदर्भ में उपर्युक्त आशय की जानकारी आयोग को प्राप्त होने के उपरान्त आयोग द्वारा अभ्यर्थी, श्रीमती विमला सिंह को निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं करने के कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 22 अप्रैल 2016 जारी किया गया। कारण बताओ नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं का उल्लेख कर दिया गया था।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, (स्थानीय निर्वाचन), जिला सिंगरौली (म. प्र.) के ज्ञापन दिनांक 31 मार्च 2016 के संलग्न श्रीमती विमला सिंह को जारी कारण बताओ नोटिस की पावती आयोग को भेजी गई। कारण बताओ नोटिस संबंधित अभ्यर्थी को तामील हो चुका था।

अभ्यर्थी श्रीमती विमला सिंह को कारण बताओ नोटिस तामील हो जाने के उपरान्त भी उनके द्वारा विहित समय में न तो जिला-कार्यालय और न ही आयोग को इस संबंध में कोई अभ्यावेदन भेजा गया।

आखिरकार आयोग द्वारा न्यायहित में अभ्यर्थी श्रीमती विमला सिंह के निर्वाचन व्यय लेखों पर अंतिम निर्णय लिए जाने हेतु उन्हें व्यक्तिगत सुनवाई में उपस्थित होने हेतु आयोग मुख्यालय में दिनांक 24 मई 2016 को उपस्थित होने हेतु सूचना-पत्र दिनांक 3 मई 2016 जारी किया गया।

आयोग द्वारा जारी उपर्युक्त सूचना-पत्र की तामिली अभ्यर्थी श्रीमती विमला सिंह को सुनवाई दिनांक के पूर्व अर्थात् दिनांक 18 मई 2016 को हो चुकी थी, पर अभ्यर्थी श्रीमती विमला सिंह न तो व्यक्तिगत सुनवाई में उपस्थित हुईं और न ही इस संबंध में कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया।

अतः उपर्युक्त विवेचना से स्पष्ट है कि—अभ्यर्थी को पर्याप्त अवसर दिए जाने के बाद भी उनके द्वारा अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा प्रस्तुत ही नहीं किए गए और न ही इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण दिया गया। अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास

निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है।

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1956 की धारा 14-ग के के उपबन्धों के अन्तर्गत श्रीमती विमला सिंह को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगरपालिक निगम सिंगरौली, जिला सिंगरौली (म. प्र.) का पार्षद या महापौर होने के लिए इस आदेश के जारी होने की तारीख से 05 (पांच वर्ष) की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(सुनीता त्रिपाठी)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल।

आदेश

भोपाल, दिनांक 1 जून 2016

क्र. एफ. 87-104-15-ग्यारह-269—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी “निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 2014” “मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)”, दिनांक 10 जुलाई 2014 में प्रकाशित हुआ है। उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा।

माह दिसम्बर, 2014 में सम्पन्न नगर परिषद्, कोठी, जिला-सतना म. प्र. के अध्यक्ष के आम निर्वाचन में श्री सुरेश चन्द्र वर्मा भी अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे. इस नगर परिषद् के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 7 दिसम्बर 2014 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 6 जनवरी 2015 तक, श्री सुरेश चन्द्र वर्मा को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, सतना म. प्र. के समक्ष दाखिल करना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, सतना (म. प्र.) के पत्र क्रमांक 1883, दिनांक 19 जनवरी 2015 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट-छत्तीस के अनुसार अभ्यर्थी सुरेश चन्द्र वर्मा द्वारा अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा ही प्रस्तुत नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन कलेक्टर, एवं जिला निर्वा. अधिकारी, सतना से प्राप्त होने पर इस संबंध में अभ्यर्थी श्री सुरेश चन्द्र वर्मा को आयोग द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 25 फरवरी 2015 जारी किया गया. कारण बताओ नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

अभ्यर्थी को कारण बताओ सूचना-पत्र की तामीली के उपरान्त अभ्यर्थी श्री वर्मा की ओर से आयोग को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया. अभ्यावेदन में इस बात का उल्लेख किया गया कि—उनके द्वारा दिनांक 13 जनवरी 2015 को जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, सतना में निर्वाचन व्यय का लेखा विहित प्रारूप में प्रस्तुत कर दिया गया है. इसके समर्थन में व्यय लेखा जमा की पावती की छायाप्रति संलग्न आयोग को भेजी गई.

अभ्यर्थी श्री सुरेश चन्द्र वर्मा के अभ्यावेदन एवं पावती की छायाप्रति कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, सतना को पत्र दिनांक 18 फरवरी 2016 के संलग्न भेजकर, इनका परीक्षण कर यथास्थिति संबंधी रिपोर्ट चाही गई.

आयोग के उपर्युक्त पत्र दिनांक 18 फरवरी 2016 के संदर्भ में

अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला-सतना (म. प्र.) के ज्ञापन दिनांक 26 मार्च 2016 द्वारा सूचित किया गया कि अभ्यर्थी, श्री वर्मा को निर्वाचन व्यय लेखा दिनांक 7 दिसम्बर 2014 से 6 जनवरी 2015 तक जमा करना था, लेकिन जिला कार्यालय में निर्वाचन व्यय लेखा दिनांक 13 जनवरी 2015 को जमा किया गया है.

जिले से उक्ताशय की रिपोर्ट आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा विचारोपरान्त अभ्यर्थी श्री सुरेश चन्द्र वर्मा के द्वारा प्रस्तुत निर्वाचन व्यय लेखों पर अंतिम निर्णय लिया जाकर उन्हें नोटिस दिनांक 28 अप्रैल 2016 जारी कर दिनांक 24 मई 2016 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग मुख्यालय में बुलाया गया.

आयोग द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस की तामीली अभ्यर्थी को समय पूर्व अर्थात् दिनांक 4 मई 2016 को हो चुकी थी, पर न ही अभ्यर्थी श्री वर्मा व्यक्तिगत सुनवाई में उपस्थित हुए और न ही इस संबंध में कोई अभ्यावेदन या स्पष्टीकरण आयोग को भेजा गया.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरान्त भी अभ्यर्थी श्री सुरेश चन्द्र वर्मा द्वारा विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः इससे आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत अभ्यर्थी श्री सुरेश चन्द्र वर्मा को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद्, कोठी, जिला सतना (म. प्र.) का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 (पांच) वर्ष की कालावधि के लिए निरहित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(सुनीता त्रिपाठी)

सचिव,

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा) मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन
राजस्व विभाग**

राजगढ़, दिनांक 24 मई 2016

क्रमांक 4320/भू-अर्जन/2015 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

प्रकरण क्रमांक/अ-82/201 -201 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में बांकपुरा सिंचाई परियोजना तहसील ब्यावरा जिला राजगढ़ की ग्राम कालाकोट, कानड़ियाखेड़ी, चंदेरी, चौतरा, सीघापुरा, सारस्याबे, नेठठारी, टोंका, आलमपुरा के लिए एम.डब्ल्यू.एल. तक डूब में प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013) की धारा-11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। चूंकि बांकपुरा सिंचाई परियोजना का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है एवं इस हेतु अधिकांश भूमि का अर्जन किया जा चुका है और इस कारण धारा-11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारित रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

—: अनुसूची (1) :—

बांकपुरा सिंचाई परियोजना के एम0डब्ल्यू0एल0 तक डूब क्षेत्र में प्रभावित

स.क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हेक्टेयर		
		सिंचित	असिंचित	योग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	कालाकोट	3.502	22.109	25.611
2	कानड़ियाखेड़ी	5.079	17.903	22.982
3	चंदेरी	27.692	48.183	75.875
4	चौतरा	3.424	5.298	8.722
5	सीघापुरा	21.699	12.274	33.973
6	सारस्याबे	13.699	18.170	31.869
7	नेठठारी	6.784	8.945	15.729
8	टोंका	3.230	11.553	14.783
9	आलमपुरा	2.326	8.951	11.277
कुल योग :-		87.435	153.386	240.821

—: अनुसूची (2) :—

बांकपुरा सिंचाई परियोजना के एम0डब्ल्यू0एल0 तक डूब क्षेत्र में प्रभावित भूमि ग्राम कालाकोट

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	योग
1	2	3	4	5	6	7
1	किशनलाल,दोलजी,भगवानसिंह,लक्ष्मीनारायण पिता रामलाल शान्तिबाई पुत्री रामलाल जाति सोंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी	3/5 12/9 12/10	3.920 0.759 0.506	0.000 0.000 0.000	1.176 0.329 0.506	1.176 0.329 0.506
योग		3	5.185	0.000	2.011	2.011
2	गंगाबाई पति अनार जाति सोंधिया नि. ग्रा.भू-स्वामि	12/18/2	1.391	0.000	1.062	1.062
योग		1	1.391	0.000	1.062	1.062

स.क.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	योग
1	2	3	4	5	6	7
3	देवबाई पति रोड़जी जाति सौंधिया नि.ग्रा. भू-स्वामी	12/20/1	1.517	0.000	0.607	0.607
		12/21	0.500	0.000	0.434	0.434
	योग	2	2.017	0.000	1.041	1.041
4	सौरभबाई पति मांगीलाल जाति सौंधिया नि. ग्रा. कानड़ियाखेड़ी	12/20/2	1.518	0.000	0.908	0.908
	योग	1	1.518	0.000	0.908	0.908
5	बीरम पिता उम्मेद जाति सौंधिया नि. ग्रा. भू-स्वामी	12/24	1.480	0.000	1.480	1.480
	योग	1	1.480	0.000	1.480	1.480
6	प्रेमसिंह कंवरलाल पिता गंगाराम भैवरीबाई बेवा गंगाराम फुलजी अनारसिंह पिता दोलजी संपतबाई पुत्री दोलजी जाति सौंधिया नि. ग्रा. भू-स्वामी	25/2	0.291	0.278	0.013	0.291
		45/5	0.443	0.443	0.000	0.443
		45/6	2.781	2.781	0.000	2.781
	योग	3	3.515	3.502	0.013	3.515
7	अनारसिंह पिता भोनजी जाति सौंधिया नि. ग्रा. भू-स्वामी	45/4	0.253	0.000	0.243	0.243
		3/9	1.264	0.000	0.500	0.500
	योग	2	1.517	0.000	0.743	0.743
8	शिवसिंह पिता जगन्नाथ जाति सौंधिया नि. ग्रा. भू-स्वामी	45/3/2	1.050	0.000	1.050	1.050
		62/10/2	0.392	0.000	0.092	0.092
		26/3	0.217	0.000	0.217	0.217
		35/4/2	0.670	0.000	0.670	0.670
		45/8/2	0.455	0.000	0.455	0.455
	योग	5	2.784	0.000	2.484	2.484
9	केशरसिंह पिता जगन्नाथ जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	45/3/1	1.479	0.000	1.334	1.334
	योग	1	1.479	0.000	1.334	1.334
10	गीताबाई पति सदाराम जाति सौंधिया नि. ग्रा. कांचरी तह. राजगढ़ भू- स्वामी	45/10	3.035	0.000	2.124	2.124
	योग	1	3.035	0.000	2.124	2.124
11	रामलाल पिता भीमा जाति सौंधिया नि. ग्रा. भू-स्वामी.	45/13	0.506	0.000	0.506	0.506
	योग	1	0.506	0.000	0.506	0.506
12	फूलसिंह पिता दोलजी जाति सौंधिया नि.ग्रा.भू.स्वा०	45/18/1	1.644	0.000	0.822	0.822
	योग	1	1.644	0.000	0.822	0.822
13	कंवरलाल पिता गंगाराम जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	45/18/2	1.644	0.000	2.466	2.466
	योग	1	1.644	0.000	2.466	2.466

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	योग
1	2	3	4	5	6	7
14	रोड़जी मोतीलाल बीरमसिंह पिता उम्मेदसिंह जाति सोंधिया नि. ग्रा. भू-स्वामी	45/20	0.379	0.000	0.379	0.379
	योग	1	0.379	0.000	0.379	0.379
15	अनोखबाई पति फूलसिंह, अजबबाई पति अनारसिंह जाति सोंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	12/18/1	1.644	0.000	1.062	1.062
	योग	1	1.644	0.000	1.062	1.062
16	हिन्दूसिंह, नारायण सिंह, चंपालाल पिता जगन्नाथ जाति सोंधिया नि. ग्रा. भू-स्वामी	45/8/1	3.086	0.000	0.380	0.380
		10/2	0.569	0.000	0.259	0.259
	योग	2	3.655	0.000	0.639	0.639
17	केलाश बाई पुत्री बागजी निवासी धामलिया देवबाई पुत्री बाग जी निवासी खनोटा जाति सोंधिया निवासी भूमि स्वामी	45/9	3.035	0.000	3.035	3.035
	योग	1	3.035	0.000	3.035	3.035
ग्राम कालाकोट कुलयोग :-		28	36.428	3.502	22.109	25.611
बांकपुरा सिंचाई परियोजना के एम0डब्ल्यू0एल0 तक डूब क्षेत्र में प्रभावित भूमि का ग्राम कानड़ियाखेड़ी						
1	रोड़जी पिता छीतर जाति सोंधिया नि. ग्रा. भू-स्वामी	66/1	0.076	0.000	0.076	0.076
		48/2	0.519	0.000	0.519	0.519
		124/2	0.209	0.000	0.209	0.209
		67/1	0.272	0.000	0.272	0.272
		68/1	0.050	0.000	0.050	0.050
	योग	5	1.126	0.000	1.126	1.126
2	भेरूसिंह पिता छीतर जाति सोंधिया नि. ग्रा. भू-स्वामी	66/2	0.076	0.000	0.076	0.076
		48/1	0.518	0.000	0.518	0.518
		124/1	0.209	0.000	0.209	0.209
		67/2	0.272	0.000	0.272	0.272
		68/2	0.050	0.000	0.050	0.050
	योग	5	1.125	0.000	1.125	1.125
3	भेरूसिंह, रोड़जी पिता छीतर जाति सोंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	68/3	0.014	0.014	0.000	0.014
	योग	1	0.014	0.014	0.000	0.014

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	योग
1	2	3	4	5	6	7
4	फतेसिंह पिता लालजी जाति सोंधिया नि. ग्रा. भू-स्वामी	70/1/1	0.051	0.000	0.051	0.051
		72/1/1	0.265	0.000	0.265	0.265
		115/1 में से	0.098	0.048	0.000	0.048
		45/1	0.437	0.427	0.010	0.437
		42/1	0.809	0.000	0.633	0.633
		108/5/1	0.090	0.090	0.000	0.090
		69/1/104	0.026	0.000	0.026	0.026
		113/1	0.013	0.000	0.013	0.013
		115/3	0.098	0.048	0.000	0.048
		98/1	0.114	0.114	0.000	0.114
		112/1	0.171	0.171	0.000	0.171
	योग	11	2.172	0.898	0.998	1.896
5	विजय सिंह पिता लालजी जाति सोंधिया नि. ग्रा. भू-स्वामी	70/2/1	0.051	0.000	0.051	0.051
		72/2/1	0.265	0.000	0.265	0.265
		107/2/1	0.113	0.000	0.113	0.113
		45/2	0.437	0.000	0.437	0.437
		69/2/104	0.025	0.000	0.025	0.025
		112/2	0.171	0.000	0.171	0.171
		42/2	0.633	0.000	0.133	0.133
		108/6	0.184	0.000	0.184	0.184
		115/2	0.197	0.000	0.097	0.097
		98/2	0.114	0.000	0.114	0.114
		120	0.150	0.000	0.010	0.010
	योग	11	2.340	0.000	1.600	1.600
6	फूलसिंह पिता प्यारजी जाति सोंधिया नि. ग्रा. भू-स्वामी	96/1	0.119	0.000	0.119	0.119
	योग	1	0.119	0.000	0.119	0.119
7	सदालाल पिता प्यारजी जाति सोंधिया नि. ग्रा. भू-स्वामी	97/1	0.609	0.000	0.609	0.609
		127	0.076	0.000	0.076	0.076
	योग	2	0.685	0.000	0.685	0.685
8	रामसिंह पिता रूपसिंह जाति सोंधिया नि. ग्रा. भू-स्वामी	103/3	0.040	0.030	0.010	0.040
		131/3/2/1	0.148	0.148	0.000	0.148
		106/4	0.038	0.038	0.000	0.038
		114/2/2	0.028	0.028	0.000	0.028
	योग	4	0.254	0.244	0.010	0.254
9	बनेसिंह पिता हीरालाल जाति सोंधिया नि. ग्रा. भू-स्वामी	103/1	0.120	0.000	0.120	0.120
		106/2	0.057	0.000	0.057	0.057
	योग	2	0.177	0.000	0.177	0.177

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	योग
1	2	3	4	5	6	7
10	हीरालाल पिता बदन जाति सौंधिया नि. ग्रा. भू-स्वामी	103/2 106/3 114/1	0.040 0.038 0.054	0.000 0.000 0.000	0.040 0.038 0.054	0.040 0.038 0.054
	योग	3	0.132	0.000	0.132	0.132
11	गंगाराम पिता बदन जाति सौंधिया नि. ग्रा. भू-स्वामी	103/4 131/4/1 106/5 114/3	0.040 0.296 0.038 0.055	0.000 0.000 0.000 0.000	0.040 0.296 0.038 0.015	0.040 0.296 0.038 0.015
	योग	4	0.429	0.000	0.389	0.389
12	नरभेसिंह, मांगीलाल, कलाबाई, ललताबाई पिता जगन्नाथ, केशरबाई बेवा जगन्नाथ, वीरम, दयाल, रोड़ीबाई, हंसीबाई पिता धूलजी, गुडडीबाई नाबा. पिता बापूलाल, बापू पिता अमरसिंह, शांतिबाई पिता अमरसिंह, पर्वतसिंह, रायसिंह पिता रूपसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	105	0.051	0.038	0.000	0.038
	योग	1	0.051	0.038	0.000	0.038
13	धापूबाई बेवा प्रेमसिंह देवराज राधेश्याम पिता प्रेमसिंह जाति सौंधिया नि. ग्रा. भू-स्वामी	106/1 168/155/1 166/151/1	0.057 0.045 0.019	0.000 0.000 0.000	0.057 0.045 0.019	0.057 0.045 0.019
	योग	3	0.121	0.000	0.121	0.121
14	कनीराम अनारसिंह, फूलसिंह पिता दोला जाति सौंधिया नि. ग्रा. कालाकोट भू-स्वामी	109/1	0.102	0.000	0.102	0.102
	योग	1	0.102	0.000	0.102	0.102
15	बिहारी पिता गोपाल जाति सौंधिया नि. ग्रा. भू-स्वामी	109/2	0.101	0.000	0.101	0.101
	योग	1	0.101	0.000	0.101	0.101
16	केशरसिंह शिवसिंह हिन्दुसिंह नारायणसिंह चम्पालाल पिता जगन्नाथ जाति सौंधिया नि. ग्रा. भू-स्वामी	109/3 110	0.089 0.013	0.000 0.000	0.089 0.013	0.089 0.013
	योग	2	0.102	0.000	0.102	0.102
17	परवीसिंह पिता देवीलाल जाति सौंधिया नि. ग्रा. भू-स्वामी	111 59/8 60/1 123/4 62/3 56/7	0.329 0.221 0.095 0.051 0.024 0.049	0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000	0.329 0.221 0.095 0.025 0.024 0.049	0.329 0.221 0.095 0.025 0.024 0.049
	योग	6	0.769	0.000	0.743	0.743
18	पर्वतसिंह पिता रूपसिंह जाति सौंधिया नि. ग्रा. भू-स्वामी	114/2/1 131/3/1 मे से	0.027 0.148	0.000 0.000	0.027 0.148	0.027 0.148
	योग	2	0.175	0.000	0.175	0.175

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	योग
1	2	3	4	5	6	7
19	बद्रीलाल रतनलाल पिता प्रभुलाल जाति सौंधिया नि. ग्रा. भू-स्वामी	114/4 136/1 152/1	0.165 0.201 0.284	0.000 0.000 0.000	0.101 0.141 0.284	0.101 0.141 0.284
	योग	3	0.650	0.000	0.526	0.526
20	बीरम पिता किशन धुलीबाई बेवा किशन जाति सौंधिया नि. ग्रा. भू-स्वामी	126 125 153	0.051 0.329 0.063	0.000 0.000 0.000	0.051 0.329 0.063	0.051 0.329 0.063
	योग	3	0.443	0.000	0.443	0.443
21	कंवरलाल पिता बागजी जाति सौंधिया नि. ग्रा. भू-स्वामी	132/1/1 133/10 133/1/1 133/2/1 56/2 56/9 57/1 58/1 122/2 59/4 60/4 123/6 61/3 134/1 139/2 149/3	0.169 0.151 0.155 0.127 0.034 0.117 0.026 0.025 0.020 0.056 0.094 0.050 0.044 0.113 0.169 0.051	0.169 0.151 0.155 0.127 0.034 0.117 0.026 0.000 0.020 0.056 0.000 0.000 0.000 0.113 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.025 0.020 0.000 0.094 0.038 0.044 0.000 0.019 0.051	0.169 0.151 0.155 0.127 0.034 0.117 0.026 0.025 0.020 0.056 0.094 0.038 0.044 0.113 0.019 0.051
	योग	16	1.401	0.948	0.291	1.239
22	प्रेमसिंह पिता कुमरसिंह जाति सौंधिया नि.गाम भू-स्वामी	132/2 133/11 134/2	0.084 0.071 0.113	0.000 0.000 0.000	0.084 0.071 0.113	0.084 0.071 0.113
	योग	3	0.268	0.000	0.268	0.268
23	परथीसिंह पिता देवीलाल जाति सौंधिया नि. ग्रा. भू-स्वामी	132/3/1 133/7 133/9 122/6 61/4 134/4 149/5	0.051 0.182 0.146 0.020 0.045 0.114 0.031	0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000	0.051 0.182 0.146 0.020 0.045 0.114 0.031	0.051 0.182 0.146 0.020 0.045 0.114 0.031
	योग	7	0.589	0.000	0.589	0.589
24	गजराजसिंह पिता हिरालाल जाति सौंधिया नि. ग्रा. भू-स्वामी	132/6 59/2/1 56/3/3	0.290 0.034 0.023	0.000 0.000 0.000	0.290 0.034 0.023	0.290 0.034 0.023
	योग	3	0.347	0.000	0.347	0.347

स.क.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	योग
1	2	3	4	5	6	7
25	बनेसिंह पिता खीमजी जाति सोंधिया नि. ग्रा. भू-स्वामी	133/3	0.050	0.000	0.050	0.050
		134/6	0.077	0.000	0.077	0.077
		59/1	0.077	0.000	0.077	0.077
		56/10	0.045	0.000	0.045	0.045
		122/4	0.021	0.000	0.021	0.021
		61/1	0.044	0.000	0.044	0.044
		62/1	0.046	0.000	0.046	0.046
		123/1	0.050	0.000	0.050	0.050
		135/3	0.152	0.000	0.152	0.152
	योग	9	0.562	0.000	0.562	0.562
26	भंवरलाल पिता खीमजी जाति सोंधिया नि. ग्रा. भू-स्वामी	133/4	0.262	0.000	0.262	0.262
		133/14	0.195	0.000	0.195	0.195
		56/1	0.133	0.000	0.133	0.133
		56/4	0.034	0.000	0.034	0.034
		56/6	0.030	0.000	0.030	0.030
		59/6	0.030	0.000	0.030	0.030
		59/11	0.019	0.000	0.019	0.019
		122/5	0.021	0.000	0.021	0.021
		123/2	0.051	0.000	0.051	0.051
	योग	11	1.002	0.000	1.002	1.002
27	मोरसिंह पिता हिरालाल जाति सोंधिया नि. ग्रा. भू-स्वामी	133/5	0.316	0.000	0.316	0.316
		59/2/2	0.033	0.000	0.033	0.033
		59/5	0.113	0.000	0.113	0.113
		59/10/1	0.013	0.000	0.013	0.013
		60/3	0.095	0.000	0.095	0.095
		61/2/1	0.022	0.000	0.022	0.022
		133/12	0.206	0.000	0.206	0.206
	योग	7	0.798	0.000	0.798	0.798

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	योग
1	2	3	4	5	6	7
28	मोगजी पिता खीमजी जाति सौधिया नि. ग्रा. भू-स्वामी	133/6	0.140	0.000	0.140	0.140
		133/8	0.039	0.000	0.039	0.039
		135/2	0.152	0.000	0.152	0.152
		149/2	0.101	0.000	0.101	0.101
		59/7	0.062	0.000	0.062	0.062
		59/12	0.019	0.000	0.019	0.019
		60/2	0.095	0.000	0.095	0.095
		62/2	0.046	0.000	0.046	0.046
		133/13	0.245	0.000	0.245	0.245
		134/3	0.114	0.000	0.114	0.114
		134/7	0.076	0.000	0.076	0.076
योग		11	1.089	0.000	1.089	1.089
29	रामसिंह पिता हिरालाल जाति सौधिया नि. ग्रा. भू-स्वामी	134/5	0.227	0.227	0.000	0.227
		59/10/2	0.013	0.013	0.000	0.013
		61/2/2	0.022	0.000	0.022	0.022
		43/4/4	0.468	0.063	0.000	0.063
		149/1	0.076	0.000	0.076	0.076
योग		5	0.806	0.303	0.098	0.401
30	प्रेमबाई बेवा रूपसिंह जाति सौधिया नि. ग्रा. भू-स्वामी	136/2 में से	0.494	0.000	0.368	0.368
		152/4	0.098	0.000	0.098	0.098
		136/3 में से	0.494	0.000	0.368	0.368
योग		3	1.086	0.000	0.834	0.834
31	द्रोपतीबाई पति भेरूसिंह जाति सौधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	137/1	0.026	0.000	0.003	0.003
		139/1	0.168	0.000	0.019	0.019
योग		2	0.194	0.000	0.022	0.022
32	जगन्नाथ पिता अमरसिंह जाति सौधिया नि. ग्रा. भू-स्वामी	140	0.038	0.038	0.000	0.038
		22	0.607	0.364	0.000	0.364
		182/90	0.038	0.000	0.030	0.030
		23/1	1.568	0.300	0.000	0.300
		141/3	0.312	0.000	0.312	0.312
योग		5	2.563	0.702	0.342	1.044

स.क.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	योग
1	2	3	4	5	6	7
33	लालजी पिता हीरालाल जाति सौंधिया नि. ग्रा. भू-स्वामी	141/1 में से	0.352	0.000	0.172	0.172
		74/2/1	0.113	0.000	0.113	0.113
	योग	2	0.465	0.000	0.285	0.285
34	खीमजी पिता दोलजी जाति सौंधिया नि. ग्रा. भू-स्वामी	141/2 में से	0.350	0.000	0.100	0.100
	योग	1	0.350	0.000	0.100	0.100
35	धीरप पिता देवीलाल जाति सौंधिया नि. ग्रा. भू-स्वामी	149/6	0.031	0.000	0.031	0.031
		56/8	0.039	0.000	0.039	0.039
		122/7	0.029	0.000	0.029	0.029
		123/3	0.051	0.000	0.051	0.051
		62/4	0.023	0.000	0.023	0.023
		56/5	0.034	0.000	0.034	0.034
	योग	6	0.207	0.000	0.207	0.207
36	नरभयसिंह मांगीलाल पिता जगन्नाथ केशरबाई बेवा जगन्नाथ जाति सौंधिया नि. ग्रा. भू-स्वामी	150 में से	0.202	0.000	0.100	0.100
		167/151	0.013	0.000	0.013	0.013
		44	0.936	0.000	0.561	0.561
		152/2	0.203	0.000	0.203	0.203
	योग	4	1.354	0.000	0.877	0.877
37	रामलाल पिता कालू जाति सौंधिया नि. ग्रा. भू-स्वामी	152/3	0.098	0.000	0.098	0.098
		168/155/2	0.044	0.000	0.044	0.044
		166/151/2	0.019	0.000	0.019	0.019
	योग	3	0.161	0.000	0.161	0.161
38	भंवरलाल, जमनालाल, शांतिबाई, रामबाबू, दिनेश पिता बिहारी जाति तेली नि.ग्राम भू-स्वामी	155/2	0.038	0.000	0.038	0.038
	योग	1	0.038	0.000	0.038	0.038
39	गुलाबसिंह पिता कुमेरसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	149/4	0.051	0.000	0.051	0.051
		59/9	0.019	0.000	0.019	0.019
		57/2	0.025	0.025	0.000	0.025
		122/3	0.020	0.000	0.020	0.020
		58/2	0.026	0.000	0.026	0.026
		123/5	0.051	0.000	0.020	0.020
	योग	6	0.192	0.025	0.136	0.161

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	योग
1	2	3	4	5	6	7
40	सुन्दरबाई बेवा कुमरसिंह जाति सौधिया नि. ग्रा. भू-स्वामी	133/1/2	0.156	0.000	0.156	0.156
		133/2/2	0.126	0.000	0.126	0.126
	योग	2	0.282	0.000	0.282	0.282
41	गीताबाई पति पर्वतसिंह जाति सौधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	137/3	0.025	0.000	0.002	0.002
		139/3	0.169	0.000	0.019	0.019
	योग	2	0.194	0.000	0.021	0.021
42	विजय सिंह पिता हीरालाल जाति सौधिया नि. ग्राम भूमि स्वामी	131/2/1	0.296	0.000	0.296	0.296
	योग	1	0.296	0.000	0.296	0.296
43	भगवानसिंह पिता रोड़जी जाति सौधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	50/1	0.569	0.075	0.000	0.075
		54	0.506	0.496	0.010	0.506
		53/2	0.443	0.443	0.000	0.443
	योग	3	1.518	1.014	0.010	1.024
44	लक्षमण पिता भेरूसिंह जाति सौधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	50/2	0.569	0.075	0.000	0.075
		53/1	0.759	0.749	0.010	0.759
		52	0.190	0.000	0.090	0.090
	योग	3	1.518	0.824	0.100	0.924
45	रामकरण पिता मांगीलाल देवबाई मोंगीलाल जाति सौधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	56/3/1	0.023	0.023	0.000	0.023
		123/7	0.101	0.000	0.038	0.038
		122/1	0.041	0.000	0.041	0.041
		169/155	0.265	0.000	0.265	0.265
		56/6/1	0.046	0.046	0.000	0.046
	योग	5	0.476	0.069	0.344	0.413
46	नारानसिंह पिता हीरालाल जाति सौधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	56/3/2	0.022	0.000	0.022	0.022
		56/6/2	0.045	0.000	0.045	0.045
	योग	2	0.067	0.000	0.067	0.067
47	हरिसिंह कुमरसिंह जाति सौधिया नि.ग्राम भूमि स्वामी	59/3	0.063	0.000	0.063	0.063
	योग	1	0.063	0.000	0.063	0.063
ग्राम कानड़ियाखेड़ी कुलयोग :-		195	28.973	5.079	17.903	22.982

स.क.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	योग
1	2	3	4	5	6	7
बांकपुरा सिंचाई परियोजना के एम0डब्ल्यू0एल0 तक डूब क्षेत्र में प्रभावित भूमि का ग्राम चंदेरी						
1	कालू पिता धूलजी जाति चमार निवासी ग्राम भूस्वामी	3/1/2	1.000	0.000	0.400	0.400
	योग	1	1.000	0.000	0.400	0.400
2	बजेसिंह पिता कालू जाति सोंधिया निवासी ग्राम भूस्वामी	3/3/2	0.211	0.000	0.211	0.211
		5/4/1	0.211	0.000	0.211	0.211
		111/2	0.071	0.000	0.071	0.071
		73/1/5	0.169	0.000	0.169	0.169
		184/4/2	0.013	0.000	0.013	0.013
	योग	5	0.675	0.000	0.675	0.675
3	मेहताब पिता कालू जाति सोंधिया निवासी ग्राम भूस्वामी	3/3/3	0.211	0.211	0.000	0.211
		5/4/2	0.211	0.211	0.000	0.211
		73/1/7	0.169	0.169	0.000	0.169
		111/3	0.071	0.000	0.071	0.071
		184/4/3	0.013	0.000	0.013	0.013
		3/3/6/1	0.070	0.070	0.000	0.070
		5/4/6/1	0.071	0.071	0.000	0.071
	योग	7	0.816	0.732	0.084	0.816
4	रतनलाल पिता देवीसिंह जाति सोंधिया निवासी ग्राम भूस्वामी	3/3/4	0.210	0.000	0.210	0.210
		5/4/3	0.211	0.000	0.211	0.211
		73/1/4	0.337	0.000	0.337	0.337
		111/4	0.071	0.000	0.071	0.071
		184/4/4	0.016	0.000	0.016	0.016
		3/3/6/4	0.280	0.000	0.280	0.280
		5/4/6/4	0.281	0.000	0.281	0.281
	योग	7	1.406	0.000	1.406	1.406
5	प्रेमसिंह पिता दोलजी जाति सोंधिया निवासी ग्राम भूस्वामी	3/3/5	0.633	0.000	0.633	0.633
		5/4/4	0.632	0.000	0.632	0.632
		111/5	0.213	0.000	0.213	0.213
		3/3/6/3	0.211	0.000	0.211	0.211
		5/4/6/3	0.210	0.000	0.210	0.210
	योग	5	1.899	0.000	1.899	1.899
6	मांगीलाल, तरवरसिंह पिता हीरालाल जाति सोंधिया निवासी ग्राम भूस्वामी	3/6	3.794	0.000	3.194	3.194
	योग	1	3.794	0.000	3.194	3.194
7	रामप्रसाद पिता नंदराम, संगीताबाई पति रामप्रसाद जाति बलाई निवासी ग्राम बरखेड़ा	3/8	1.000	0.000	0.622	0.622
	योग	1	1.000	0.000	0.622	0.622
8	बसंतीलाल पिता धन्नाजी धापूबाई पति बसंतीलाल जाति बलाई निवासी ग्राम बरखेड़ा	3/9	1.000	0.000	1.000	1.000
	योग	1	1.000	0.000	1.000	1.000

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	योग
1	2	3	4	5	6	7
9	राधेश्याम पिता बंशीलाल जाति बलाई निवासी ग्राम बरखेड़ा	3/10	1.000	0.000	1.000	1.000
	योग	1	1.000	0.000	1.000	1.000
10	शोभाराम पिता घीसालाल गंगाबाई पति शोभाराम जाति बलाई निवासी ग्राम बरखेड़ा	3/11	1.000	0.000	1.000	1.000
	योग	1	1.000	0.000	1.000	1.000
11	हरिसिंह पिता शोभाराम संगीताबाई पति हरिसिंह जाति बलाई निवासी ग्राम बरखेड़ा	3/12	1.000	0.000	0.390	0.390
	योग	1	1.000	0.000	0.390	0.390
12	मोहनलाल पिता रूगनाथ जाति सौंधिया निवासी ग्राम भूस्वामी	5/4/5	0.632	0.632	0.000	0.632
		111/1	0.142	0.000	0.142	0.142
	योग	2	0.774	0.632	0.142	0.774
13	हरीसिंह पिता नरभयसिंह जाति सौंधिया निवासी ग्राम भूस्वामी	5/5/1	1.012	0.000	0.800	0.800
		130/3	2.182	0.000	2.182	2.182
		130/8	0.063	0.000	0.063	0.063
		131/1	0.033	0.000	0.033	0.033
		131/3	0.600	0.000	0.600	0.600
		133/1	0.221	0.000	0.113	0.113
		133/4	0.222	0.000	0.130	0.130
		132/1	0.101	0.000	0.101	0.101
		48/4	0.071	0.000	0.071	0.071
		48/14	0.003	0.000	0.003	0.003
		69/2	0.160	0.000	0.160	0.160
		5/6/2	0.120	0.000	0.120	0.120
	योग	12	4.788	0.000	4.376	4.376
14	अशोक ना.बा.पिता रामभरोसे सर.माता धापूबाई बैवा रामभरोसे हि.33 पैसे रामचरन पिता शंकर, रूपसिंह ना.बा. शंकर सर. भाई रामकरन पिता शंकर हि.67 पैसे जाति चमार नि.ग्राम भू-स्वामी	5/8	5.059	0.000	0.611	0.611
	योग	1	5.059	0.000	0.611	0.611

स.क.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	योग
1	2	3	4	5	6	7
15	भगवानसिंह मिथुन मांगीलाल ना.बा. पिता शिवसिंह स.प. माता बानूबाई बैवा शिवसिंह, बानूबाई लीलाबाई बैवा शिवसिंह जाति सोंधिया निवासी ग्राम भूस्वामी	137/1/1	1.517	0.000	1.100	1.100
		139	0.632	0.622	0.010	0.632
		158	0.190	0.190	0.000	0.190
		159	0.485	0.316	0.000	0.316
		200/160	0.569	0.569	0.000	0.569
		150	0.025	0.000	0.012	0.012
		152	0.051	0.000	0.051	0.051
		151	0.266	0.266	0.000	0.266
	योग	8	3.735	1.963	1.173	3.136
16	बंशीलाल पिता दोलजी जाति सोंधिया निवासी ग्राम भूस्वामी	48/1	0.213	0.213	0.000	0.213
		48/9	0.003	0.003	0.000	0.003
		48/17	0.010	0.010	0.000	0.010
		212/52/3	0.071	0.071	0.000	0.071
		69/6	0.160	0.160	0.000	0.160
		79/2	0.354	0.354	0.000	0.354
		173/1/4	0.578	0.000	0.327	0.327
		184/13/3	0.169	0.000	0.169	0.169
		78/2/2	0.371	0.371	0.000	0.371
		102/2	0.253	0.253	0.000	0.253
		69/8	0.451	0.441	0.000	0.441
86/2	0.026	0.026	0.000	0.026		
	योग	12	2.659	1.902	0.496	2.398
17	जगन्नाथ पिता मोतीलाल जाति सोंधिया निवासी ग्राम भूस्वामी	49/3	0.043	0.043	0.000	0.043
		82/2/1	0.824	0.824	0.000	0.824
		83/2/1	0.808	0.808	0.000	0.808
		79/1	0.607	0.607	0.000	0.607
		81/1	0.054	0.054	0.000	0.054
		80/1	0.391	0.390	0.000	0.390
		88/1/1	0.050	0.000	0.050	0.050
		101/1	0.118	0.118	0.000	0.118
	योग	8	2.895	2.844	0.050	2.894
18	लालजी पिता रायसिंह जाति सोंधिया निवासी ग्राम भूस्वामी	50/2/1	0.126	0.126	0.000	0.126
		196/184/6	0.094	0.094	0.000	0.094
		178/1	0.075	0.065	0.010	0.075
		178/6	0.253	0.253	0.000	0.253
	योग	4	0.548	0.538	0.010	0.548
19	नारायणसिंह पिता रायसिंह जाति सोंधिया निवासी ग्राम भूस्वामी	50/2/2	0.127	0.000	0.127	0.127
		196/184/5	0.095	0.000	0.095	0.095
		178/7	0.253	0.000	0.253	0.253
	योग	3	0.475	0.000	0.475	0.475

स.क.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	योग
1	2	3	4	5	6	7
20	सरदारबाई बेवा प्यारजी जाति सोंधिया निवासी ग्राम भूस्वामी	52/1 178/4	0.067 0.146	0.000 0.000	0.067 0.146	0.067 0.146
	योग	2	0.213	0.000	0.213	0.213
21	अमरसिंह पिता प्यारजी जाति सोंधिया निवासी ग्राम भूस्वामी	52/2 196/184/2 178/2	0.067 0.048 0.145	0.000 0.000 0.000	0.067 0.048 0.145	0.067 0.048 0.145
	योग	3	0.260	0.000	0.260	0.260
22	करणसिंह पिता प्यारजी जाति सोंधिया निवासी ग्राम भूस्वामी	52/3 196/184/3 178/3	0.066 0.047 0.145	0.000 0.000 0.000	0.066 0.047 0.145	0.066 0.047 0.145
	योग	3	0.258	0.000	0.258	0.258
23	अनारसिंह पिता प्यारजी जाति सोंधिया निवासी ग्राम भूस्वामी	52/4 196/184/4 178/5	0.066 0.047 0.145	0.000 0.000 0.000	0.066 0.047 0.145	0.066 0.047 0.145
	योग	3	0.258	0.000	0.258	0.258
24	नारायणसिंह पिता बापूलाल जाति सोंधिया निवासी ग्राम भूस्वामी	67/1 75/5 48/3 84/4 5/9/2 82/1/2 116/5	0.044 0.036 0.213 0.195 0.084 0.260 0.165	0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000	0.044 0.036 0.213 0.195 0.084 0.260 0.165	0.044 0.036 0.213 0.195 0.084 0.260 0.165
	योग	6	0.997	0.000	0.997	0.997
25	जगन्नाथ पिता प्यारजी जाति सोंधिया निवासी ग्राम भूस्वामी	55/1	0.019	0.000	0.019	0.019
	योग	1	0.019	0.000	0.019	0.019
26	रमेश पिता प्यारजी जाति सोंधिया निवासी ग्राम भूस्वामी	55/2	0.019	0.000	0.019	0.019
	योग	1	0.019	0.000	0.019	0.019
27	मंवरलाल बापूलाल फूलसिंह लालजी पिता किशनलाल कंकुबाई गंगाबाई पुत्री शंकर नरमयसिंह मोतीलाल पिता रामलाल बंशीलाल दरियावसिंह पिता दोलजी केसरबाई रतनबाई पुत्री दोलजी हि. 67 पै. प्यारजी पिता चुन्ना हि. 33 पै. जाति सोंधिया निवासी ग्राम भूस्वामी	57/1 57/2	0.063 0.026	0.000 0.000	0.063 0.026	0.063 0.026
	योग	2	0.089	0.000	0.089	0.089
28	बाबूसिंह वियजसिंह छगनसिंह पिता बंशीलाल पांचूबाई बेवा बंशीलाल जाति अहीर निवासी ग्राम भूस्वामी	59 130/2 118 123	0.734 0.089 0.139 0.152	0.000 0.000 0.000 0.000	0.734 0.089 0.139 0.152	0.734 0.089 0.139 0.152
	योग	4	1.114	0.000	1.114	1.114

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	योग
1	2	3	4	5	6	7
29	लक्ष्मीनारायण पिता रामलाल जाति अहीर निवासी ग्राम भूस्वामी	64/1	0.234	0.000	0.234	0.234
		64/2	0.234	0.000	0.234	0.234
		65	0.152	0.000	0.152	0.152
		68/1	0.725	0.000	0.725	0.725
		85/3	0.477	0.000	0.477	0.477
		199/63	0.025	0.000	0.025	0.025
	योग	6	1.847	0.000	1.847	1.847
30	पर्वतसिंह पिता रामलाल जाति अहीर निवासी ग्राम भूस्वामी	68/3	0.725	0.000	0.725	0.725
		85/2	0.476	0.000	0.476	0.476
	योग	2	1.201	0.000	1.201	1.201
31	बीरमसिंह, नारायणसिंह पिता बापूलाल, धूलीबाई पिता बापूलाल जाति सोंधिया निवासी ग्राम भूस्वामी	66/2	0.190	0.190	0.000	0.190
		48/15	0.010	0.010	0.000	0.010
		56/1	0.051	0.000	0.051	0.051
		84/5	0.011	0.000	0.011	0.011
		56/2	0.013	0.013	0.000	0.013
		128	0.038	0.000	0.038	0.038
	योग	6	0.313	0.213	0.100	0.313
32	कालू पिता दोलजी जाति सोंधिया निवासी ग्राम भूस्वामी	78/2/1	0.371	0.000	0.371	0.371
		48/7	0.023	0.000	0.023	0.023
		48/10	0.003	0.000	0.003	0.003
		184/13/1	0.169	0.000	0.169	0.169
		212/52/1	0.048	0.000	0.048	0.048
		69/4	0.159	0.000	0.159	0.159
	योग	6	0.773	0.000	0.773	0.773
33	गोपीलाल पिता मोतीलाल जाति सोंधिया निवासी ग्राम भूस्वामी	81/3	0.055	0.055	0.000	0.055
		80/2	0.401	0.391	0.010	0.401
		49/1	0.042	0.042	0.000	0.042
	योग	3	0.498	0.488	0.010	0.498
34	रामनारायण पिता गोपीलाल जाति सोंधिया निवासी ग्राम भूस्वामी	82/2/2	0.087	0.000	0.087	0.087
		82/3/2	0.396	0.000	0.396	0.396
		83/1/1	0.454	0.000	0.454	0.454
		83/2/2	0.266	0.000	0.266	0.266
	योग	4	1.203	0.000	1.203	1.203

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	योग
1	2	3	4	5	6	7
35	प्रेमसिंह पिता मोतीलाल जाति सोंधिया निवासी ग्राम भूस्वामी	82/3/1	0.300	0.300	0.000	0.300
		83/1/2	0.908	0.908	0.000	0.908
		49/2	0.042	0.042	0.000	0.042
		80/3	0.401	0.391	0.010	0.401
		81/2	0.055	0.055	0.000	0.055
	योग	5	1.706	1.696	0.010	1.706
36	रामसिंह अमरसिंह पिता बीरम जाति सोंधिया निवासी ग्राम भूस्वामी	87	0.126	0.126	0.000	0.126
		142	0.936	0.936	0.000	0.936
		161	0.392	0.392	0.000	0.392
		162	0.164	0.164	0.000	0.164
		100	0.607	0.307	0.000	0.307
		153	1.188	1.175	0.013	1.188
		156	2.099	1.300	0.000	1.300
		157	0.126	0.000	0.126	0.126
		195/165	0.101	0.101	0.000	0.101
		163	0.101	0.000	0.101	0.101
	योग	11	6.687	4.901	0.687	5.588
37	रायसिंह पिता नरभयसिंह जाति सोंधिया निवासी ग्राम भूस्वामी	5/5/3	1.011	0.300	0.000	0.300
		5/6/3	0.421	0.000	0.120	0.120
		130/5	2.057	2.047	0.010	2.057
		132/2	0.672	0.672	0.000	0.672
		133/2	0.315	0.150	0.000	0.150
		48/5	0.071	0.071	0.000	0.071
		48/12	0.003	0.003	0.000	0.003
		69/1	0.159	0.159	0.000	0.159
	योग	9	5.023	3.716	0.130	3.846
38	हरिसिंह पिता रामलाल जाति अहीर निवासी ग्राम भूस्वामी	101/2	0.118	0.000	0.118	0.118
		68/2	0.725	0.000	0.725	0.725
		85/1	0.476	0.000	0.476	0.476
	योग	3	1.319	0.000	1.319	1.319

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	योग
1	2	3	4	5	6	7
39	रामनिवास पिता जगन्नाथ जाति सोंधिया निवासी ग्राम भूस्वामी	101/3	0.118	0.000	0.118	0.118
	योग	1	0.118	0.000	0.118	0.118
40	लीलाबाई बैवा शिवसिंह जाति सोंधिया निवासी ग्राम भूस्वामी	102/1 160	0.368 0.898	0.000 0.000	0.367 0.898	0.367 0.898
	योग	2	1.266	0.000	1.265	1.265
41	धूलजी पिता नरभयसिंह जाति सोंधिया निवासी ग्राम भूस्वामी	130/1 5/5/2 5/6/1 130/6 132/3 69/3 133/6 48/6 48/13	2.309 1.012 0.422 0.063 0.301 0.159 0.306 0.071 0.004	2.299 0.250 0.000 0.063 0.301 0.159 0.306 0.071 0.004	0.010 0.000 0.120 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000	2.309 0.250 0.120 0.063 0.301 0.159 0.306 0.071 0.004
	योग	9	4.647	3.453	0.130	3.583
42	भवंरलाल पिता जगन्नाथ जाति सोंधिया निवासी ग्राम पालाबे	130/4 131/2 132/4 133/3	0.380 0.151 0.089 0.645	0.380 0.151 0.089 0.625	0.000 0.000 0.000 0.010	0.380 0.151 0.089 0.635
	योग	4	1.265	1.245	0.010	1.255
43	फतेहसिंह पिता गोपीलाल जाति सोंधिया निवासी ग्राम भूस्वामी	143 148 147	0.392 0.013 0.304	0.392 0.000 0.304	0.000 0.012 0.000	0.392 0.012 0.304
	योग	3	0.709	0.696	0.012	0.708
44	जगदीश पिता फूलसिंह जाति सोंधिया निवासी ग्राम भूस्वामी	144	0.164	0.000	0.164	0.164
	योग	1	0.164	0.000	0.164	0.164
45	बजेसिंह, दयाराम, बापूलाल, कालूसिंह पिता हीरालाल, दिनेश पिता स्व.जगदीश, सम्पतबाई, बदामबाई पुत्री हीरालाल हि. 6 पैसे गोपीलाल पिता जगन्नाथ हि. 5 पैसे राममूर्तिबाई पुत्री मेहताब हि. 87 पैसे जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी	146	0.152	0.000	0.152	0.152
	योग	1	0.152	0.000	0.152	0.152
46	रेशमबाई पति मदनलाल जाति सोंधिया निवासी ग्राम भूस्वामी	117/1	0.291	0.000	0.291	0.291
	योग	1	0.291	0.000	0.291	0.291
47	सीमाबाई पति जसरथसिंह जाति सोंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी	117/2	0.291	0.000	0.291	0.291
	योग	1	0.291	0.000	0.291	0.291

स.क.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	योग
1	2	3	4	5	6	7
48	भूलीबाई पति हरिसिंह जाति सोंधिया निवासी ग्राम भूस्वामी	117/3	0.291	0.000	0.171	0.171
	योग	1	0.291	0.000	0.171	0.171
49	दरियासिंह पिता दोलजी जाति सोंधिया निवासी ग्राम भूस्वामी	79/3 48/11 212/52/2 184/13/2 69/5 78/2/3	0.253 0.004 0.071 0.169 0.159 0.370	0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000	0.253 0.004 0.071 0.169 0.159 0.370	0.253 0.004 0.071 0.169 0.159 0.370
	योग	6	1.026	0.000	1.026	1.026
50	फूलसिंह पिता भेरू जाति सोंधिया निवासी ग्राम भूस्वामी	145/1 180/3 184/14/2 154/1 181/3 182/1	0.108 0.139 0.147 0.186 0.493 0.108	0.108 0.129 0.000 0.000 0.493 0.070	0.000 0.010 0.147 0.186 0.000 0.038	0.108 0.139 0.147 0.186 0.493 0.108
	योग	6	1.181	0.800	0.381	1.181
51	मांगीलाल पिता भेरू जाति सोंधिया निवासी ग्राम भूस्वामी	145/3 180/2 39/4/1 154/2 181/2 182/4	0.107 0.139 0.030 0.187 0.493 0.111	0.107 0.139 0.030 0.187 0.493 0.000	0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.111	0.107 0.139 0.030 0.187 0.493 0.111
	योग	6	1.067	0.956	0.111	1.067
52	नारू पिता भेरू जाति सोंधिया निवासी ग्राम भूस्वामी	145/4 154/3 181/4 182/2	0.107 0.186 0.633 0.111	0.000 0.000 0.000 0.000	0.107 0.186 0.633 0.111	0.107 0.186 0.633 0.111
	योग	4	1.037	0.000	1.037	1.037
53	करणसिंह पिता भेरू जाति सोंधिया निवासी ग्राम भूस्वामी	145/2 180/1 154/4 181/1 182/3	0.108 0.139 0.187 0.493 0.111	0.108 0.129 0.187 0.493 0.000	0.000 0.010 0.000 0.000 0.111	0.108 0.139 0.187 0.493 0.111
	योग	5	1.038	0.917	0.121	1.038
54	मोतीलाल पिता रामलाल जाति सोंधिया निवासी ग्राम भूस्वामी	48/2 48/16 69/9	0.213 0.010 0.478	0.000 0.000 0.000	0.213 0.010 0.478	0.213 0.010 0.478
	योग	3	0.701	0.000	0.701	0.701

स.क.	नाम, कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	योग
1	2	3	4	5	6	7
55	फूलसिंह पिता किशनलाल जाति सौंधिया निवासी ग्राम भूस्वामी	70/1	0.063	0.000	0.063	0.063
		45/8	0.240	0.000	0.210	0.210
		47/3	0.156	0.000	0.149	0.149
		67/3	0.044	0.000	0.044	0.044
		84/2	0.401	0.000	0.401	0.401
		113/3	0.177	0.000	0.177	0.177
		115/2	0.165	0.000	0.165	0.165
		115/7	0.331	0.000	0.331	0.331
		115/8	0.165	0.000	0.165	0.165
		75/2	0.073	0.000	0.073	0.073
		116/3	0.228	0.000	0.228	0.228
		120/1	0.089	0.000	0.089	0.089
		121/2	0.114	0.000	0.114	0.114
		125/1	0.017	0.000	0.017	0.017
		126/2	0.042	0.000	0.042	0.042
	योग	15	2.305	0.000	2.268	2.268
56	लालजी पिता किशनलाल जाति सौंधिया निवासी ग्राम भूस्वामी	70/2	0.063	0.000	0.063	0.063
		47/2	0.156	0.000	0.148	0.148
		67/4	0.044	0.000	0.044	0.044
		75/3	0.073	0.000	0.073	0.073
		84/1	0.400	0.000	0.400	0.400
		113/4	0.177	0.000	0.177	0.177
		115/4	0.165	0.000	0.165	0.165
		115/6	0.331	0.000	0.331	0.331
		115/9	0.165	0.000	0.165	0.165
		116/2	0.228	0.000	0.228	0.228
		121/3	0.114	0.000	0.114	0.114
		120/3	0.089	0.000	0.089	0.089
		124	0.051	0.000	0.051	0.051
		125/2	0.008	0.000	0.008	0.008
	योग	14	2.064	0.000	2.056	2.056

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	योग
1	2	3	4	5	6	7
57	भंवरलाल पिता किशनलाल जाति सोधिया निवासी ग्राम भूस्वामी	69/7 86/1 45/7 47/1 67/2 75/1 113/2 115/1 115/5 116/1 120/2 121/1 126/1	0.417 0.063 0.240 0.156 0.045 0.072 0.177 0.331 0.331 0.228 0.088 0.114 0.059	0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000	0.415 0.063 0.190 0.149 0.045 0.072 0.177 0.331 0.331 0.228 0.088 0.114 0.059	0.415 0.063 0.190 0.149 0.045 0.072 0.177 0.331 0.331 0.228 0.088 0.114 0.059
	योग	13	2.321	0.000	2.262	2.262
58	भंवरलाल, फूलसिंह, लालजी पिता किशनलाल, हि 75 पैसा धूलीबाई देवा बापूलाल, बीरमसिंह, नारायणसिंह पिता बापूलाल हि 25 पैसा जाति सोधिया निवासी ग्राम भूस्वामी	113/1 115/3	0.038 0.026	0.000 0.000	0.038 0.026	0.038 0.026
	योग	2	0.064	0.000	0.064	0.064
59	दयाराम पिता घीसालाल, कंवरलाल पति दयाराम जाति चमार नि 0 ग्राम बरखेड़ा भू-स्वामी अह,	5/14	1.000	0.000	0.612	0.612
	योग	1	1.000	0.000	0.612	0.612
60	अमृतलाल पिता दयाराम, लीलाबाई पति अमृतलाल जाति चमार नि 0 ग्रा 0 बरखेड़ा अह 0	5/15	1.000	0.000	0.400	0.400
	योग	1	1.000	0.000	0.400	0.400
61	शंकरलाल पिता शमरतन, दलूबाई पति शंकरलाल जाति चमार नि.ग्राम भू-स्वामी	5/16	0.500	0.000	0.288	0.288
	योग	1	0.500	0.000	0.288	0.288
62	धूलजी, पूनमचन्द पिता शंकर गंगाराम पिता हीरालाल, जगन्नाथ, अमरसिंह, कालूराम पिता बंशीलाल, महेश, कमल पिता रामसिंह, कलाबाई पति रामसिंह जाति अहीर नि.ग्राम भू-स्वामी	119 122	0.114 0.139	0.000 0.000	0.114 0.139	0.114 0.139
	योग	2	0.253	0.000	0.253	0.253
63	बीरमसिंह पिता बापूलाल जाति सोधिया निवासी ग्राम भूस्वामी	82/1/1 83/1/3 53 54 75/4 84/3 116/4 5/9/1	0.246 0.014 0.089 0.316 0.037 0.195 0.062 0.083	0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000	0.246 0.014 0.089 0.316 0.037 0.195 0.062 0.083	0.246 0.014 0.089 0.316 0.037 0.195 0.062 0.083
	योग	9	1.042	0.000	1.042	1.042

स.क.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	योग
1	2	3	4	5	6	7
64	बलवन्त पिता बजेसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	3/3/6/2 5/4/6/2	0.071 0.070	0.000 0.000	0.071 0.070	0.071 0.070
	योग	2	0.141	0.000	0.141	0.141
65	रामलाल पिता देवचन्द जाति अहीर नि.ग्राम भू-स्वामी	140 141	0.253 0.228	0.000 0.000	0.253 0.228	0.253 0.228
	योग	2	0.481	0.000	0.481	0.481
66	भंवरलाल, धूलसिंह पिता किरानलाल, बीरमसिंह, नारायणसिंह पिता बापूलाल, रायसिंह पिता धूलजी, हरीसिंह पिता नरमथसिंह, मोतीलाल पिता रामलाल, बंशीलाल, कालू दरियाव, केशरसिंह, रतनबाई पिता दोलजी जाति सौंधिया निवासी ग्राम भू-स्वामी	48/8	0.010	0.000	0.010	0.010
	योग	1	0.010	0.000	0.010	0.010
67	रामलाल पिता देवचन्द जाति अहीर नि.ग्राम भू-स्वामी	68	0.025	0.000	0.025	0.025
	योग	1	0.025	0.000	0.025	0.025
68	बापूलाल पिता धूलजी जाति चमार नि. ग्राम भू-स्वामी	46/3/1	0.063	0.000	0.063	0.063
	योग	1	0.063	0.000	0.063	0.063
69	हरिसिंह पिता धूलजी जाति चमार नि.ग्राम भू-स्वामी	5/11/8	0.830	0.000	0.126	0.126
	योग	1	0.830	0.000	0.126	0.126
70	पूनमचन्द्र पिता धूलजी जाति चमार नि.ग्राम भू-स्वामी	46/1/1	0.055	0.000	0.055	0.055
	योग	1	0.055	0.000	0.055	0.055
71	बद्रीलाल पिता धूलजी जाति चमार नि.ग्राम भू-स्वामी	46/1/2 46/2/1	0.057 0.348	0.000 0.000	0.057 0.246	0.057 0.246
	योग	2	0.405	0.000	0.303	0.303
72	अमरसिंह पिता बीरम जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	155	0.987	0.000	0.987	0.987
	योग	1	0.987	0.000	0.987	0.987
73	देवीसिंह पिता गोपीलाल जाति भील, नि.ग्राम ग्राम भूमि स्वामी	165/5	0.632	0.000	0.632	0.632
	योग	1	0.632	0.000	0.632	0.632
74	जगदीश पिता भंवरलाल जाति चमार नि.ग्राम भूमि स्वामी	184/1	0.200	0.000	0.200	0.200
	योग	1	0.200	0.000	0.200	0.200
75	प्रेमसिंह पिता प्यारजी जाति सौंधिया नि.ग्राम भूमि स्वामी	196/184/1	0.048	0.000	0.048	0.048
	योग	1	0.048	0.000	0.048	0.048

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	योग
1	2	3	4	5	6	7
76	डूंगा ऊर्फ जगन्नाथ पिता रूगनाथ जाति सौंधिया नि. ग्राम भूमि स्वामी	3/3/1	0.633	0.000	0.376	0.376
	योग	1	0.633	0.000	0.376	0.376
	ग्राम चंदेरी कुलयोग :-	289	89.623	27.692	48.183	75.875
बांकपुरा सिंचाई परियोजना के एम0डब्ल्यू0एल0 तक डूब क्षेत्र में प्रभावित भूमि का ग्राम चौतरा						
1	करणसिंह पिता किशनलाल जाति सौंधिया निवासी ग्राम भूस्वामी	66 102/1/2 103	0.468 0.051 0.190	0.448 0.045 0.130	0.000 0.000 0.000	0.448 0.045 0.130
	योग	3	0.709	0.623	0.000	0.623
2	रामकरण पिता प्रेमसिंह जाति सौंधिया निवासी ग्राम भूस्वामी	65/2 72/2	0.506 0.253	0.400 0.130	0.000 0.000	0.400 0.130
	योग	2	0.759	0.530	0.000	0.530
3	देवसिंह प्रेमसिंह पिता स्वरूप हि. 83 पै. अर्जुन ना.बा. पिता बजेसिंह अमीरबाई बैवा बजेसिंह हि. 17 पै. जाति सौंधिया निवासी ग्राम भूस्वामी	67/1 102/1/1 102/2 107/1/2 105 106 104/1 104/2	0.749 0.157 0.209 0.547 0.240 0.240 0.537 0.538	0.350 0.157 0.209 0.000 0.240 0.240 0.537 0.538	0.000 0.000 0.000 0.150 0.000 0.000 0.000 0.000	0.350 0.157 0.209 0.150 0.240 0.240 0.537 0.538
	योग	8	3.217	2.271	0.150	2.421
4	अनारसिंह पिता मेहताब जाति सौंधिया निवासी ग्राम भूस्वामी	68 73/1 75	1.227 0.379 0.430	0.000 0.000 0.000	0.150 0.060 0.270	0.150 0.060 0.270
	योग	3	2.036	0.000	0.480	0.480
5	बापूलाल पिता प्रतापसिंह जाति सौंधिया निवासी ग्राम भूस्वामी	74	0.430	0.000	0.260	0.260
	योग	1	0.430	0.000	0.260	0.260
6	बनेसिंह देवीसिंह पिता रामसिंह जाति सौंधिया निवासी ग्राम भूस्वामी	76	0.304	0.000	0.160	0.160
	योग	1	0.304	0.000	0.160	0.160
7	भवंरलाल पिता देवा जाति सौंधिया निवासी ग्राम भूस्वामी	77/1	0.272	0.000	0.150	0.150
	योग	1	0.272	0.000	0.150	0.150
8	भगवानसिंह पिता पूरिया जाति सौंधिया निवासी ग्राम भूस्वामी	77/2/2	0.091	0.000	0.050	0.050
	योग	1	0.091	0.000	0.050	0.050

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	योग
1	2	3	4	5	6	7
9	हरिसिंह शिवसिंह पिता जगन्नाथ सरदारबाई बैवा जगन्नाथ जाति सौंधिया निवासी ग्राम भूस्वामी	187/101 85 88	0.329 0.291 0.417	0.000 0.000 0.000	0.013 0.180 0.267	0.013 0.180 0.267
	योग	3	1.037	0.000	0.460	0.460
10	प्रेमनारायण, नारायणसिंह, बापूलाल बनेसिंह कानजी पिता मांगीलाल शैतानबाई सोरमबाई छमाबाई पुत्री मांगीलाल जाति सौंधिया निवासी ग्राम भूस्वामी	89 92	0.291 0.278	0.000 0.000	0.177 0.107	0.177 0.107
	योग	2	0.569	0.000	0.284	0.284
11	कानजी पिता मांगीलाल जाति सौंधिया निवासी ग्राम भूस्वामी	90/1	0.114	0.000	0.073	0.073
	योग	1	0.114	0.000	0.073	0.073
12	प्रेमनारायण, नारायणसिंह, बापूलाल बनेसिंह कानजी पिता मांगीलाल हि 50 पैसा धारणसिंह कंवरलाल लाखनसिंह पिता रोड़ जह हि 50 पैसा जाति सौंधिया निवासी ग्राम भूस्वामी	91	0.025	0.000	0.025	0.025
	योग	1	0.025	0.000	0.025	0.025
13	रमेश पिता धूलजी सौरमबाई पत्नि रमेश जाति चमार निवासी गाम बरखेड़ा	95/2	0.253	0.000	0.253	0.253
	योग	1	0.253	0.000	0.253	0.253
14	फतेसिंह पिता उमाजी जाति सौंधिया निवासी ग्राम भूस्वामी	96/2/2 101/2/2	0.295 0.674	0.000 0.000	0.200 0.154	0.200 0.154
	योग	2	0.969	0.000	0.354	0.354
15	लालसिंह पिता उमाजी जाति सौंधिया निवासी ग्राम भूस्वामी	96/2/3 101/2/3	0.295 0.674	0.000 0.000	0.150 0.120	0.150 0.120
	योग	2	0.969	0.000	0.270	0.270
16	अरविन्द पिता लखीचंद जाति महाजन निवासी ब्यावरा	101/2/1	0.675	0.000	0.455	0.455
	योग	1	0.675	0.000	0.455	0.455
17	देवीसिंह प्रेमसिंह पिता सरूप जाति सौंधिया निवासी ग्राम भूस्वामी	107/1/1 107/2	0.547 0.070	0.000 0.000	0.320 0.070	0.320 0.070
	योग	2	0.617	0.000	0.390	0.390
18	नारायणसिंह पिता भंवरलाल जाति सौंधिया निवासी ग्रा०भू०स्वामी	96/4/1/4	0.550	0.000	0.035	0.035
	योग	1	0.550	0.000	0.035	0.035
19	कमलसिंह पिता भंवरलाल जाति सौंधिया निवासी ग्रा०भू०स्वामी	96/4/1/1	0.657	0.000	0.095	0.095
	योग	1	0.657	0.000	0.095	0.095
20	दरियावसिंह पिता भंवरलाल जाति सौंधिया निवासी ग्रा०भू०स्वामी	96/4/1/3	0.474	0.000	0.060	0.060
	योग	1	0.474	0.000	0.060	0.060
21	बनेसिंह पिता भंवरलालजी जाति सौंधिया निवासी ग्राम भूस्वामी	96/4/1/2	0.216	0.000	0.040	0.040
	योग	1	0.216	0.000	0.040	0.040

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	योग
1	2	3	4	5	6	7
22	मोहनलाल पिता पूरजी जाति सौधिया निवासी ग्राम भूस्वामी	77/2/1	0.091	0.000	0.050	0.050
	योग	1	0.091	0.000	0.050	0.050
23	दोलतराम पिता पूरिया जाति सौधिया निवासी ग्राम भूस्वामी	77/2/3	0.090	0.000	0.050	0.050
	योग	1	0.090	0.000	0.050	0.050
24	कलाबाई पति नारायणसिंह जाति सौधिया निवासी ग्राम भूस्वामी	90/2	0.227	0.000	0.185	0.185
	योग	1	0.227	0.000	0.185	0.185
25	प्रेमसिंह पिता मांगीलाल जाति सौधिया निवासी ग्राम भूस्वामी	90/3	0.227	0.000	0.185	0.185
	योग	1	0.227	0.000	0.185	0.185
26	रुगनाथ पिता मोहनलाल जाति सौधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	180/95	0.278	0.000	0.278	0.278
	योग	1	0.278	0.000	0.278	0.278
27	मोगीलाल पिता अमरसिंह जाति सौधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	96/3/1	0.253	0.000	0.253	0.253
	योग	1	0.253	0.000	0.253	0.253
28	घीसालाल चन्द्रसिंह, रामसिंह पिता किशनलाल जाति सौधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	96/3/2	0.253	0.000	0.253	0.253
	योग	1	0.253	0.000	0.253	0.253
ग्राम चौतरा कुलयोग :-		46	16.362	3.424	5.298	8.722
बांकपुरा सिंचाई परियोजना के एम0डब्ल्यू0एल0 तक डूब क्षेत्र में प्रभावित भूमि का ग्राम सीघापुरा						
1	नाथू पिता रामा जाति चमार नि.ग्र. भू-स्वामी	14/1	0.759	0.000	0.634	0.634
	योग	1	0.759	0.000	0.634	0.634
2	प्रेमसिंह अनारसिंह अमरसिंह-करणसिंह पिता प्यारजी सुन्दरबाई बेवा प्यारजी जाति सौधिया नि.ग्र भू-स्वामी	15	0.582	0.000	0.407	0.407
	योग	1	0.582	0.000	0.407	0.407
3	बजेसिंह लाखनसिंह पिता मांग्या जाति सौधिया नि.ग्रा भू-स्वामी	17/1	0.468	0.458	0.000	0.458
		18/1	0.385	0.385	0.000	0.385
		97/2/2	0.048	0.048	0.000	0.048
		72/1/2	0.171	0.110	0.000	0.110
		46/1/2/1	0.246	0.146	0.000	0.146
		47/2/1/1	0.107	0.057	0.000	0.057
	योग	7	1.425	1.204	0.000	1.204
4	बीरम कालू हिन्दुसिंह पिता अमरसिंह दरियाव बाई पुत्री अमरसिंह भूली बेवा अमरसिंह जाति सौधिया नि.ग्रा भू-स्वामी	17/2	0.468	0.090	0.000	0.090
		18/2	0.772	0.370	0.000	0.370
		46/1/1/1	0.247	0.157	0.000	0.157
		97/2/1	0.047	0.047	0.000	0.047
		47/2/2/1	0.108	0.058	0.000	0.058
	योग	5	1.642	0.722	0.000	0.722

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	योग
1	2	3	4	5	6	7
5	अनारसिंह पिता देवजी जाति सौंधिया नि.ग्रा भू-स्वामी	19/1 20/3/4 46/2/2 11/3/4 97/2/6 47/1/3 72/2/4	0.534 0.094 0.127 0.143 0.023 0.050 0.082	0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000	0.300 0.094 0.127 0.143 0.023 0.050 0.022	0.300 0.094 0.127 0.143 0.023 0.050 0.022
	योग	7	1.053	0.000	0.759	0.759
6	जगन्नाथ पदमसिंह पिता कुमेरसिंह जाति सौंधिया नि.ग्रा भू-स्वामी	19/2 46/2/1 186/97 60/1 70 71	0.534 0.127 0.329 0.974 0.379 0.469	0.213 0.127 0.319 0.849 0.369 0.469	0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000	0.213 0.127 0.319 0.849 0.369 0.469
	योग	6	2.812	2.346	0.000	2.346
7	बापूलाल कान्जी पिता भंवरजी भंवरी बाई बेवा भंवरजी जाति सौंधिया नि.ग्रा भू-स्वामी	19/3 46/2/4/1 11/3/3 97/2/5 72/2/3	0.534 0.126 0.142 0.024 0.082	0.000 0.000 0.000 0.000 0.000	0.180 0.036 0.142 0.024 0.023	0.180 0.036 0.142 0.024 0.023
	योग	5	0.908	0.000	0.405	0.405
8	नारायणसिंह,कमलसिंह, पिता फुलजी,संतोषबाई पिता फुलजी मु0 सुन्दरबाई बेवा फूलजी जाति सौंधिया नि. ग्रा भू-स्वामी	19/4 46/2/3 11/3/1 72/2/1 97/2/3	0.535 0.126 0.142 0.083 0.024	0.000 0.000 0.000 0.000 0.000	0.190 0.036 0.142 0.023 0.024	0.190 0.036 0.142 0.023 0.024
	योग	5	0.910	0.000	0.415	0.415
9	देवसिंह पिता खीमा जाति सौंधिया नि.ग्रा भू-स्वामी	20/2	2.620	0.000	0.620	0.620
	योग	1	2.620	0.000	0.620	0.620

स.क.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	योग
1	2	3	4	5	6	7
10	बीरमसिंह पिता घीसू जाति सौंधिया नि.ग्रा भू-स्वामी	42/1	1.176	0.588	0.000	0.588
		43	0.443	0.443	0.000	0.443
		44	0.304	0.279	0.000	0.279
		53	0.455	0.455	0.000	0.455
		54	0.506	0.506	0.000	0.506
		56	0.316	0.316	0.000	0.316
		58	0.329	0.329	0.000	0.329
		61	0.772	0.772	0.000	0.772
		64	1.125	1.125	0.000	1.125
		73	1.012	0.057	0.000	0.057
		59	0.342	0.342	0.000	0.342
		57/1	0.329	0.039	0.000	0.039
		45/1	0.417	0.400	0.000	0.400
		48	0.291	0.291	0.000	0.291
	योग	14	7.817	5.942	0.000	5.942
11	कालूराम पिता कुमरसिंह जाति सौंधिया नि.ग्रा भू-स्वामी	47/1/4	0.050	0.000	0.050	0.050
		11/3/2	0.142	0.000	0.142	0.142
		72/2/2	0.082	0.000	0.022	0.022
	योग	3	0.274	0.000	0.214	0.214
12	गुजरात विक्रम पिता कान जी जाति सौंधिया नि.ग्रा भू-स्वामी	49/1	0.265	0.000	0.265	0.265
	योग	1	0.265	0.000	0.265	0.265
13	शिवसिंह कालूसिंह पिता अमरसिंह जाति सौंधिया नि.ग्रा भू-स्वामी	49/2	0.266	0.000	0.266	0.266
	योग	2	0.266	0.000	0.266	0.266
14	उंकार पिता बीरम जाति चमार नि.ग्रा भू-स्वामी	50/1	0.152	0.152	0.000	0.152
		158/4/1	0.083	0.083	0.000	0.083
		52/2/1	0.027	0.027	0.000	0.027
		69/1/2/1	0.114	0.104	0.000	0.104
		77/1/1	0.019	0.006	0.000	0.006
		77/4	0.100	0.100	0.000	0.100
	योग	6	0.495	0.472	0.000	0.472

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	योग
1	2	3	4	5	6	7
15	सदा पिता रोडीया जाति चमार नि.ग्रा भू-स्वामी	50/2 77/2 52/1 69/2 158/5 77/5/1/1	0.152 0.044 0.080 0.342 0.696 0.080	0.152 0.044 0.070 0.332 0.696 0.080	0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000	0.152 0.044 0.070 0.332 0.696 0.080
	योग	6	1.394	1.374	0.000	1.374
16	बीरमसिंह पिता भंवरसिंह जाति सौंधिया नि.ग्रा भू-स्वामी	55/1	0.139	0.130	0.000	0.130
	योग	1	0.139	0.130	0.000	0.130
17	गोकुल पिता धूलजी जाति कुम्हार नि.ग्रा भू-स्वामी	65/2/1	0.083	0.000	0.083	0.083
	योग	1	0.083	0.000	0.083	0.083
18	जगदीश पिता मोतीलाल जाति सौंधिया नि.ग्रा भू-स्वामी	65/2/2 65/3	0.090 0.173	0.000 0.000	0.090 0.173	0.090 0.173
	योग	2	0.263	0.000	0.263	0.263
19	पूरजी पिता गंगाराम जाति चमार नि.ग्रा भू-स्वामी	68/1 52/3 69/3 51/1 77/3	0.025 0.040 0.151 0.183 0.100	0.000 0.030 0.141 0.183 0.100	0.025 0.000 0.000 0.000 0.000	0.025 0.030 0.141 0.183 0.100
	योग	5	0.499	0.454	0.025	0.479
20	हजारी पिता जगन्नाथ जाति चमार नि.ग्रा भू-स्वामी	68/2 51/3 52/6 69/4	0.013 0.092 0.020 0.081	0.000 0.092 0.020 0.081	0.013 0.000 0.000 0.000	0.013 0.092 0.020 0.081
	योग	4	0.206	0.193	0.013	0.206
21	बनेसिंह पिता जगन्नाथ जाति चमार नि.ग्रा भू-स्वामी	68/3 51/2 52/5 69/5	0.013 0.091 0.020 0.070	0.000 0.000 0.000 0.000	0.013 0.091 0.020 0.070	0.013 0.091 0.020 0.070
	योग	4	0.194	0.000	0.194	0.194
22	अमरसिंह पिता रूगनाथ जाति चमार नि.ग्रा भू-स्वामी	74 151	0.379 0.076	0.369 0.076	0.000 0.000	0.369 0.076
	योग	2	0.455	0.445	0.000	0.445

स.क.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	योग
1	2	3	4	5	6	7
23	गोरीया पिता हरलाल जाति चमार नि.ग्रा भू-स्वामी	75	0.455	0.445	0.000	0.445
	योग	1	0.455	0.445	0.000	0.445
24	मोतीलाल पिता घीसालाल जाति सौंधिया नि.ग्रा भू-स्वामी	79/1 155/1	0.655 1.250	0.165 1.240	0.000 0.000	0.165 1.240
	योग	2	1.905	1.405	0.000	1.405
25	हीन्दुसिंह पिता घीसालाल जाति सौंधिया नि.ग्रा भू-स्वामी	79/2 155/2	0.635 1.250	0.000 0.000	0.110 0.160	0.110 0.160
	योग	2	1.885	0.000	0.270	0.270
26	मोतीलाल हिन्दुसिंह पिता घीसालाल जाति सौंधिया नि. ग्रा भू-स्वामी	155/3	0.016	0.000	0.016	0.016
	योग	1	0.016	0.000	0.016	0.016
27	दयालसिंह पिता बापू जाति सौंधिया नि.ग्रा भू-स्वामी	97/1 99 96/2/1 98/2	0.126 0.126 0.784 0.210	0.126 0.126 0.113 0.210	0.000 0.000 0.000 0.000	0.126 0.126 0.113 0.210
	योग	4	1.246	0.575	0.000	0.575
28	रोडीबाई बेवा कुमरसिंह जाति सौंधिया नि.ग्रा भू-स्वामी	97/2/4	0.024	0.000	0.024	0.024
	योग	1	0.024	0.000	0.024	0.024
29	प्रेमसिंह पिता बापू जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	98/1	0.310	0.000	0.310	0.310
	योग	1	0.310	0.000	0.310	0.310
30	गुलाबबाई पति हिन्दुसिंह जाति सौंधिया नि.ग्रा भू-स्वामी	156/1	0.379	0.000	0.370	0.370
	योग	1	0.379	0.000	0.370	0.370
31	कोसल्याबाई पति जगदीश जाति सौंधिया नि.ग्रा भू-स्वामी	156/2 154/2	0.379 0.108	0.000 0.000	0.379 0.108	0.379 0.108
	योग	2	0.487	0.000	0.487	0.487
32	घीसालाल पिता रामा जाति सौंधिया नि.ग्रा भू-स्वामी	159	0.583	0.000	0.583	0.583
	योग	1	0.583	0.000	0.583	0.583
33	बंशीलाल पिता धूलजी जाति कुम्हार नि.ग्रा भू-स्वामी	160/2 161/4	0.057 0.024	0.000 0.000	0.027 0.012	0.027 0.012
	योग	2	0.081	0.000	0.039	0.039

स.क.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	योग
1	2	3	4	5	6	7
34	दयाराम पिता धूलजी जाति कुम्हार नि.ग्रा भू-स्वामी	160/4	0.057	0.000	0.057	0.057
	योग	1	0.057	0.000	0.057	0.057
35	नानकराम पिता धूलजी जाति कुम्हार नि.ग्रा भू-स्वामी	160/3	0.057	0.000	0.057	0.057
	योग	1	0.057	0.000	0.057	0.057
36	कमलसिंह, चैनसिंह, राजू पिता बापूलाल गीताबाई पति बापूलाल जाति कुम्हार नि.ग्रा भू-स्वामी	158/2	0.126	0.000	0.126	0.126
		157/1/1	0.010	0.000	0.010	0.010
	योग	2	0.136	0.000	0.136	0.136
37	धीरप,रामचरण पिता दोलजी जाति सौंधिया नि. ग्रा भू-स्वामी	163/2	0.130	0.000	0.130	0.130
		173/1/11	0.353	0.000	0.353	0.353
		173/1/12/1	0.090	0.000	0.048	0.048
		168/6	0.345	0.000	0.345	0.345
	योग	4	0.918	0.000	0.876	0.876
38	रामसिंह पिता हरल्या जाति चमार नि.ग्रा भू-स्वामी	164/1	0.126	0.126	0.000	0.126
	योग	1	0.126	0.126	0.000	0.126
39	देवसिंह पिता रूगनाथ जाति चमार नि.ग्रा भू-स्वामी	164/2	0.126	0.000	0.126	0.126
		167	0.342	0.000	0.150	0.150
	योग	2	0.468	0.000	0.276	0.276
40	कालू पिता ग्यारस्या जाति चमार नि.ग्रा भू-स्वामी	164/3/1	0.215	0.000	0.100	0.100
	योग	1	0.215	0.000	0.100	0.100
41	भगवानसिंह, गजराजसिंह, पिता बीरमसिंह राहुल पिता कमलसिंह जाति सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी	168/1	0.250	0.250	0.000	0.250
		163/1	0.022	0.022	0.000	0.022
		173/1/1	0.600	0.600	0.000	0.600
		175/1/1	0.300	0.024	0.000	0.024
		62/1	0.196	0.196	0.000	0.196
	171/1/1	0.074	0.074	0.000	0.074	
	योग	6	1.442	1.166	0.000	1.166
42	नारायणसिंह पिता हजारीलाल जाति सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी	168/2	0.139	0.000	0.139	0.139
		62/2	0.098	0.000	0.098	0.098
		173/1/2/1	0.045	0.000	0.015	0.015
		173/1/3	0.195	0.000	0.195	0.195
		171/1/2	0.060	0.000	0.060	0.060
	योग	5	0.537	0.000	0.507	0.507

स.क.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	योग
1	2	3	4	5	6	7
43	हीरालाल पिता हजारीलाल जाति सौधिया नि. ग्राम भू-स्वामी	168/3	0.076	0.076	0.000	0.076
		62/3	0.107	0.107	0.000	0.107
		173/1/5	0.140	0.130	0.000	0.130
		173/1/13	0.059	0.059	0.000	0.059
		171/1/3	0.060	0.060	0.000	0.060
		171/1/4	0.060	0.060	0.000	0.060
	योग	6	0.502	0.492	0.000	0.492
44	लालजी पिता पूरजी जाति सौधिया नि. ग्राम भू-स्वामी	168/4	0.126	0.000	0.126	0.126
		62/4	0.086	0.000	0.086	0.086
		171/1/5	0.044	0.000	0.044	0.044
		77/1/2	0.013	0.000	0.013	0.013
		77/5/2	0.060	0.000	0.060	0.060
		173/1/7	0.100	0.000	0.100	0.100
		72/1/1	0.171	0.000	0.120	0.120
		171/1/7	0.250	0.000	0.250	0.250
	योग	8	0.850	0.000	0.799	0.799
45	कंवरलाल पिता दोलजी जाति सौधिया नि.ग्रा भू-स्वामी	168/5	0.100	0.000	0.100	0.100
	योग	1	0.100	0.000	0.100	0.100
46	रोडजी पिता देवसिंह जाति सौधिया नि. ग्रा. भू-स्वामी	169/1	0.498	0.230	0.000	0.230
		170	0.342	0.300	0.000	0.300
		171/2/1	0.252	0.050	0.000	0.050
		172/1	0.544	0.544	0.000	0.544
	योग	4	1.636	1.124	0.000	1.124
47	देवसिंह पिता खीमा जी जाति सौधिया नि.ग्रा भू-स्वामी	169/3	0.499	0.150	0.000	0.150
		171/2/3	0.595	0.535	0.000	0.535
		172/3	0.544	0.544	0.000	0.544
		175/2/3	0.287	0.191	0.000	0.191
	योग	4	1.925	1.420	0.000	1.420
48	विष्णु पिता देवीसिंह जाति सौधिया नि. ग्रा. भू-स्वामी	171/2/2	0.595	0.280	0.000	0.280
		172/2	0.544	0.544	0.000	0.544
		175/2/2	0.287	0.192	0.000	0.192
		169/2	0.499	0.150	0.000	0.150
	योग	4	1.925	1.166	0.000	1.166
49	हरिसिंह पिता पूरजी जाति सौधिया नि. ग्राम भू-स्वामी	175/1/5/1	0.037	0.000	0.006	0.006
		62/5	0.110	0.000	0.110	0.110
		173/1/8/1	0.083	0.000	0.033	0.033
		173/1/9	0.126	0.000	0.126	0.126
		171/1/8	0.060	0.000	0.060	0.060
		171/1/9	0.250	0.000	0.250	0.250
	योग	6	0.666	0.000	0.585	0.585

स.क.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	योग
1	2	3	4	5	6	7
50	रोड़जी पिता देवसिंह जाति सौंधिया नि. ग्रा. भू-स्वामी	175/2/1/1	0.286	0.000	0.191	0.191
	योग	1	0.286	0.000	0.191	0.191
51	प्रेमसिंह पिता दोलजी जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	63	0.025	0.000	0.025	0.025
		62/7	0.069	0.000	0.069	0.069
	योग	2	0.094	0.000	0.094	0.094
52	भंवरलाल पिता गोकल जाति कुम्हार नि.ग्राम भू-स्वामी	65/1	0.173	0.160	0.000	0.160
	योग	1	0.173	0.160	0.000	0.160
53	कंवरलाल पिता दौलजी जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	62/6	0.093	0.000	0.093	0.093
		173/1/10	0.060	0.000	0.060	0.060
	योग	2	0.153	0.000	0.153	0.153
54	पूरजी पिता जगन्नाथ जाति चमार नि.ग्राम भू-स्वामी	158/1	0.348	0.338	0.000	0.338
	योग	1	0.348	0.338	0.000	0.338
55	गोकुल पिता जगन्नाथ जाति चमार नि.ग्राम भू-स्वामी	158/3	0.148	0.000	0.148	0.148
	योग	1	0.148	0.000	0.148	0.148
56	रतन पिता जगन्नाथ जाति चमार नि.ग्राम भू-स्वामी	142	0.063	0.000	0.020	0.020
	योग	1	0.063	0.000	0.020	0.020
57	मांगीलाल पिता बीरम जाति चमार नि.ग्राम भू-स्वामी	52/4/2	0.026	0.000	0.026	0.026
		158/4/2	0.165	0.000	0.155	0.155
		157/4/1	0.010	0.000	0.007	0.007
		69/1/3	0.114	0.000	0.104	0.104
		158/6	0.532	0.000	0.532	0.532
	योग	5	0.847	0.000	0.824	0.824
58	मदन पिता बीरम जाति चमार नि.ग्राम भू-स्वामी	52/2/2	0.013	0.000	0.013	0.013
		52/4/1	0.014	0.000	0.014	0.014
		69/1/1	0.114	0.000	0.104	0.104
	योग	3	0.141	0.000	0.131	0.131
59	हीरालाल पिता बापू जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	96/2/3	0.112	0.000	0.112	0.112
		98/3	0.100	0.000	0.100	0.100
	योग	2	0.212	0.000	0.212	0.212
60	जगन्नाथ पिता कुमेरसिंह जाति सौंधिया	55/2	0.165	0.000	0.165	0.165
	योग	1	0.165	0.000	0.165	0.165
61	अमृतलाल पिता आर्या, जाति चमार नि.ग्राम भू-स्वामी	166	0.328	0.000	0.050	0.050
	योग	1	0.328	0.000	0.050	0.050
62	शंकर पिता नाथू जाति चमार नि. ग्रा. भू-स्वामी	13/1	0.190	0.000	0.100	0.100
	योग	1	0.190	0.000	0.100	0.100

स.क.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	योग
1	2	3	4	5	6	7
63	बीरम पिता गोपीलाल जाति कुम्हार नि.ग्रा.भू.स्वामी	160/1/1	0.031	0.000	0.031	0.031
	योग	1	0.031	0.000	0.031	0.031
ग्राम सींघापुरा कुलयोग :-		186	47.171	21.699	12.274	33.973
बांकपुरा सिंचाई परियोजना के एम0डब्ल्यू0एल0 तक डूब क्षेत्र में प्रभावित भूमि का ग्राम सारस्यावे						
1	इन्दरसिंह पिता देवीलाल कमलाबाई बेवा देवीलाल हि 44 पै. जाति गुर्जर नि.ग्रा.भू-स्वामी कुमेरसिंह पिता बागजी मोगजी पिता खीमाजी हि. 56 पै जाति सोंधिया नि. कानडियाखेडी भू- स्वामी	7/1	1.164	0.454	0.000	0.454
		6	0.670	0.350	0.000	0.350
	योग	2	1.834	0.804	0.000	0.804
2	शिवनाराण पिता नारायणसिंह जाति गुर्जर नि. ग्रा. भू-स्वामी	7/2	1.770	1.750	0.000	1.750
	योग	1	1.770	1.750	0.000	1.750
3	रंगलाल पिता नाथूलाल जाति गुर्जर नि. ग्रा. भू-स्वामी	8	0.519	0.000	0.289	0.289
		40/3	0.130	0.000	0.130	0.130
	योग	2	0.649	0.000	0.419	0.419
4	कमलसिंह, जगदीश पिता किशोर, सुगनबाई, द्रोपतीबाई पुत्री किशोर, गुलाबबाई बेवा किशोर जाति चमार नि.ग्राम भू-स्वामी	200/12/1	0.071	0.000	0.071	0.071
		31/1	0.270	0.000	0.270	0.270
		33/1	0.260	0.000	0.040	0.040
		55/5	0.018	0.000	0.018	0.018
		53/5	0.016	0.000	0.016	0.016
		54/5	0.061	0.000	0.061	0.061
	योग	6	0.696	0.000	0.476	0.476
5	कमलाबाई बेवा देवा, मोहन पिता देवा जाति चमार नि. ग्रा. भू-स्वामी	200/12/2	0.070	0.000	0.070	0.070
		31/4	0.270	0.000	0.270	0.270
		33/2	0.261	0.000	0.190	0.190
		55/1	0.018	0.000	0.018	0.018
		53/1	0.015	0.000	0.015	0.015
		54/1	0.060	0.000	0.060	0.060
	योग	6	0.694	0.000	0.623	0.623
6	सुखराम पिता घुलजी जाति चमार नि. ग्रा. भू-स्वामी	200/12/3	0.071	0.000	0.071	0.071
		33/3/2	0.025	0.000	0.025	0.025
	योग	2	0.096	0.000	0.096	0.096

स.क.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	योग
1	2	3	4	5	6	7
7	रमेश पिता धुलजी जाति चमार नि. ग्रा. भू-स्वामी	200/12/4	0.071	0.071	0.000	0.071
		53/2	0.015	0.015	0.000	0.015
		54/2	0.061	0.061	0.000	0.061
		31/2	0.271	0.271	0.000	0.271
		33/4	0.260	0.190	0.000	0.190
		152/1	0.000	0.000	0.000	0.000
		55/2	0.018	0.018	0.000	0.018
		55/4	0.017	0.017	0.000	0.017
		53/4	0.015	0.015	0.000	0.015
	54/4	0.061	0.061	0.000	0.061	
	योग	9	0.789	0.719	0.000	0.719
8	मोरसिंह पिता धुलजी जाति चमार नि. ग्रा. भू-स्वामी	200/12/5	0.071	0.000	0.071	0.071
		31/3	0.271	0.000	0.271	0.271
		33/5	0.260	0.000	0.210	0.210
		55/3	0.018	0.000	0.018	0.018
		53/3	0.015	0.000	0.015	0.015
		54/3	0.061	0.000	0.061	0.061
	योग	6	0.696	0.000	0.646	0.646
9	लालजी पिता हीरालाल जाति सोधिया नि. ग्रा. कानड़ियाखेड़ी	13/3	0.363	0.000	0.253	0.253
	योग	1	0.363	0.000	0.253	0.253
10	रंगलाल पिता नाथूलाल जाति गुर्जर नि. ग्रा. भू-स्वामी	26/1	0.063	0.000	0.028	0.028
		122/1	0.050	0.000	0.050	0.050
	योग	2	0.113	0.000	0.078	0.078
11	रामरतन पिता नाथूलाल जाति गुर्जर नि. ग्रा. भू-स्वामी	26/2	0.063	0.000	0.028	0.028
		134/4	0.017	0.000	0.017	0.017
		45/1	0.253	0.000	0.090	0.090
		43/1, 122/2	0.485	0.000	0.305	0.305
		40/4	0.131	0.000	0.131	0.131
	योग	5	0.949	0.000	0.571	0.571
12	हरकिशन पिता नाथूलाल जाति गुर्जर नि. ग्रा. भू-स्वामी	26/3	0.063	0.028	0.000	0.028
		43/2	0.970	0.970	0.000	0.970
		45/6	0.540	0.053	0.010	0.063
		40/5	0.131	0.131	0.000	0.131
	योग	4	1.704	1.182	0.010	1.192

स.क.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	योग
1	2	3	4	5	6	7
13	हरबगस दिलिपसिंह पिता शंकर केसरबाई बेपा शंकर जाति गुर्जर नि. ग्रा. भू-स्वामी	26/4	0.064	0.014	0.000	0.014
		27/1	0.031	0.031	0.000	0.031
		40/2	0.196	0.196	0.000	0.196
		45/7	1.126	0.110	0.010	0.120
		37	0.126	0.000	0.126	0.126
		36/1	0.816	0.370	0.000	0.370
	योग	6	2.359	0.721	0.136	0.857
14	गोपाल पिता परसराम जाति गुर्जर नि. ग्रा. भू-स्वामी	31/5	0.271	0.000	0.271	0.271
		33/3/1	0.235	0.000	0.135	0.135
	योग	2	0.506	0.000	0.406	0.406
15	हंसराज, गजराज, ना०बा० पिता गोपाल सर०पर०, भगवतिबाई पति गोपाल जाति गुर्जर नि. ग्रा. भू-स्वामी	30/1	0.202	0.202	0.000	0.202
		30/7	0.135	0.125	0.010	0.135
	योग	2	0.337	0.327	0.010	0.337
16	प्रेमनारायण पिता कनीराम जाति गुर्जर नि. ग्रा. भू-स्वामी	30/2	0.202	0.000	0.202	0.202
		29/3	0.135	0.000	0.135	0.135
		59/4	0.097	0.000	0.097	0.097
		35/5	0.274	0.000	0.274	0.274
		28/1	0.383	0.000	0.383	0.383
	योग	5	1.091	0.000	1.091	1.091
17	भागीरथ पिता मानसिंह जाति गुर्जर नि. ग्रा. भू-स्वामी	30/3	0.202	0.202	0.000	0.202
		29/4	0.135	0.135	0.000	0.135
		59/3	0.097	0.097	0.000	0.097
		166/2	0.090	0.090	0.000	0.090
		58/5	0.029	0.029	0.000	0.029
		28/6	0.383	0.383	0.000	0.383
	योग	6	0.936	0.936	0.000	0.936
18	मांगीलाल पिता मानसिंह जाति गुर्जर नि. ग्रा. भू-स्वामी	30/4	0.203	0.000	0.203	0.203
		28/7	0.384	0.000	0.384	0.384
		29/5	0.135	0.000	0.135	0.135
		58/6	0.030	0.000	0.030	0.030
		35/6	0.264	0.000	0.264	0.264
		64/3	0.088	0.000	0.088	0.088
	योग	6	1.104	0.000	1.104	1.104

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	योग
1	2	3	4	5	6	7
19	शिवनाराण पिता परसा जाति गुर्जर नि. ग्रा. भू-स्वामी	30/5	0.135	0.000	0.105	0.105
		28/3	0.255	0.000	0.255	0.255
		35/3	0.263	0.000	0.200	0.200
		58/2	0.019	0.000	0.019	0.019
		29/6	0.090	0.000	0.090	0.090
		64/2	0.089	0.000	0.089	0.089
	योग	6	0.851	0.000	0.758	0.758
20	राधेश्याम पिता परसा जाति गुर्जर नि. ग्रा. भू-स्वामी	30/6	0.135	0.000	0.135	0.135
		29/7	0.090	0.000	0.090	0.090
		58/3	0.020	0.000	0.020	0.020
		59/1	0.048	0.000	0.048	0.048
		35/4	0.264	0.000	0.264	0.264
		28/4	0.256	0.000	0.256	0.256
	योग	6	0.813	0.000	0.813	0.813
21	परवतसिंह पिता जगन्नाथ जाति गुर्जर नि. ग्रा. भू-स्वामी	32/1	0.803	0.000	0.803	0.803
		38/3	0.359	0.349	0.010	0.359
	योग	2	1.162	0.349	0.813	1.162
22	रामसिंह रामबगस पिता दोसा जाति गुर्जर नि. ग्रा. भू-स्वामी	32/2	0.804	0.000	0.734	0.734
			योग	1	0.804	0.000
23	इन्दरसिंह पिता जगन्नाथ जाति गुर्जर नि. ग्रा. भू-स्वामी	38/1	0.085	0.000	0.085	0.085
		39/1	0.273	0.000	0.273	0.273
	योग	2	0.358	0.000	0.358	0.358
24	बहादुरसिंह पिता नारायणसिंह सन्तराबाई बेवा नारायण जाति गुर्जर नि. ग्रा. भू-स्वामी	38/2	0.188	0.178	0.010	0.188
		39/2	0.170	0.170	0.000	0.170
	योग	2	0.358	0.348	0.010	0.358
25	राधेश्याम केसरसिंह सागर सिंह गजराज पिता उकार सरदार बाई पत्नि उकार जाति गुर्जर नि. ग्रा. भू-स्वामी	50/1	0.025	0.000	0.025	0.025
		51/1	0.133	0.133	0.000	0.133
		56/1	0.038	0.000	0.038	0.038
		52/1	0.026	0.016	0.000	0.016
	योग	4	0.222	0.149	0.063	0.212
26	बलराम जसवन्तसिंह हनुमतसिंह पिता रूगनाथ जाति गुर्जर नि. ग्रा. भू-स्वामी	50/2	0.026	0.000	0.026	0.026
		56/2	0.038	0.000	0.038	0.038
		51/2	0.133	0.000	0.133	0.133
		52/2	0.025	0.000	0.025	0.025
	योग	4	0.222	0.000	0.222	0.222

स.क.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	योग
1	2	3	4	5	6	7
27	ओमप्रकाश मनोहरसिंह माखनसिंह पिता रामसिंह अन्तरबाई बेवा रामसिंह जाति गुर्जर नि. ग्रा. भू-स्वामी	61/1	0.156	0.156	0.000	0.156
		197/5	0.316	0.316	0.000	0.316
		47/4	0.432	0.372	0.010	0.382
	योग	3	0.904	0.844	0.010	0.854
28	गोविंदसिंह पिता जगन्नाथ जाति गुर्जर नि. ग्रा. भू-स्वामी	61/2	0.156	0.000	0.156	0.156
		42/2	0.038	0.000	0.038	0.038
		47/2	0.864	0.000	0.759	0.759
		196/3	0.230	0.000	0.063	0.063
		197/3	0.168	0.000	0.168	0.168
		44/1	0.633	0.000	0.433	0.433
		41/1	0.695	0.000	0.695	0.695
	योग	7	2.784	0.000	2.312	2.312
29	नारायाणसिंह पिता जगन्नाथ जाति गुर्जर नि. ग्रा. भू-स्वामी	61/3	0.156	0.156	0.000	0.156
		197/1	1.031	1.031	0.000	1.031
		196/1	0.231	0.221	0.000	0.221
	योग	3	1.418	1.408	0.000	1.408
30	रामेश्वर देवीसिंह हरिनारयण पिता अमरतलाल मु. मेहताबाबाई बेवा अमरतलाल जाति गुर्जर नि. ग्रा. भू-स्वामी	62	0.481	0.000	0.241	0.241
		125	0.051	0.000	0.051	0.051
		60	0.114	0.000	0.114	0.114
	योग	3	0.646	0.000	0.406	0.406
31	दयाराम पिता कनीराम जाति गुर्जर नि. ग्रा. भू-स्वामी	64/1	0.089	0.079	0.000	0.079
		58/1	0.059	0.059	0.000	0.059
		29/2	0.084	0.084	0.000	0.084
		28/2	0.384	0.384	0.000	0.384
	योग	4	0.616	0.606	0.000	0.606
32	कमलाबाई पति बालाबगस जाति गुर्जर नि. ग्रा. भू-स्वामी	67	0.089	0.000	0.089	0.089
		57	0.519	0.000	0.260	0.260
	योग	2	0.608	0.000	0.349	0.349
33	हजारी पिता कालूसिंह जाति गुर्जर नि.ग्राम भू-स्वामी	110	0.114	0.000	0.114	0.114
		111/2	0.047	0.000	0.047	0.047
	योग	2	0.161	0.000	0.161	0.161
34	रामनारयण पिता मोरसिंह जाति गुर्जर नि. ग्रा. भू-स्वामी	114	0.013	0.000	0.013	0.013
		116	0.278	0.000	0.278	0.278
		115	0.025	0.000	0.025	0.025
	योग	3	0.316	0.000	0.316	0.316

स.क.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	योग
1	2	3	4	5	6	7
35	रामचरण, सावन्तसिंह पिता प्रभुलाल हि. 20 पेसे हरिसिंह हरचन्द पिता कनीराम हि. 40 पेसे मदनलाल फुलसिंह धनराज, धूलजी भारतसिंह पिता प्यारजी रामसुखीबाई बेवा प्यारजी हि. 20 पेसे करनसिंह पिता बिहारीलाल कंचनबाई बेवा विहरीलाल हि. 20 पेसे जाति गुर्जर नि. ग्रा. भू-स्वामी	121/1	0.208	0.000	0.126	0.126
	योग	1	0.208	0.000	0.126	0.126
36	रामसिंह रामबगस पिता दोसा जाति गुर्जर नि. ग्रा. भू-स्वामी	123	0.367	0.000	0.115	0.115
	योग	1	0.367	0.000	0.115	0.115
37	मोडसिंह, रमेश पिता धूल्या, मोहन ना.वा. पिता देव्या स.माता कमलाबाई बेवा देव्या हि.48 पेसे. भंवरलाल पिता धनजी, भगवानसिंह ना.वा. पिता धनजी स.माता मोतियाबाई बेवा धनजी, हरबगस, रामचरीया, रामप्रसाद पिता प्रभुलाल, जुकतीबाई बेवा प्रभुलाल हि.2 पेसे कमलाबाई बेवा देव्या, मोहन ना.वा. पिता देव्या, किशोर, सुखराम, मोडनसिंह, रमेश पिता धूल्या, दोलीबाई बेवा धूल्या हि. 50 पेसे जाति चमार नि.ग्राम भू-स्वामी	148	0.898	0.886	0.000	0.886
	योग	1	0.898	0.886	0.000	0.886
38	गिरधारी पिता मुंगा हि 50 पेसे कमल पिता सरदार हि.50 पेसे जाति कमलबेलिया नि. ग्रा. भू-स्वामी	177	1.050	0.000	1.050	1.050
	योग	1	1.050	0.000	1.050	1.050
39	जसवंतसिंह पिता जगन्नाथ जाति गुर्जर नि. ग्रा. भू-स्वामी	196/2 197/2 47/1	0.231 0.168 0.864	0.000 0.000 0.000	0.231 0.168 0.774	0.231 0.168 0.774
	योग	3	1.263	0.000	1.173	1.173
40	रामचरण पिता जगन्नाथ जाति गुर्जर नि.ग्राम भू-स्वामी	197/4 47/3	0.328 0.432	0.318 0.382	0.010 0.000	0.328 0.382
	योग	2	0.760	0.700	0.010	0.710
41	रुगनाथ पिता रामरतन जाति गुर्जर नि.ग्राम भू-स्वामी भगवानसिंह पिता रामचरण जाति गुर्जर नि.ग्राम भू-स्वामी ओमप्रकाश पिता रामसिंह जाति गुर्जर नि. ग्रा. भू-स्वामी	118	0.621	0.000 0.000 0.000	0.025 0.025 0.025	0.025 0.025 0.025
	योग	1	0.621	0.000	0.075	0.075
42	हरचन्द पिता कनीराम जाति गुर्जर नि. ग्रा. भू-स्वामी	174 160/6	0.177 0.632	0.000 0.000	0.003 0.632	0.003 0.632
	योग	2	0.809	0.000	0.635	0.635
43	रामरतन पिता कालूसिंह जाति गुर्जर नि.ग्राम भू-स्वामी	113 111/4 108/1	0.253 0.060 0.039	0.000 0.000 0.000	0.063 0.060 0.039	0.063 0.060 0.039
	योग	3	0.352	0.000	0.162	0.162
44	बापूलाल पिता गुलाब, हजारी, रामरतन पिता कालूसिंह, प्रकाश, चैनसिंह पिता मोडसिंह, प्रेमबाई बेवा मोडसिंह, मदनलाल पिता प्रभूलाल जाति गुर्जर नि.ग्राम भू-स्वामी	107	0.025	0.000	0.012	0.012
	योग	1	0.025	0.000	0.012	0.012

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	योग
1	2	3	4	5	6	7
45	सरदारबाई पुत्री भंवरिया हि. 96 पैसे, देवबगरा, मोहन पिता हरलाल हि.02 पैसे, गोपाल पिता परसाराम, इन्दरसिंह पिता जगन्नाथ हि.02 पैसे जाति गुर्जर नि.ग्राम भू-स्वामी	120 से	0.266	0.000	0.133	0.133
	योग	1	0.266	0.000	0.133	0.133
46	सोलाल पिता शंकर जाति चमार नि.ग्राम भू-स्वामी	119 से	0.089	0.000	0.045	0.045
	योग	1	0.089	0.000	0.045	0.045
47	मदनलाल पिता प्रभूलाल जाति गुर्जर नि.ग्राम भू-स्वामी	108/3 111/1 112/1	0.038 0.136 0.025	0.000 0.000 0.000	0.038 0.136 0.025	0.038 0.136 0.025
	योग	3	0.199	0.000	0.199	0.199
48	प्रकाश, पिता मोरसिंह, प्रेमबाई बेवा मोरसिंह जाति गुर्जर नि.ग्राम भू-स्वामी	108/2	0.125	0.000	0.125	0.125
	योग	1	0.125	0.000	0.125	0.125
49	प्रेमनारायण, दयाराम पिता कनीराम हि.33 पैसे, शिवनारायण, राधेश्याम, गोपाल पिता परसा, सुन्दरबाई बेवा परसा हि.33 पैसे, भागीरथ, मांगीलाल पिता मानसिंह हि.34 पैसे जाति गुर्जर नि.ग्राम भू-स्वामी	70	0.013	0.000	0.013	0.013
	योग	1	0.013	0.000	0.013	0.013
50	बलरामसिंह पिता रूगनाथ जाति गुर्जर नि.ग्राम भू-स्वामी	69/7	0.038	0.000	0.038	0.038
	योग	1	0.038	0.000	0.038	0.038
51	हनुमतसिंह पिता रूगनाथ जाति गुर्जर नि.ग्राम भू-स्वामी	69/6	0.038	0.000	0.038	0.038
	योग	1	0.038	0.000	0.038	0.038
52	जसवन्तसिंह पिता रूगनाथ जाति गुर्जर नि.ग्राम भू-स्वामी	69/5	0.038	0.000	0.038	0.038
	योग	1	0.038	0.000	0.038	0.038
53	राधेश्याम पिता उंकार जाति गुर्जर नि.ग्राम भू-स्वामी	69/4	0.028	0.000	0.028	0.028
	योग	1	0.028	0.000	0.028	0.028
54	गजराजसिंह पिता उंकार जाति गुर्जर नि.ग्राम भू-स्वामी	69/3	0.029	0.000	0.029	0.029
	योग	1	0.029	0.000	0.029	0.029
55	केशरसिंह पिता उंकार जाति गुर्जर नि.ग्राम भू-स्वामी	69/2	0.029	0.000	0.029	0.029
	योग	1	0.029	0.000	0.029	0.029
56	सागरसिंह पिता उंकार जाति गुर्जर नि.ग्राम भू-स्वामी	69/1	0.028	0.000	0.028	0.028
	योग	1	0.028	0.000	0.028	0.028

स.क.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	योग
1	2	3	4	5	6	7
57	चुन्नीलाल पिता गंभीर जाति गुर्जर नि.ग्राम भू-स्वामी	68	0.114	0.000	0.114	0.114
	योग	1	0.114	0.000	0.114	0.114
58	नारायणसिंह पिता जगन्नाथ जाति गुर्जर नि.ग्राम भू-स्वामी	44/2 से 41/2	0.632 0.696	0.506 0.686	0.000 0.010	0.506 0.696
	योग	2	1.328	1.192	0.010	1.202
59	हसरराज, रामराज ना.बा, पिता गोपाल, स.माता भगवतीबाई पत्नि गोपाल जाति गुर्जर नि.भूमि स्वामी	28/5 29/8 58/4 59/2 29/1	0.256 0.090 0.020 0.049 0.051	0.000 0.000 0.000 0.000 0.000	0.256 0.090 0.020 0.049 0.051	0.256 0.090 0.020 0.049 0.051
	योग	5	0.466	0.000	0.466	0.466
60	मांगीलाल पिता मानसिंह जाति गुर्जर नि. ग्रा. भू-स्वामी (बाखल वाला)	36/2 40/1 27/2 45/8	0.816 0.196 0.032 1.261	0.370 0.196 0.032 0.170	0.000 0.000 0.000 0.010	0.370 0.196 0.032 0.180
	योग	4	2.305	0.768	0.010	0.778
61	बापूलाल पिता गुलाबसिंह गुर्जर नि.भूमि स्वामी	112/2 111/3	0.026 0.136	0.000 0.000	0.026 0.136	0.026 0.136
	योग	2	0.162	0.000	0.162	0.162
62	कमलाबाई बेवा देवा, मोहन पिता देवा, किशोर, सुखराम मोडसिंह रमेश पिता धूलजी दोली बाई बेवा धूलजी जाति चमार नि. ग्रा. भू-स्वामी	31/6 49	0.013 0.025	0.000 0.000	0.013 0.025	0.013 0.025
	योग	2	0.038	0.000	0.038	0.038
63	भगवानसिंह, भंवरलाल, पिता धनजी जाति चमार नि.ग्राम भूमि स्वामी	74/1	1.265	0.000	0.025	0.025
	योग	1	1.265	0.000	0.025	0.025
64	मांगीलाल पिता मानसिंह, हरबगस, दिवीस पिता शंकर हि. 50 पेसे रंगालाल, रामरतन, हरिकिशन पिता नाथू हि. 50 पेसे जाति गुर्जर भूमि स्वामी	45/9	0.010	0.010	0.000	0.010
	योग	1	0.010	0.010	0.000	0.010
ग्राम सारस्याबे महायोग :-		175	41.890	13.699	18.170	31.869
बांकपुरा सिंचाई परियोजना के एम0डब्ल्यू0एल0 तक डूब क्षेत्र में प्रभावित भूमि का ग्राम नेठारी						
1	हीरालाल पिता हजारीलाल जाति सोंधिया निवासी सीगापुरा	2/3 2/8 4/1/2/2 4/1/2/7 3/3	0.090 0.100 0.275 0.124 0.286	0.000 0.000 0.000 0.000 0.000	0.080 0.100 0.275 0.124 0.268	0.080 0.100 0.275 0.124 0.268
	योग	5	0.875	0.000	0.847	0.847

स.क.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	योग
1	2	3	4	5	6	7
2	लालजी पिता पूरजी जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	2/4 2/9 4/1/2/3 3/8 3/4	0.120 0.200 0.075 0.130 0.350	0.120 0.200 0.075 0.130 0.350	0.000 0.000 0.000 0.000 0.000	0.120 0.200 0.075 0.130 0.350
	योग	5	0.875	0.875	0.000	0.875
3	भगवानसिंह गजराजसिंह पिता बीरमसिंह राहुलसिंह ना.बा. पिता कमलसिंह सरपर दादा बीरमसिंह पिता भंवरलाल जाति सौंधिया निवासी सीगापुरा	4/1/1	2.023	2.023	0.000	2.023
	योग	1	2.023	2.023	0.000	2.023
4	बीरमसिंह पिता भंवरजी जाति सौंधिया निवासी सीगापुरा	4/1/2/1 2/1 4/1/2/11 4/1/2/6 4/1/2/9 4/1/2/10 3/1	0.500 0.100 0.060 0.300 0.260 0.060 0.100	0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000	0.490 0.100 0.060 0.300 0.260 0.060 0.100	0.490 0.100 0.060 0.300 0.260 0.060 0.100
	योग	7	1.380	0.000	1.370	1.370
5	प्रेमसिंह पिता सरूपजी जाति सौंधिया निवासी चौतरा	4/2 6 5	1.265 0.860 1.151	1.200 0.200 1.151	0.000 0.000 0.000	1.200 0.200 1.151
	योग	3	3.276	2.551	0.000	2.551
6	भंवरजी फूलसिंह अनारसिंह पिता देवा हि. 75 पै मोड़सिंह कालूराम पदमसिंह पिता कुमरसिंह रोड़ीबाई बेवा कुमरसिंह हि. 20 पैसे लालजी पिता उमाजी हि. 05 पैसे जाति सौंधिया	10 15	1.464 3.262	0.000 0.000	0.310 1.450	0.310 1.450
	योग	2	4.726	0.000	1.760	1.760
7	नारायणसिंह पिता हजारी जाति सौंधिया निवासी सीघापुरा	3/2 2/2 3/7 2/7	0.425 0.154 0.156 0.140	0.000 0.000 0.000 0.000	0.425 0.154 0.146 0.140	0.425 0.154 0.146 0.140
	योग	4	0.875	0.000	0.865	0.865
8	अर्जुनसिंह पिता जगन्नाथ जाति राजपूत निवासी टोंका	14/6 14/30	1.151 0.253	0.000 0.000	1.012 0.253	1.012 0.253
	योग	2	1.404	0.000	1.265	1.265
9	हरीसिंह पिता पूरजी जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	2/5 3/5 3/9 3/11	0.120 0.346 0.696 0.173	0.120 0.346 0.696 0.173	0.000 0.000 0.000 0.000	0.120 0.346 0.696 0.173
	योग	4	1.335	1.335	0.000	1.335

स.क.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	योग
1	2	3	4	5	6	7
10	धीरपसिंह, रामचरण पिता दोलजी जाति सौधिया नि.ग्राम सींगापुरा	2/6 2/10 3/6 3/10	0.080 0.250 0.553 0.495	0.000 0.000 0.000 0.000	0.080 0.240 0.553 0.495	0.080 0.240 0.553 0.495
	योग	4	1.378	0.000	1.368	1.368
11	प्रेमसिंह पिता दोलजी जाति सौधिया नि.ग्राम सींगापुरा	4/1/2/4 4/1/2/8	0.065 0.075	0.000 0.000	0.065 0.075	0.065 0.075
	योग	2	0.140	0.000	0.140	0.140
12	दोलजी पिता भेरु जाति सौधिया नि.ग्राम सींगापुरा	4/1/2/5	0.229	0.000	0.229	0.229
	योग	1	0.229	0.000	0.229	0.229
13	बीरम पिता भंवरजी, घीसीबई बेवा भंवरजी जाति सौधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	201/4/1	0.405	0.000	0.405	0.405
	योग	1	0.405	0.000	0.405	0.405
14	देवीसिंह, प्रेमसिंह पिता स्वरूप जाति सौधिया नि.ग्राम चौतरा	201/4/2	0.506	0.000	0.506	0.506
	योग	1	0.506	0.000	0.506	0.506
15	हरिसिंह पिता उम्मेदसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी	8/1	0.910	0.000	0.190	0.190
	योग	1	0.910	0.000	0.190	0.190
ग्राम नेठठारी कुलयोग :-		43	20.337	6.784	8.945	15.729
बांकपुरा सिंचाई परियोजना के एम0डब्ल्यू0एल0 तक डूब क्षेत्र में प्रभावित भूमि का ग्राम टोंका						
1	हरीसिंह पिता प्रभुलाल जाति लोधा निवासी ग्राम भूस्वामी	23/1/3	0.900	0.890	0.000	0.890
	योग	1	0.900	0.890	0.000	0.890
2	दोलतराम पिता प्रभुलाल जाति लोधा निवासी ग्राम भूस्वामी	23/3	1.265	0.000	1.255	1.255
	योग	1	1.265	0.000	1.255	1.255
3	संतोषकुंवर पति भूपेन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम भूस्वामी	23/4	5.059	0.000	1.012	1.012
	योग	1	5.059	0.000	1.012	1.012
4	धूल्या पिता धिमना जाति भंगी निवासी ग्राम भूस्वामी	23/8	1.000	0.000	0.480	0.480
	योग	1	1.000	0.000	0.480	0.480
5	झुनियाबाई बेवा किशन जाति भंगी निवासी ग्राम भूस्वामी	23/9	1.000	0.000	0.380	0.380
	योग	1	1.000	0.000	0.380	0.380

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	योग
1	2	3	4	5	6	7
6	धन्ना पिता बाबरू जाति चमार निवासी ग्राम भूस्वामी	23/14	0.500	0.000	0.200	0.200
	योग	1	0.500	0.000	0.200	0.200
7	बन्शीलाल करण सिंह पिता छोटिया बसन्ति बाई बेवा छोटिया जाति चमार निवासी ग्राम भूस्वामी	23/15	0.500	0.000	0.250	0.250
	योग	1	0.500	0.000	0.250	0.250
8	मांगीलाल पिता रामलाल जाति गाडरी निवासी ग्राम भूस्वामी	23/22	1.500	0.000	0.070	0.070
	योग	1	1.500	0.000	0.070	0.070
9	लालसिंह पिता मदनलाल, गंगाबाई पत्नि लालसिंह जाति चमार निवासी ग्राम भूस्वामी	23/36	1.000	0.000	0.350	0.350
	योग	1	1.000	0.000	0.350	0.350
10	रामदयाल पिता मदनलाल, कृष्णाबाई पति रामदयाल जाति चमार निवासी ग्राम भूस्वामी	23/37	1.000	0.000	1.000	1.000
	योग	1	1.000	0.000	1.000	1.000
11	रामचरण पिता धन्ना, ममता बाई पत्नि रामचरण जाति चमार निवासी ग्राम भूस्वामी	23/38	1.000	0.000	1.000	1.000
	योग	1	1.000	0.000	1.000	1.000
12	धन्ना पिता बाबू, गीताबाई पत्नि धन्ना जाति चमार निवासी ग्राम भूस्वामी	23/39	1.000	0.000	0.890	0.890
	योग	1	1.000	0.000	0.890	0.890
13	चंपा पिता उंकार, जतनबाई पत्नि चंपा जाति चमार निवासी ग्राम भूस्वामी	23/40	1.000	0.000	0.850	0.850
	योग	1	1.000	0.000	0.850	0.850
14	छीतर पिता उंकार, कलाबाई पत्नि छीतर जाति चमार निवासी ग्राम भूस्वामी	23/41	1.000	0.000	1.000	1.000
	योग	1	1.000	0.000	1.000	1.000
15	मिश्री पिता उंकार, गंगाबाई पत्नि मिश्री निवासी ग्राम भूस्वामी	23/42	1.000	0.000	0.930	0.930
	योग	1	1.000	0.000	0.930	0.930
16	गुलाबसिंह पिता भीमा, छमाबाई पत्नि गुलाबसिंह जाति चमार निवासी ग्राम भूस्वामी	23/43	0.689	0.000	0.519	0.519
	योग	1	0.689	0.000	0.519	0.519
17	सागरसिंह पिता प्रभूलाल जाति लोधा नि.गाम भू-स्वामी	23/2/2	1.354	0.000	1.354	1.354
	योग	1	1.354	0.000	1.354	1.354
18	सूरजसिंह पिता प्रभूलाल जाति लोधा नि.गाम भू-स्वामी	23/1/2/1	1.000	1.000	0.000	1.000
	योग	1	1.000	1.000	0.000	1.000

स.क.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	योग
1	2	3	4	5	6	7
19	प्रभूलाल पिता रामबगस जाति लोधा नि.गाम भू-स्वामी	23/2/1	1.353	1.340	0.013	1.353
	योग	1	1.353	1.340	0.013	1.353
	ग्राम टोंका कुलयोग :-	19	23.120	3.230	11.553	14.783
बांकपुरा सिंचाई परियोजना के एम0डब्ल्यू0एल0 तक डूब क्षेत्र में प्रभावित भूमि का ग्राम आलमपुरा						
1	दोलजी पिता हीरालाल जाति सौधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	258	0.404	0.000	0.025	0.025
	योग	1	0.404	0.000	0.025	0.025
2	हिन्दूसिंह पिता बापूलाल मांगीबाई, प्रेमबाई पुत्री बापूलाल कशरबाई बेवा बापूलाल जाति सौधिया नि.ग्राम भूमि स्वामी	259	0.139	0.000	0.038	0.038
		260	0.139	0.000	0.070	0.070
	योग	2	0.278	0.000	0.108	0.108
3	अमरसिंह पिता गंगाराम हि.39/1/4 नि.ग्राम भाटपुरा धापूबाई पति रामकरण हि. 2/3/4 पेसे फूलसिंह,इन्दरसिंह पिता भंवरलाल, कानजी,मांगीलाल,प्रेमसिंह पिता हीरालाल,अनारसिंह तारवरसिंह पिता किशनलाल,कालू,शिवनारायण, लक्ष्मीनारायण पिता जगन्नाथ,भूलीबाई, अनोखबाई,पर्वतबाई पुत्री जगन्नाथ मु.गेन्दीबाई बेवा जगन्नाथ,गंगाबाई बेवा प्यार हि.4 पे नि.ग्राम बापची जाति सौधिया भू स्वामी	257	0.291	0.000	0.051	0.051
		256	0.051	0.000	0.051	0.051
	योग	2	0.342	0.000	0.102	0.102
4	कुंवरलाल, बापूलाल पिता रूगन्नाथ जाति सौधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	254	1.694	1.694	0.000	1.694
	योग	1	1.694	1.694	0.000	1.694
5	प्रेमसिंह पिता गंगाराम जाति सौधिया नि.गाम भू स्वामी	251/2/1	0.413	0.000	0.253	0.253
	योग	1	0.413	0.000	0.253	0.253
6	बनेसिंह पिता गंगाराम जाति सौधिया नि.गाम भू स्वामी	251/2/2	0.413	0.000	0.253	0.253
	योग	1	0.413	0.000	0.253	0.253
7	भारतसिंह पिता गंगाराम जाति सौधिया नि.गाम भू स्वामी	251/2/3	0.413	0.000	0.253	0.253
	योग	1	0.413	0.000	0.253	0.253
8	रामसिंह पिता दरियावसिंह जाति सौधिया नि. गाम भू स्वामी	251/2/4	0.413	0.000	0.253	0.253
	योग	1	0.413	0.000	0.253	0.253
9	बजेसिंह पिता दरियावसिंह जाति सौधिया नि. गाम भू स्वामी	251/2/5	0.413	0.000	0.253	0.253
	योग	1	0.413	0.000	0.253	0.253

स.क.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	प्रभावत भूम		
				सिंचित	असिंचित	योग
1	2	3	4	5	6	7
10	फूलसिंह पिता दरियावसिंह जाति सौधिया नि. गाम भू स्वामी	251/2/6	0.413	0.000	0.253	0.253
	योग	1	0.413	0.000	0.253	0.253
11	रामसिंह पिता प्यारजी जाति नाई नि.ग्राम भू-स्वामी	68/5/1	0.417	0.000	0.417	0.417
		83/3/1	2.000	0.000	1.050	1.050
	योग	2	2.417	0.000	1.467	1.467
12	फूलसिंह पिता प्यारजी जाति नाई नि.ग्राम भू-स्वामी	68/5/2	0.417	0.000	0.417	0.417
		83/3/2	1.260	0.000	1.050	1.050
	योग	2	1.677	0.000	1.467	1.467
13	भानसिंह पिता प्यारजी जाति नाई नि.ग्राम भू-स्वामी	68/5/3	0.416	0.000	0.416	0.416
		83/3/3	1.260	0.000	1.050	1.050
	योग	2	1.676	0.000	1.466	1.466
14	रामसिंह, फूलसिंह, धानसिंह पिता प्यारजी जाति नाई नि.ग्राम भू-स्वामी	68/5/4	0.015	0.000	0.015	0.015
	योग	1	0.015	0.000	0.015	0.015
15	भारतसिंह पिता मोरसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी	72/2/2	0.089	0.000	0.089	0.089
		72/3/1/2	0.101	0.000	0.101	0.101
	योग	2	0.190	0.000	0.190	0.190
16	रामबाबू पिता मोरसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी	72/2/1	0.088	0.000	0.088	0.088
		72/3/1/1	0.101	0.000	0.101	0.101
		74/1/2	0.038	0.000	0.038	0.038
		74/2/2	0.076	0.000	0.076	0.076
	योग	4	0.303	0.000	0.303	0.303
17	सर्जनसिंह पिता शैतानसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भूमि स्वामी	73/3/2	0.051	0.000	0.051	0.051
		74/1/1	0.278	0.000	0.278	0.278
		382/74/1	0.728	0.000	0.380	0.380
	योग	3	1.057	0.000	0.709	0.709
18	रूपसिंह पिता शैतानसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी	71/4	0.632	0.632	0.000	0.632
	योग	1	0.632	0.632	0.000	0.632
19	पप्पूसिंह पिता शैतानसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	74/2/1	0.367	0.000	0.240	0.240
	योग	1	0.367	0.000	0.240	0.240
20	जमनालाल पिता दोलतराम जाति राजपूत नि. ग्राम भू-स्वामी	77/3	0.738	0.000	0.076	0.076
		83/2/1	3.451	0.000	0.379	0.379
	योग	2	4.189	0.000	0.455	0.455

स.क.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	योग
1	2	3	4	5	6	7
21	कुमेरसिंह पिता देवाजी जाति सौधिया नि.ग्राम भूमि स्वामी	76/8 76/9	0.452 0.026	0.000 0.000	0.026 0.026	0.026 0.026
	योग	2	0.478	0.000	0.052	0.052
22	बजेसिंह पिता हीरालाल जाति राजपूत नि.ग्राम भूमि स्वामी	82/1/2 384/85/1/2	0.098 0.650	0.000 0.000	0.098 0.190	0.098 0.190
	योग	2	0.748	0.000	0.288	0.288
23	दयाराम पिता हीरालाल जाति राजपूत नि.ग्राम भूमि स्वामी	82/1/3	0.236	0.000	0.236	0.236
	योग	1	0.236	0.000	0.236	0.236
24	मांगीलाल उर्फ दिनेश पिता जगदीश नरबदीबाई बैवा जगदीश जाति राजपूत नि.ग्राम भूमि स्वामी	82/1/4	0.184	0.000	0.184	0.184
	योग	1	0.184	0.000	0.184	0.184
25	गोपीलाल पिता जगन्नाथ जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी	82/2/1	0.900	0.000	0.126	0.126
	योग	1	0.900	0.000	0.126	0.126
	ग्राम आलमपुरा कुल योग :-	39	20.265	2.326	8.951	11.277
	महायोग :-	1020	324.169	87.435	153.386	240.821

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) ब्यावरा तहसील ब्यावरा जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तरुण कुमार पिथोड़े, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कटनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

कटनी, दिनांक 13 मई 2016

प्र. क्र. 14-अ-82-15-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

चूंकि, जल संसाधन विभाग के लीपरी जलाशय योजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इस जलाशय के निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. जलाशय के छोटे हुये आंशिक रकवे का अर्जन किया जाना है, इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	(5)	(6)
(1) कटनी	(2) रीठी	(3) सैदा प.ह.नं. 16/28 न. बं. 404	(4) 2.84	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई जिला पन्ना	लीपरी जलाशय के निर्माण हेतु

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कटनी में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रकाश जांगरे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 11 मई 2016

प्र. क्र. 089-अ-82-वर्ष 2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(5)	(6)
(1) पन्ना	(2) शाहनगर	(3) चौपरा	(4) निजी भूमि रकबा 1.75 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.45 है. <u>कुल रकबा 2.20 है.</u>	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई.	चौपरा तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शिव नारायण सिंह चौहान, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

टीकमगढ़, दिनांक 20 मई 2016

प्र. क्र. 433 नि-भू-अर्जन-2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के अनुबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का उपयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं, चूंकि उक्त बानसुजारा बांध का निर्माण कार्य पूर्व में चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग अर्जित रकवा (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
टीकमगढ़	बड़ागांव	डिकौली चक्र 1	35.00	कार्यपालन यंत्री, बानसुजारा बांध, जल संसाधन संभाग, टीकमगढ़ (म. प्र.)	बानसुजारा बांध अंतर्गत डूब क्षेत्र में आने वाली अतिरिक्त भूमि का भू-अर्जन.

- (2) भूमि का नक्शा एवं प्लान अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, टीकमगढ़ के कार्यालय में देखे जा सकते हैं.
- (3) भूमि का नक्शा एवं प्लान कार्यपालन यंत्री, बानसुजारा बांध, जल संसाधन संभाग, टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रियंका दास, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.), बैहर, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

अनुविभाग बैहर, दिनांक 25 मई 2016

क्र. 04-अ-82-वर्ष 2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (6) तक में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने क्रमांक (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 जून सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) तक उल्लेखित अधिकारी का उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 एवं 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 की धारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बालाघाट	बैहर	जत्ता रैयत	निजी भूमि 0.796 अस्संचित	कार्यपालन यंत्री, बंजर नदी परियोजना संभाग, बैहर, जिला बालाघाट.	पद्दीनाला जलाशय के वेस्ट वियर में अर्जित भूमि.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बैहर, भू-अर्जन अधिकारी, बैहर, जिला बालाघाट के न्यायालय में देखा जा सकता है एवं कार्यपालन यंत्री, बंजर नदी परियोजना संभाग बैहर, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हर्ष दीक्षित, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 1 जून 2016

पत्र क्र. 1552-प्रशा.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि, बहुती नहर का निर्माण पूर्व में चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की धारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामनगर	जुडमानी	2.900	कार्यपालन यंत्री, रॉकफिल बांध सम्भाग, देवल्लोद, जिला शहडोल.	बहुती नहर में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में, किसी भी कार्यालयीन में, किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1554-प्रशा.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि, बहुती नहर का निर्माण पूर्व में चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की धारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामनगर	नौगाँव नं. 2	1.500	कार्यपालन यंत्री, रॉकफिल बांध सम्भाग, देवल्लोद, जिला शहडोल.	बहुती नहर में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में, किसी भी कार्यालयीन में, किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1556-प्रशा.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ. चूंकि, बहुती नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की धारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामनगर	गुलबार गुजारा	0.960	कार्यपालन यंत्री, रॉकफिल बांध सम्भाग, देवलौंद, जिला शहडोल.	बहुती नहर में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में, किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1558-प्रशा.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ. चूंकि, बहुती नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की धारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामनगर	नौगाँव नं. 1	0.930	कार्यपालन यंत्री, रॉकफिल बांध सम्भाग, देवलौंद, जिला शहडोल.	बहुती नहर में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में, किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1560-प्रशा.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत

करता हूँ, चूँकि, बहुती नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामनगर	मतहा	0.940	कार्यपालन यंत्री, रॉकफिल बांध सम्भाग, देवलौद, जिला शहडोल.	बहुती नहर में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में, किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1562-प्रशा.-भू-अर्जन-2016.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ. चूँकि, बहुती नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामनगर	छिरहाई	9.500	कार्यपालन यंत्री, रॉकफिल बांध सम्भाग, देवलौद, जिला शहडोल.	बहुती नहर में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में, किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. साकेत, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 2 जून 2016

क्र. 202-भू-अर्जन-2016.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-16-15-(1) 2014-सात-

शा. 2 ए भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हेक्टर में) लगभग	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	उचेहरा	भरीं	0.210	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग सतना जिला सतना (म. प्र.).	घोरहटी से चकहटा मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नरेश पाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 9 फरवरी 2016

प्र. क्र. 072-अ-82-वर्ष 2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	देवेन्द्रनगर	भगेपुर	निजी भूमि रकबा 2.990 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.000 है. <u>कुल रकबा 2.990 है.</u>	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	देवरी तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शिव नारायण सिंह चौहान, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए
आवश्यकता है:—

अनुसूची

ग्वालियर, दिनांक 5 मई 2016

(1) भूमि का वर्णन—

प्र. क्र. 12-अ-82-14-15-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

- (क) जिला—ग्वालियर
(ख) तहसील—ग्वालियर
(ग) ग्राम—सिरसौद
(घ) क्षेत्रफल—0.06 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
1242	0.03
971	0.03
योग . .	0.06

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—ग्वालियर
(ख) तहसील—ग्वालियर
(ग) ग्राम—सुपावली
(घ) क्षेत्रफल—0.450 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
1096/1 मिन-2	0.280
1098 मिन-1	
1096/1 मिन-3	
1098 मिन-2	0.120
1122	0.050
योग . .	0.450

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि आवश्यकता है—हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर की शीतला माता शाखा की एल मायनर के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 26-अ-82-14-15-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि आवश्यकता है—हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर की शीतला माता शाखा की 1 एल/4 आर मायनर के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है.

- (क) जिला—ग्वालियर
(ख) तहसील—ग्वालियर
(ग) ग्राम—दयेली
(घ) क्षेत्रफल—0.010 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
100	0.10
योग . .	0.10

प्र. क्र. 24-अ-82-14-15-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर की शीतला माता शाखा की 1 एल मायनर के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 28-अ-82-14-15-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—ग्वालियर
(ख) तहसील—ग्वालियर
(ग) ग्राम—जखारा
(घ) क्षेत्रफल—0.02 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
2234	0.02
योग . .	0.02

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर की शीतला माता शाखा की 2 एल मायनर के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 29-अ-82-14-15-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—ग्वालियर
(ख) तहसील—ग्वालियर

- (ग) ग्राम—बिल्हैटी
(घ) क्षेत्रफल—0.05 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
1963	0.05
योग . .	0.05

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर की शीतला माता शाखा की 4 एल मायनर के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय गोयल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 11 मई 2016

प्र. क्र. 044-अ-82-वर्ष 2015-16.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना
(ख) तहसील—रैपुरा

(ग) ग्राम—सटवा, प.ह.नं. 10		(1)	(2)	(3)	
(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.920 हेक्टेयर.					
खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार			
(1)	(2)	(3)			
719	0.120	निजी भूमि	793/4	0.030	निजी भूमि
720/2/क	0.100	निजी भूमि	798/1	0.010	निजी भूमि
720/3	0.450	निजी भूमि	800/1	0.080	निजी भूमि
726	0.140	निजी भूमि	कुल रकबा निजी भूमि . . . 3.920		
730	0.020	निजी भूमि	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—बिल्हा तालाब योजना के अन्तर्गत बांध एवं नहर (छूटे हुये रकबे) निर्माण कार्य हेतु.		
784	0.220	निजी भूमि	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, शाहनगर में किया जा सकता है.		
785	0.100	निजी भूमि	प्र. क्र. 051-अ-82-वर्ष 2015-16.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:—		
786	0.090	निजी भूमि	अनुसूची		
787	0.120	निजी भूमि	(1) भूमि का वर्णन—		
788	0.090	निजी भूमि	(क) जिला—पन्ना		
790	0.090	निजी भूमि	(ख) तहसील—शाहनगर		
801/1	0.140	निजी भूमि	(ग) ग्राम—उमरिया डूडी, प.ह.नं. 04		
804/1	0.100	निजी भूमि	(घ) लगभग क्षेत्रफल—36.09 हेक्टेयर.		
805	0.210	निजी भूमि	खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
806/1	0.040	निजी भूमि	(1)	(2)	(3)
815/1	0.010	निजी भूमि	292	0.03	निजी भूमि
731/1	0.020	निजी भूमि	429	1.28	निजी भूमि
731/2	0.010	निजी भूमि	390	0.86	निजी भूमि
732/2	0.010	निजी भूमि	391/1	0.20	निजी भूमि
808/1	0.220	निजी भूमि			
789	0.160	निजी भूमि			
792	0.100	निजी भूमि			
793/1	0.070	निजी भूमि			
796/1/1	0.060	निजी भूमि			
801/3	0.270	निजी भूमि			
802	0.040	निजी भूमि			
806/2	0.060	निजी भूमि			
807	0.170	निजी भूमि			
793/2	0.080	निजी भूमि			
801/2	0.140	निजी भूमि			
815/2	0.010	निजी भूमि			
791	0.050	निजी भूमि			
793/3	0.060	निजी भूमि			
803	0.040	निजी भूमि			
804/2	0.030	निजी भूमि			
782/1	0.050	निजी भूमि			
783	0.110	निजी भूमि			

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
404	0.17	निजी भूमि	428	0.87	निजी भूमि
432/1	0.07	निजी भूमि	427/2	0.90	निजी भूमि
391/2	0.20	निजी भूमि	490	0.26	निजी भूमि
398/2	0.20	निजी भूमि	491	0.07	निजी भूमि
432/2	0.06	निजी भूमि	492	0.20	निजी भूमि
391/3	0.20	निजी भूमि	494	0.36	निजी भूमि
395	0.13	निजी भूमि	495	0.04	निजी भूमि
396	0.15	निजी भूमि	496	1.67	निजी भूमि
397	0.18	निजी भूमि	497	0.54	निजी भूमि
432/3	0.06	निजी भूमि	586/2	0.10	निजी भूमि
392	0.20	निजी भूमि	589	0.42	निजी भूमि
393	0.22	निजी भूमि	498	0.10	निजी भूमि
394	0.11	निजी भूमि	621	0.30	निजी भूमि
407	0.08	निजी भूमि	622	0.05	निजी भूमि
408	0.47	निजी भूमि	499	0.11	निजी भूमि
409	0.33	निजी भूमि	528	0.13	निजी भूमि
420	0.29	निजी भूमि	539	0.11	निजी भूमि
400	0.14	निजी भूमि	552	0.04	निजी भूमि
405	0.99	निजी भूमि	540	0.88	निजी भूमि
406	0.27	निजी भूमि	541	0.47	निजी भूमि
410	0.64	निजी भूमि	542	0.18	निजी भूमि
418	0.51	निजी भूमि	543	0.07	निजी भूमि
412	0.90	निजी भूमि	544	0.04	निजी भूमि
426	0.24	निजी भूमि	553/1	0.05	निजी भूमि
414	0.26	निजी भूमि	579/1	0.16	निजी भूमि
430	0.03	निजी भूमि	583	0.30	निजी भूमि
431	0.15	निजी भूमि	553/2	0.04	निजी भूमि
675	0.14	निजी भूमि	579/2	0.12	निजी भूमि
678	0.11	निजी भूमि	561	0.05	निजी भूमि
416	0.31	निजी भूमि	562	0.05	निजी भूमि
417	0.26	निजी भूमि	563	0.03	निजी भूमि
676	0.16	निजी भूमि	566	0.03	निजी भूमि
419	0.69	निजी भूमि	567	0.03	निजी भूमि
421	0.19	निजी भूमि	568	0.03	निजी भूमि
422	0.20	निजी भूमि	569	0.05	निजी भूमि
423	0.30	निजी भूमि	570	0.04	निजी भूमि
424	0.83	निजी भूमि	564	0.03	निजी भूमि
425	0.05	निजी भूमि	577	0.04	निजी भूमि
			582	0.16	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
584	0.10	निजी भूमि	609	0.06	निजी भूमि
565	0.05	निजी भूमि	611	0.05	निजी भूमि
571	0.05	निजी भूमि	643	0.01	निजी भूमि
572	0.03	निजी भूमि	612	0.02	निजी भूमि
573	0.04	निजी भूमि	614/2	0.10	निजी भूमि
574	0.03	निजी भूमि	615	0.34	निजी भूमि
575	0.03	निजी भूमि	616/2	0.09	निजी भूमि
576	0.03	निजी भूमि	667	0.03	निजी भूमि
578/1	0.05	निजी भूमि	668	0.02	निजी भूमि
580	0.07	निजी भूमि	669	0.38	निजी भूमि
578/2	0.13	निजी भूमि	670	0.16	निजी भूमि
581	0.31	निजी भूमि	697/3	0.01	निजी भूमि
585	0.88	निजी भूमि	617	0.64	निजी भूमि
587	1.03	निजी भूमि	618	0.05	निजी भूमि
588	0.15	निजी भूमि	620/1	0.29	निजी भूमि
591	0.47	निजी भूमि	620/2	0.29	निजी भूमि
547	0.03	निजी भूमि	620/3	0.29	निजी भूमि
593	0.47	निजी भूमि	620/4	0.29	निजी भूमि
595	0.08	निजी भूमि	620/5	0.13	निजी भूमि
596	0.16	निजी भूमि	644	0.10	निजी भूमि
594	0.29	निजी भूमि	671	0.28	निजी भूमि
597	0.25	निजी भूमि	672	0.22	निजी भूमि
598	0.02	निजी भूमि	673	0.26	निजी भूमि
601	0.12	निजी भूमि	674	0.22	निजी भूमि
602	0.39	निजी भूमि	696	0.19	निजी भूमि
603	0.06	निजी भूमि	697/1	0.02	निजी भूमि
613	0.01	निजी भूमि	592	0.26	निजी भूमि
614/1	0.22	निजी भूमि	605	0.44	निजी भूमि
664	0.19	निजी भूमि	606	0.47	निजी भूमि
665/1	0.05	निजी भूमि	607	0.05	निजी भूमि
599	0.18	निजी भूमि	645	0.15	निजी भूमि
616/1	0.65	निजी भूमि	646	0.12	निजी भूमि
665/2	0.02	निजी भूमि	648	0.10	निजी भूमि
666	0.20	निजी भूमि			
600	0.05	निजी भूमि			
604	0.34	निजी भूमि			
647	0.07	निजी भूमि			
650	0.03	निजी भूमि			
608	0.21	निजी भूमि			
610	0.44	निजी भूमि			
			कुल रकबा निजी भूमि . .	<u>36.09</u>	
			(2)	सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है. — उमरिया डूडी तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.	
			(3)	भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, शाहनगर में किया जा सकता है.	

प्र. क्र. 218-अ-82-वर्ष 2014-15.— भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पन्ना

(ख) तहसील—रैपुरा

(ग) ग्राम—बड़खेरा, प.ह.नं. 31

(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.48 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
132	0.03	निजी भूमि
133	0.01	निजी भूमि
139	0.03	निजी भूमि
140	0.03	निजी भूमि
138/1	0.01	निजी भूमि
138/2	0.01	निजी भूमि
138/3	0.03	निजी भूमि
138/4	0.04	निजी भूमि
146	0.03	निजी भूमि
147	0.02	निजी भूमि
161	0.01	निजी भूमि
162	0.01	निजी भूमि
168	0.02	निजी भूमि
169	0.02	निजी भूमि
173	0.01	निजी भूमि
174	0.05	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)
200	0.01	निजी भूमि
189	0.01	निजी भूमि
191	0.07	निजी भूमि
195	0.03	निजी भूमि
197	0.04	निजी भूमि
198	0.02	निजी भूमि
199	0.01	निजी भूमि
302/1	0.03	निजी भूमि
302/2	0.03	निजी भूमि
302/3	0.05	निजी भूमि
305	0.07	निजी भूमि
308/1	0.05	निजी भूमि
309	0.05	निजी भूमि
416	0.01	निजी भूमि
418	0.04	निजी भूमि
432	0.04	निजी भूमि
433	0.04	निजी भूमि
512	0.05	निजी भूमि
419	0.04	निजी भूमि
420	0.02	निजी भूमि
503	0.03	निजी भूमि
504	0.05	
505	0.02	
472	0.11	निजी भूमि
473	0.05	निजी भूमि
513	0.01	निजी भूमि
514	0.03	निजी भूमि
515	0.11	निजी भूमि
कुल रकबा निजी भूमि . . .		1.48

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—पटपरा नाला तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, शाहनगर में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 221-अ-82-वर्ष 2014-15.— भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और

पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पन्ना

(ख) तहसील—शाहनगर

(ग) ग्राम—बिसानी, प.ह.नं. 37

(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.08 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

कुल अर्जित रकबा
(हेक्टेयर में)

भूमि का
प्रकार

(1)

(2)

(3)

4306

0.06

निजी भूमि

4312

0.01

निजी भूमि

4326

0.10

निजी भूमि

4330

0.03

निजी भूमि

3973

0.02

निजी भूमि

3988

0.02

निजी भूमि

3986

0.03

निजी भूमि

3987

0.02

निजी भूमि

4324

0.04

निजी भूमि

4325

0.01

निजी भूमि

3985

0.02

निजी भूमि

3984

0.03

निजी भूमि

3983

0.01

निजी भूमि

4308

0.01

निजी भूमि

4313

0.02

निजी भूमि

4316

0.01

निजी भूमि

4317

0.02

निजी भूमि

4008

0.03

निजी भूमि

4009

0.02

निजी भूमि

4010

0.03

निजी भूमि

(1)

(2)

(3)

4011

0.04

निजी भूमि

3994

0.02

निजी भूमि

3928

0.03

निजी भूमि

4007

0.01

निजी भूमि

3929

0.04

निजी भूमि

3925/3

0.20

निजी भूमि

4066

0.03

निजी भूमि

4062

0.02

निजी भूमि

4060

0.02

निजी भूमि

4063

0.01

निजी भूमि

4255

0.03

निजी भूमि

4056

0.04

निजी भूमि

4258

0.02

निजी भूमि

4252

0.02

निजी भूमि

4057

0.03

निजी भूमि

4054

0.02

निजी भूमि

4250

0.02

निजी भूमि

4251

0.02

निजी भूमि

4259

0.03

निजी भूमि

4260

0.02

निजी भूमि

4261

0.02

निजी भूमि

4262

0.02

निजी भूमि

4264

0.01

निजी भूमि

4438

0.04

निजी भूमि

4263

0.03

निजी भूमि

4681

0.05

निजी भूमि

4682

0.01

निजी भूमि

4704

0.04

निजी भूमि

4708

0.03

निजी भूमि

4437

0.06

निजी भूमि

4455

0.04

निजी भूमि

4555

0.05

निजी भूमि

4564

0.01

निजी भूमि

4565

0.04

निजी भूमि

4563

0.02

निजी भूमि

4566

0.02

निजी भूमि

4562

0.02

निजी भूमि

4567

0.01

निजी भूमि

4690

0.13

निजी भूमि

4697

0.04

निजी भूमि

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)
4702	0.01	निजी भूमि	67	0.13
4705	0.02	निजी भूमि	69	0.38
4706	0.05	निजी भूमि	72	0.02
4707	0.01	निजी भूमि	199	0.06
4961	0.09	निजी भूमि	200/1	0.20
कुल रकबा निजी भूमि . .	2.08		200/2	0.22
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—चौपरा तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.			200/3	0.07
(3) भूमिका नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, शाहनगर में किया जा सकता है.			212	0.04
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शिव नारायण सिंह चौहान, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.			213/1	0.02
कार्यालय, कलेक्टर, जिला मण्डला, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग			193	0.60
मण्डला, दिनांक 24 मई 2016			188/2	0.20
क्र.-भू-अर्जन-06(अ-82)2015-2016-86.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा (1) एवं (6) के उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—			188/4	0.26
अनुसूची			188/5	0.07
(1) भूमि का वर्णन—			184	0.27
(क) जिला—मण्डला			185	0.05
(ख) तहसील—बिछिया			182	0.13
(ग) ग्राम—भपसा, प.ह.नं. 32			181	0.17
(घ) लगभग क्षेत्रफल—7.01 हेक्टेयर.			178/1	0.11
खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)		178/4	0.07
(1)	(2)		178/5	0.07
63/2	0.47		164	0.01
63/3	0.02		166	0.28
64/1	0.10		161/1	0.66
64/2	0.20		161/2	0.05
64/6	0.07		160/1	0.12
64/3	0.03		160/2	0.02
64/4	0.08		133/6	0.04
66	0.08		133/4	0.45
			133/5	0.03
			129	0.08
			130	0.01
			128/1	0.01
			128/2	0.45
			165	0.01
			166	0.32
			156	0.01
			154	0.09
			155	0.18
			योग . .	7.01
			(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—हालोन, सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर एवं उप नहर हेतु.	

- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी बिछिया एवं कार्यालय कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-2 मंडला में किया जा सकता है.

क्र.-भू-अर्जन-07(अ-82)2016-2017-87.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा (1) एवं (6) के उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—मण्डला
(ख) तहसील—बिछिया
(ग) ग्राम—कोको रैयत, प.ह.नं. 30
(घ) लगभग क्षेत्रफल—16.18 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(1)	(2)
337	0.47	6	0.70
335	0.63	8/3	0.03
329	0.12	8/4	0.11
328	0.52	8/5	0.10
327	0.35	60	0.01
324/1	0.74	62	0.04
324/2	0.01	61	0.37
324/3	0.03	63/6	0.13
324/5	0.10	63/2	0.04
323/1	0.10	63/1	0.02
322/2	0.97	63/3	0.14
322/1	0.41	69/1	0.15
322/4	0.39	69/2	0.25
322/3	0.39	80	0.40
305	1.80	79/1	0.03
370/1	0.07	79/2	0.45
306	0.22	102/2	0.20
307/1	0.59	106	0.15
307/2	0.70	107	0.15
324/3	0.26	108	0.20
324/5	0.45	111/2	0.10
339/2	0.20	111/3	0.08
339/3	0.02	111/4	0.08
		43/8	0.07
		42/2	0.15
		42/3	0.13
		42/4	0.06
		42/1	0.06
		46	0.03
		39	0.22
		105	0.05
		184/2	0.02
		185	0.02
		215	0.04
		216/1	0.42
		216/2	0.12
		218/1	0.37
		8/3	0.04
		8/4	0.35
		12/1	0.04
		12/2	0.22
		13	0.27
		17/1	0.03
		योग.	16.18

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—हालोन, सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर एवं उप नहर हेतु.

- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी बिछिया एवं कार्यालय कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-2 मंडला में किया जा सकता है।

क्र.-भू-अर्जन-08(अ-82)2015-2016-88.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा (1) एवं (6) के उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—मण्डला
(ख) तहसील—बिछिया
(ग) ग्राम—देवरी रैयत, प.ह.नं. 32
(घ) लगभग क्षेत्रफल—11.13 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
350	0.72
352	0.13
348	0.23
335/1	0.36
335/2	0.45
335/3	0.34
336	0.50
330	0.43
328	0.36
331	0.03
327/2	0.30
319	0.75
318/2	0.02
317/1	0.07
316	0.02
320/1	0.04
315	0.18
313/1	0.11
313/2	0.19
312	0.27
311	0.02
243	0.16
246	0.47
245	0.08
248/5	0.16

(1)	(2)
248/4	0.40
248/3	0.22
248/2	0.04
166	0.67
165/1	0.27
165/2	0.27
164	1.18
149	0.22
150/3	0.03
150/2	0.25
31/2	0.12
31/3	0.16
30	0.46
28/1	0.02
28/2	0.43

योग. 11.13

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—हालोन, सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर एवं उप नहर हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी बिछिया एवं कार्यालय कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-2 मंडला में किया जा सकता है.

क्र.-भू-अर्जन-09(अ-82)2016-2017-89.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा (1) एवं (6) के उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—मण्डला
(ख) तहसील—बिछिया
(ग) ग्राम—केवलारी रैयत, प.ह.नं. 33
(घ) लगभग क्षेत्रफल—9.77 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
75	0.30
424/1	0.08

(1)	(2)	क्र.-भू-अर्जन-10(अ-82)2016-17-90.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन, पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा (1) एवं (6) के उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—	
76	0.19		
77	0.15		
78	0.03		
74	0.20		
80	0.42		
81	0.87		
82	0.25		
89/4	0.36		
89/3	0.11		
123	0.37		
124	0.50		
125/8	0.15		
125/5	0.24		
125/2	0.35		
125/3	0.35		
125/6	0.20		
125/1	0.09		
118	0.15		
116	0.70		
151	0.12		
170	0.49		
169	0.35		
168	0.60		
4	0.26		
164/2	0.45		
164/3	0.13		
89/3	0.08		
89/1	0.09		
88/1	0.09		
88/4	0.10		
63	0.25		
62	0.16		
61	0.11		
60	0.26		
52	0.17		
योग.	9.77		
(2)	सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—हालोन, सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर एवं उप नहर हेतु.	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
		(1)	(2)
		555	0.06
		556	0.25
		559	0.23
		558	0.09
		560/5	0.06
		560/4	0.02
		560/3	0.03
		560/2	0.01
		562	0.80
		590/1	0.08
		590/2	0.11
		589	0.21
		591	0.05
		588/1	0.07
		588/4	0.12
		588/2	0.11
		588/3	0.05
		599	0.65
		598	0.18
		597	0.30
		596	0.20
		628/1	0.25
		628/2	0.25
		627	0.75
		626/1	0.03
(3)	भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी बिछिया एवं कार्यालय कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-2 मंडला में किया जा सकता है.	626/2	0.38
		629/1	0.40
		629/2	0.08
		652/9	0.12

(1)	(2)	(1)	(2)
652/8	0.12	145/5/ग/1	0.013
652/5	0.08	145/2/ग/2	0.013
667	0.76	145/2/ग/3	0.013
640/1	0.03	145/2/ग/4	0.013
640/2	0.14		
योग .	<u>7.07</u>	143/172	0.010
(2)	सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—हालोन, सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर एवं उप नहर हेतु.	144/1	0.115
		144/2/1	0.109
		137/1/क/1/1	0.035
(3)	भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी बिछिया एवं कार्यालय कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-2 मंडला में किया जा सकता है.	137/1/ख/1/1	0.007
		144/2/2	0.109
		137/1/क/1/2	0.035
		137/1/ख/1/2	0.006
		144/2/3	0.109
		137/1/क/1/3	0.035
		137/1/ख/1/3	0.006
		137/1/क/2	0.034
		137/1/क/3	0.035
		137/1/क/4	0.035
		योग . .	<u>1.580</u>

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रीति मैथिल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 27 मई 2016

क्र.-182-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यक है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—नागौद
(ग) नगर/ग्राम—हरदुआ मझोल
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.580 हेक्टर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
145/1	0.738
145/2/घ	0.110

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—ललितपुर-सतना-रीवा-सिंगरौली, महौबा-खजुराहो (541 किमी.) नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र.-183-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यक है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—नागौद

(ग) नगर/ग्राम—बड़खेर उबारी	(1)	(2)
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.950 हेक्टर.	47/1	0.022

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टर में)	48/1	0.070
(1)	(2)	48/2	0.035
		49/2	0.119
		योग . .	<u>1.950</u>

9 0.052

8/1 0.013

8/4 0.018

8/3 0.021

8/2 0.021

14/1 0.027

18/2/1 0.046

18/2/2 0.025

18/2/3 0.025

108/1ख/1 0.010

108/1ख/2 0.024

108/1ख/3 0.024

108/1ख/4 0.019

108/1ख/5 0.024

108/1ख/6 0.024

108/2/1 0.084

108/2/2 0.023

108/2/3 0.023

108/2/4 0.024

108/2/5 0.023

108/2/6 0.023

108/2/7 0.023

108/2/8 0.025

108/2/9 0.023

108/2/10 0.018

107 0.004

36/1 0.181

36/2 0.021

36/3 0.021

36/4 0.021

36/5 0.021

36/6 0.021

30/1 0.019

37 0.129

38/1 0.187

44 0.025

45/1 0.021

45/2 0.272

46/1 0.064

46/2 0.035

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—ललितपुर-सतना-रीवा-सिंगरौली, महौबा-खजुराहो (541 किमी.) नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र.-184-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यक है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला—सतना

(ख) तहसील—नागौद

(ग) नगर/ग्राम—पटना

(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.495 हेक्टर.

खसरा नं. अर्जित रकबा
(हेक्टर में)

(1) (2)

225/1 0.105

225/2 0.105

225/3 0.105

226/1 0.024

226/2 0.020

226/3 0.020

226/4 0.020

249/1 0.020

249/2 0.020

249/3 0.020

249/4 0.020

249/5 0.020

250/1 0.045

250/4 0.125

251/1 0.030

(1)	(2)
251/3	0.010
252	0.094
254	0.084
255	0.042
256	0.063
260/1	0.076
260/2	0.156
261/1	0.026
261/2/ख	0.026
261/3	0.026
262/1/1	0.275
262/1/2	0.020
262/1/3	0.020
262/1/4	0.020
262/1/5	0.020
262/2/क/1	0.082
262/2/ख	0.165
262/3	0.040
263/1/क	0.021
263/1/ख	0.021
271/1/क, 271/1/ख, 271/2	0.640
272/1/1	0.079
272/2	0.033
272/323/1	0.390
274/1/1	0.100
274/1/2/3	0.140
275	0.050
276	0.052
277/3/1	0.239
277/3/2	0.028
277/3/3	0.028
277/3/4	0.028
277/3/5	0.028
277/3/6	0.028
277/3/7	0.028
277/3/8	0.028
284/1	0.025
286/1	0.040
298/2	0.030
योग . .	4.00

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—ललितपुर-सतना-रीवा-सिंगरौली, महौबा-खजुराहो (541 किमी.) नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र.-185-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यक है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—नागौद
(ग) नगर/ग्राम—खमरेही
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.077 हेक्टर.

खसरा नं.	क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
345	0.219
344	0.167
335/1	0.199
335/2	0.199
334/2	0.018
333/1	0.178
331	0.018
332	0.200
329	0.019
330	0.220
328/2	0.180
326	0.418
323	0.029
346	0.013
योग . .	2.077

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—ललितपुर-सतना-रीवा-सिंगरौली, महौबा-खजुराहो (541 किमी.) नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र.-194-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन

के लिये आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यक है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—नागौद
(ग) नगर/ग्राम—खम्हरिया खुर्द
(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.327 हेक्टर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
262/2/क/1	0.022
262/2/ख/1	0.176
262/3	0.105
262/4/2/1	0.209
263/2	0.052
263/1, 264/1	0.523
264/2	0.209
265/1	0.011
265/2	0.042
266/1	0.188
312	0.199
313	0.350
314	0.045
315/1/ख	0.251
315/2/ख/1	0.115
315/2/ख/2	0.105
315/3	0.209
318/2/ख	0.031
262/4/3/क	0.042
262/4/4	0.150
315/4	0.251
316/4	0.021
317/2/ख	0.021
योग . .	<u>3.327</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—ललितपुर-सतना-रीवा-सिंगरौली, महौबा-खजुराहो (541 किमी.) नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र.-195-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यक है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—नागौद
(ग) नगर/ग्राम—तिलौरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.747 हेक्टर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
61	0.025
68	0.070
67	0.397
66/1	0.013
65/1	0.180
65/2	0.182
34	0.229
35/1	0.258
31	0.013
35/2	0.363
20	0.010
19	0.462
14/1	0.016
13/1/1	0.529
योग . .	<u>2.747</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—ललितपुर-सतना-रीवा-सिंगरौली, महौबा-खजुराहो (541 किमी.) नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

सतना, दिनांक 28 मई 2016

क्र.-196-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित

किया है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यक है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—नागौद
(ग) नगर/ग्राम—सलझ्या कोठार
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.833 हेक्टर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
422/1	0.064
422/2	0.027
422/3	0.027
422/4	0.027
421	0.013
420/2ब	0.006
420/2स	0.011
420/2ज	0.131
420/1क/1/3	0.012
420/1क/1/4	0.086
420/1क/1/1	0.092
420/1क/2	0.092
420/1क/3	0.092
419/1	0.010
419/2	0.010
418/1	0.009
418/2	0.009
411	0.512
406/1/1क	0.097
406/1/1ख/1	0.097
406/1/2	0.027
406/1/3	0.027
406/1/1/ख/2	0.012
406/1/1/ख/3	0.012
406/1/1/ख/4	0.012
406/1/1/ख/5	0.023
406/1/1/ख/6	0.024
406/1/1/क/2	0.020
406/1/1/क/3	0.020
406/1/1/क/4	0.020
406/1/1/क/5	0.020
406/2	0.192
योग . .	<u>1.833</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—ललितपुर-सतना-रीवा-सिंगरौली, महौबा-खजुराहो (541 किमी.) नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र.-197-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यक है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—नागौद
(ग) नगर/ग्राम—अतरौरा खुर्द
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.643 हेक्टर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
170/1	0.062
153	0.054
154	0.504
155	0.181
156	0.242
152	0.133
177	0.190
178	0.129
180/1/ख	0.169
185	0.434
171/1/ख	0.099
171/2	0.220
169/2	0.193
157/1	0.026
157/2	0.007
योग . .	<u>2.643</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—ललितपुर-सतना-रीवा-सिंगरौली, महौबा-खजुराहो (541 किमी.) नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नरेश पाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 25 मई 2016

प्र. क्र. 053-अ-82-वर्ष 2015-16.— भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पन्ना

(ख) तहसील—देवेन्द्रनगर

(ग) ग्राम—गौरा, प.ह.नं. 12

(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.320 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
61	0.040	निजी भूमि
258/1	0.020	निजी भूमि
60	0.120	निजी भूमि
4	0.220	निजी भूमि
5	0.050	निजी भूमि
9	0.070	निजी भूमि
8	0.120	निजी भूमि
24	0.120	निजी भूमि
54	0.120	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)
26	0.120	निजी भूमि
40	0.150	निजी भूमि
38	0.100	निजी भूमि
36	0.020	निजी भूमि
35/1	0.040	निजी भूमि
34	0.050	निजी भूमि
33	0.050	निजी भूमि
259	0.030	निजी भूमि
261	0.070	निजी भूमि
297	0.020	निजी भूमि
296	0.050	निजी भूमि
295	0.040	निजी भूमि
294	0.100	निजी भूमि
469	0.170	निजी भूमि
470	0.050	निजी भूमि
546	0.070	निजी भूमि
545/1	0.010	निजी भूमि
544/1/kh	0.030	निजी भूमि
543/1/kh	0.004	निजी भूमि
545/2	0.010	निजी भूमि
544/1/ka	0.030	निजी भूमि
543/1/ka	0.003	निजी भूमि
505	0.090	निजी भूमि
544/2	0.020	निजी भूमि
543/2	0.0003	निजी भूमि
542	0.090	निजी भूमि
258/2	0.020	निजी भूमि

कुल रकबा निजी भूमि ... 2.320

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बरबीरा तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पन्ना में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शिव नारायण सिंह चौहान, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 17 मई 2016

क्र. C-1985-दो-14-1-2016.—श्री अनिल पवार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर को डिप्टी रजिस्ट्रार के रिक्त पद पर वेतनमान रुपये 15600-39100+ग्रेड पे रुपये 6600 में अस्थाई एवं स्थानापन्न रूप से आगामी आदेश पर्यन्त उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से पदोन्नति प्रदान करते हुए मुख्यपीठ जबलपुर की स्थापना पर पदस्थ किया जाता है।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,

मनोहर ममतानी, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 27 मई 2016

क्र. 561-गोपनीय-2016-दो-2-1-2016 (भाग-ए).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 229 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में उल्लिखित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी को, निम्न सारणी के स्तम्भ (3) में अंकित स्थान से स्थानांतरित कर स्तम्भ (4) में अंकित स्थान पर एवं स्तम्भ (5) में उल्लिखित पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करते हैं:—

सारणी

क्रमांक	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	श्री चन्द्र मोहन गर्ग, न्यायिक सदस्य, आयकर अपीलीय अधिकरण, नई दिल्ली के पद से प्रतिनियुक्ति से लौटने पर.	नई दिल्ली	जबलपुर	विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर की हैसियत से.

टिप्पणी:—अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत गठित विशेष न्यायालय के पीठासीन अधिकारी रीवा का पद का दिनांक 30 मार्च 2016 से रिक्त होने के कारण एवं उक्त पद पर पदस्थ किये गए श्री चन्द्र मोहन गर्ग, न्यायिक सदस्य, आयकर अपीलीय अधिकरण, नई दिल्ली, के द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए एवं अन्य न्यायिक अधिकारी की उक्त पद पर पदस्थापना को सुकर बनाने के लिये श्री चन्द्र मोहन गर्ग, न्यायिक सदस्य, आयकर अपीलीय अधिकरण, नई दिल्ली का प्रतिनियुक्ति से लौटने पर उनका पीठासीन अधिकारी, (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत गठित विशेष न्यायालय, रीवा के पद पर पदस्थापना संबंधी आदेश क्रमांक 309-गोपनीय-2016 दो-2-1-2016 (भाग-ए) दिनांक 14 मार्च 2016, जहाँ तक इसका संबंध श्री गर्ग से है, एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,

शैलेन्द्र शुक्ला, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (विजिलेंस).

जबलपुर, दिनांक 31 मई 2016

क्र. A-1784-दो-2-24-56-2010.—श्री महेश प्रसाद अवस्थी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, नरसिंहपुर को दिनांक 30 अप्रैल 2016 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 1 मई 2016 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री महेश प्रसाद अवस्थी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, नरसिंहपुर को नरसिंहपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री महेश प्रसाद अवस्थी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. A-1786-दो-3-32-2011.—श्री ए. के. पाण्डेय, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, सतना को दिनांक 31 मई से 3 जून 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री ए. के. पाण्डेय, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, सतना को सतना पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. के. पाण्डेय उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. A-1792-दो-2-17-2012.—श्रीमती एन. व्ही. कौर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर को दिनांक 2 से 3 मई 2016 तक दो दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती एन. व्ही. कौर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर को सीहोर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती एन. व्ही. कौर उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. A-1794-दो-2-18-2016.—श्री जी. एस. सलुजा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, ग्वालियर को दिनांक 16 से 22 अप्रैल 2016 तक सात दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में से दिनांक 22 अप्रैल 2016 का एक दिन का अर्जित अवकाश, उपभोग नहीं करने के कारण निरस्त किया जाता है।

क्र. A-1796-दो-2-24-2015.—श्री मोहम्मद युसुफ मंसुरी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, सीहोर को दिनांक 20 से 23 अप्रैल 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 19 अप्रैल 2016 के तथा अवकाश के पश्चात् में 24 अप्रैल 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री मोहम्मद युसुफ मंसुरी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, सीहोर को सीहोर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री मोहम्मद युसुफ मंसुरी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. A-1798-दो-2-109-2006.—श्री पी. एस. पाटीदार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इन्दौर को दिनांक 8 से 9 मार्च 2016 तक दो दिवस के अर्जित अवकाश के साथ एल. टी. सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 1 नवम्बर 2015 से वर्ष 31 अक्टूबर 2017 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस (केवल दस दिवस) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए) 19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9(1-ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-3666-इक्कीस-ब (एक) 2011, दिनांक 8 अगस्त, 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

क्र. B-2682-दो-2-6-2016.—श्री आलोक कुमार वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर को दिनांक 21 से 22 अप्रैल 2016 तक दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री आलोक कुमार वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर को श्योपुर पुनः स्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आलोक कुमार वर्मा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. B-2684-दो-2-31-2014.—श्री ए. के. श्रीवास्तव, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, ग्वालियर को दिनांक 25 से 29 अप्रैल 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पाँच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व दिनांक 24 अप्रैल 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री ए. के. श्रीवास्तव, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. के. श्रीवास्तव उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. B-2686-दो-2-11-2009.—श्री व्ही. के. जैन, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, विदिशा को दिनांक 9 से 15 मई 2016 तक सात दिन का अर्जित अवकाश तथा दिनांक 16 से 20 मई 2016 तक पाँच दिन एवं दिनांक 6 से 10 जून 2016 तक पाँच दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 8 मई 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री व्ही. के. जैन, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, विदिशा को विदिशा पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित/ग्रीष्मकालीन अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री व्ही. के. जैन उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. B-2688-दो-2-25-2016.—श्री डी. आर. गुजरकर, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, छिन्दवाड़ा को दिनांक 16 से 22 मई 2016 तक सात दिन का अर्जित अवकाश तथा दिनांक 23 मई से 4 जून 2016 तक तेरह दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री डी. आर. गुजरकर, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, छिन्दवाड़ा को छिन्दवाड़ा पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित/ग्रीष्मकालीन अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री डी. आर. गुजरकर उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. B-2690-दो-2-18-2016.—श्री जी. एस. सलुजा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को दिनांक 30 अप्रैल से 4 मई 2016 तक दोनों सम्मिलित करते हुए पाँच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री जी. एस. सलुजा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जी. एस. सलुजा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. B-2692-दो-2-69-2000.—श्री आनंद मोहन खरे, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, छतरपुर को दिनांक 25 अप्रैल से 2 मई 2016 तक आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री आनंद मोहन खरे, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, छतरपुर को छतरपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आनंद मोहन खरे उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. B-2694-दो-3-35-2011.—श्री आर. पी. वर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, इन्दौर को दिनांक 18 से 22 अप्रैल 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पाँच दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 17 अप्रैल 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री आर. पी. वर्मा प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, इन्दौर को इन्दौर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. पी. वर्मा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-2136-दो-2-17-2013.—श्री ओमप्रकाश शर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, उज्जैन को दिनांक 25 से 30 अप्रैल 2016 तक दोनों छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 24 अप्रैल 2016 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 1 मई 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री ओमप्रकाश शर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ओमप्रकाश शर्मा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.

Jabalpur, the 30th May 2016

No. C-2064.—In exercise of the powers conferred by sub-section 3 of Section 9 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) and all other enabling provisions, the High Court of Madhya Pradesh hereby designates Shri Makhanlal Jhod, II ASJ, Balaghat to be the Presiding Officer of the Court for trial of offences of Rape, Gang-rape, Murder with Rape and all other offences relating thereto for the District Headquarter Balaghat, in supersession of all its earlier notifications in this regard in respect of Balaghat.

By order of Hon'ble the Acting Chief Justice,
VIVEK SAXENA, O.S.D. (D.E.).

जबलपुर, दिनांक 19 मई 2016

क्र. B-2478-दो-2-53-2009.—श्री महेन्द्र पी. एस. अरोरा, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, इन्दौर को दिनांक 25 से 27 अप्रैल 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 24 अप्रैल-2016 के तथा अवकाश के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री महेन्द्र पी. एस. अरोरा, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, इन्दौर को इन्दौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री महेन्द्र पी. एस. अरोरा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. B-2481-दो-2-58-2010.—श्री राजेश गुप्ता, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नीमच को दिनांक 20 से 23 अप्रैल 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 19 अप्रैल 2016 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 24 अप्रैल 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री राजेश गुप्ता, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नीमच को नीमच पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजेश गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-2035-दो-2-25-2012.—श्री के. के. त्रिपाठी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर को दिनांक 20 से 21 अप्रैल 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 19 अप्रैल 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री के. के. त्रिपाठी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री के. के. त्रिपाठी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-2037-दो-2-4-2015.—श्रीमती राधा सोनकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कटनी को दिनांक 11 से 13 अप्रैल 2016 तक तीन दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 14 एवं 15 अप्रैल 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती राधा सोनकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कटनी को कटनी पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती राधा सोनकर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

जबलपुर, दिनांक 31 मई 2016

क्र. A-1782-दो-2-21-2016.—श्रीमती सरिता सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3/(ए)19/03/इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2013 से दिनांक 31 अक्टूबर 2015 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 16 मई 2016

क्र. 543-गोपनीय-2016-II-3-1-2016(Pt.A).— भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 में दी गई शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, एतद्द्वारा निम्न तालिका के स्तंभ दो में दर्शित वरिष्ठ व्यवहार न्यायाधीशों को स्तंभ तीन में दर्शित दिनांक से, मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) (यथा संशोधित) नियम 1994 सहपठित मध्यप्रदेश न्यायिक सेवाएं (वेतन, पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का पुनरीक्षण) (यथासंशोधित) नियम, 2010 के तत्संबंधी प्रावधानों के अंतर्गत उनकी वरिष्ठ व्यवहार न्यायाधीश (व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1) संवर्ग में, सेवा के पांच वर्ष पूर्ण होने की दिनांक से, वरिष्ठ व्यवहार न्यायाधीश (ग्रेड-II) ए.सी.जे.एम./सी.जे.एम. प्रथम ए.सी.पी. ग्रेड [Senior Civil Judge (Grade-II) ACJM/CJM I ACP Grade] वेतनमान रुपये 43690-1080-49090-1230-56470/- प्रदान करता है.

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम क्रमांक 2, सन् 1974) की धारा 12 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर एतद्द्वारा निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ क्रमांक (2) में वर्णित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, जिनकी पदस्थापना का स्थान स्तम्भ क्रमांक (3) में दर्शित है, को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदान करता है:—

सारणी

क्र.	अधिकारी का नाम	पदस्थापना का स्थान एवं जिले का नाम	वरिष्ठ व्यवहार न्यायाधीश (ग्रेड-II) ए.सी.जे.एम./सी.जे.एम. प्रथम ए.सी.पी. ग्रेड [Senior Civil Judge (Grade-II) ACJM/CJM I ACP Grade] वेतनमान रुपये 43690-1080-49090-1230-56470/- प्रदान किये जाने का दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्रीमती नीतू कान्ता वर्मा	कोलारस (शिवपुरी)	09-12-2014
2.	श्री राजेश नन्देश्वर	झाबुआ	24-12-2014
3.	श्री रतन कुमार वर्मा	जबलपुर	26-12-2014

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
* मनोहर ममतानी, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 19 मई 2016

क्र. 552-गोपनीय-2016-दो-3-34-2016.— उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, श्रीमती आरती आर्या दुबे, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, बासौदा जिला विदिशा का विवाह उपरांत नाम परिवर्तन “श्रीमती आरती ए. शुक्ला” पत्नी की अतुल कुमार शुक्ला, करने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान करता है. उनके संबंधित प्रपत्रों में उनका परिवर्तित नाम अंकित किया जावे.

आदेशानुसार,
मनोहर ममतानी, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 27 मई 2016

क्र. 563-गोपनीय-2016-दो-2-1-2016 (भाग-ए).— भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अधीन एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में दर्शित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी को उनके समक्ष स्तम्भ (3) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ (4) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानांतरित कर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तत्संबंधी स्तम्भ (6) में निर्दिष्ट विशेष न्यायाधीश की हैसियत से तथा मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक फा-1-2-90-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 26-10-95, अधिसूचना क्रमांक फा.1-2-90-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 19-2-97 एवं क्रमांक-1-2-90-इक्कीस-अ(एक), दिनांक 7-5-99 तथा क्रमांक फा.1-2-90/इक्कीस-ब(एक), दिनांक 4-5-2007 द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (1989 की संख्या 33) की धारा 14 के अधीन विनिर्दिष्ट सारणी के तत्संबंधी स्तम्भ (7) में निर्दिष्ट विशेष न्यायालय में पीठासीन अधिकारी के रूप में पदस्थ एवं नियुक्त करता है.

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 की संख्या 2) की धारा 9 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में निर्दिष्ट अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष सारणी के स्तम्भ (5) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिए सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिये अपर सत्र न्यायाधीश नियुक्त करता है:—

सारणी

क्र.	नाम	कहाँ से	कहाँ को	सत्रखण्ड का नाम	न्यायालय के संदर्भ में टिप्पणी	विशेष न्यायालय का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	श्री राजेन्द्र कुमार नागपुरे	बुरहानपुर	रीवा	रीवा	पीठासीन अधिकारी, विशेष न्यायालय की हैसियत से रिक्त स्थान पर.	रीवा

क्र. 565-गोपनीय-2016-दो-3-250-57 (भाग-34).— भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 सहपठित सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा (1) एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 11 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर निम्न सारणी में दर्शित अभ्यर्थी को, जिन्हें मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश पृष्ठांकन फा. क्रमांक 3(बी)2-2014-इक्कीस-ब(एक) (मेरिट क्रमांक 31), दिनांक 4 मई 2016 द्वारा अस्थायी तौर से (दो वर्ष की परीवीक्षा अवधि पर) मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर नियुक्त किया गया है, को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ क्रमांक (3) में दर्शाये स्थान पर एवं स्तम्भ क्रमांक (4) में अंकित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश तथा न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है:—

सारणी

क्र.	नाम	प्रशिक्षण हेतु पदस्थापना का स्थान	न्यायालय का नाम जिसके अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त एवं पदस्थ
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री विनायक गुप्ता	नीमच	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, नीमच के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,

शैलेन्द्र शुक्ला, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार(विजिलेंस).

जबलपुर, दिनांक 18 मई 2016

क्र. D-1757-दो-2-41-2013.— श्री अशोक कुमार तिवारी, जिला न्यायाधीश (निरीक्षण), ग्वालियर को दिनांक 18 से 23 अप्रैल 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए, छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 14 से 17 अप्रैल 2016 तक के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 24 अप्रैल 2016 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री अशोक कुमार तिवारी, जिला न्यायाधीश (निरीक्षण), ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश, वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अशोक कुमार तिवारी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला न्यायाधीश (निरीक्षण) के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 20 मई 2016

क्र. C-2056-दो-3-16-2007— श्री व्ही. बी. सिंह, रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इंदौर को दिनांक 02 से 07 मई 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 01 मई 2016 के एवं अवकाश के पश्चात् में दिनांक 8 मई 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री व्ही. बी. सिंह, रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इंदौर को इंदौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश, वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री व्ही. बी. सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत रहते.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.